भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 7

दिनांक 28.03.2017 को विधानसभा में प्रस्तुत की गई ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 7

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-xiii
अध्याय-I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	4
कर निर्धारण में बकाया	1.3	5
विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन	1.4	5
धन वापसी के बकाया प्रकरण	1.5	6
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर	1.6	6
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा	1.7	9
लेखापरीक्षा योजना	1.8	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	11
यह प्रतिवेदन	1.10	11
अध्याय-II : बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट		
कर प्रशासन	2.1	13
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.2	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3	14
राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण	2.4	15
कर में अनियमित आंशिक छूट	2.5	20
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	2.6	21
कर मुक्ति शुल्क का कम आरोपण	2.7	22
आस्थगित कर की वसूली का अभाव	2.8	23
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत अधिक सब्सिडी प्रदान करना	2.9	24
वैट के अन्तर्गत कर में अनियमित छूट	2.10	25
शून्य आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करने के कारण कर का अनारोपण	2.11	26
विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति का अनारोपण	2.12	27
इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लेने पर शास्ति का अनारोपण	2.13	27

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
घोषणा-प्रपत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति आरोपण का अभाव	2.14	28
राज्य के बाहर माल के स्थानान्तरण पर कर में अनियमित छूट	2.15	29
केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत कर में अनियमित आंशिक छूट	2.16	29
अध्याय-III : वाहनों, माल और यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	31
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.2	31
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.3	32
माल वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण	3.4	33
बेड़ा स्वामी द्वारा विशेष पथकर को विलम्ब से जमा करवाने पर शास्ति की अवसूली/कम वसूली	3.5	42
मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना	3.6	42
अध्याय-IV : भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	45
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.2	45
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	46
जिला स्तरीय समिति की दरों को गलत लागू करने के कारण भूमि की कीमत एवं लीज किराये की कम वसूली	4.4	46
सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव	4.5	48
राजस्थान आवासन मण्डल से संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली	4.6	50
संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली/ कम वसूली	4.7	51
संपरिवर्तन प्रभारों में छूट की अवसूली	4.8	52
अध्याय-V : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	53
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	5.2	53
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.3	54
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से संबंधित लोक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य समन्वय	5.4	55
कब्जे के हस्तान्तरण के साथ विक्रय अनुबन्ध पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली	5.5	65
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान की गयी छूट की अवसूली	5.6	65
पट्टा विलेख जहां किराया तय हो तथा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना हो, पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.7	66

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
विकास अनुबन्धों/विक्रय विलेखों पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	5.8	67
भू-उपयोग परिवर्तन पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज का अनारोपण	5.9	69
अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.10	69
फार्म हाउस के रूप में पंजीकृत सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.11	71
उपहार विलेख के अवमूल्यांकन तथा रियायती मुद्रांक कर का लाभ दिये जाने के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.12	71
बन्धक पत्र को ऋण अनुबन्ध के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक कर का कम आरोपण	5.13	72
अध्याय-VI : राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	6.1	75
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	6.2	75
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.3	76
'राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लांटस की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	6.4	77
वेण्ड फीस का अनारोपण	6.5	96
कम्पोजिट फीस की कम वसूली	6.6	96
अध्याय-VII : कर–इतर प्राप्तियां		
कर प्रशासन	7.1	99
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	7.2	99
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.3	99
राजस्थान में खानों का आवंटन	7.4	101
खनिज का अनाधिकृत उत्खनन/निर्गमन	7.5	120
अधिशुल्क की कम वसूली	7.6	122
सह-युक्त खनिजों पर देय अधिशुल्क के भुगतान का अभाव	7.7	123
स्थिर भाटक की त्रुटिपूर्ण संगणना	7.8	124
पर्यावरण प्रबन्धन कोष की अवसूली/कम वसूली	7.9	124
ठेका राशि का त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण	7.10	126
ईंट-मिट्टी की कीमत की कम मांग कायम किया जाना	7.11	128

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 तथा इसके अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 के तहत, राजस्थान राज्य के राजस्व क्षेत्र के राजस्व अर्जन वाले बड़े विभागों में सम्पादित प्राप्ति एवं व्यय लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से है जो वर्ष 2015-16 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी है जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2015-16 के बाद के प्रकरण भी शामिल है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 42 अनुच्छेद सम्मिलित हैं जिसमें राशि ₹ 272.49 करोड़ अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2014-15 में ₹ 91,326.91 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2015-16 में ₹ 1,00,285.12 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 42,712.92 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹10,927.87 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 53,640.79 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियां ₹ 46,644.33 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का हिस्सा ₹ 27,915.93 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान ₹ 18,728.40 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

दिसम्बर 2015 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 3,127 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,180.58 करोड़ राशि के 9,129 अनुच्छेद जून 2016 के अंत में बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.6)

II. बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण पर' एक अनुच्छेद में निम्नलिखित पाया गया:

- विभाग में उपलब्ध सूचनाओं को उपयोग में नहीं लिये जाने के परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 1.96 करोड़ सहित प्रवेश कर ₹ 7.87 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.4)

- अन्य राज्यों के साथ सूचनायें साझा करने के तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 1.36 करोड़ सहित प्रवेश कर ₹ 4.78 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.5)

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अनुसार अधिसूचना जारी किये जाने के बजाय वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के आधार पर भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जयपुर को कर में ₹ 83.65 करोड़ की अनियमित आंशिक छूट दी गयी।

(अनुच्छेद 2.5)

कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप माल यथा लीफ स्प्रिंग और 'ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स' की बिक्री पर कर राशि ₹ 1.11 करोड़ एवं ब्याज ₹ 40.39 लाख का कम आरोपण किया गया।

(अनुच्छेद 2.6.1 एवं 2.6.2)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत अधिक सब्सिडी प्रदान करने के परिणामस्वरूप वसूली योग्य ब्याज ₹ 1.33 करोड़ के अतिरिक्त सब्सिडी ₹ 2.95 करोड़ की अधिक स्वीकृति।

(अनुच्छेद 2.9)

कर निर्धारण प्राधिकारी, पांच व्यवहारियों पर घोषणा-प्रपत्रों के दुरूपयोग के लिए शास्ति ₹ 3.82 करोड़ आरोपित करने में असफल रहे।

(अनुच्छेद 2.14.1 एवं 2.14.2)

III. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

'माल वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण' पर एक अनुच्छेद से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र परिमट धारित 3,36,675 वाहनों में से 22,439 वाहन अनुज्ञापत्र प्राधिकार-पत्र नवीनीकरण के बिना पाये गये। इन प्रकरणों में कम्पोजिट शुल्क और प्राधिकार शुल्क की राशि ₹ 38.32 करोड़ सन्निहित थी।

(अनुच्छेद 3.4.4.1)

- अवधि अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक के कर का भुगतान 1,579 भार वाहनों के मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। तथापि कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप कर व अधिभार राशि ₹ 3.63 करोड़ की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.4.5.1)

- विशेष श्रेणी के 765 भार वाहनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान वाहन मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। तथापि कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर व अधिभार राशि ₹ 2.85 करोड़ की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.4.5.2)

- वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध आंकडों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान परिवहन श्रेणी के अधीन 15 वर्षों में पंजीकृत 1,74,264 वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। राशि ₹ 1.74 करोड़ के राजस्व की वसूली पर निगरानी के अतिरिक्त वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के

साथ वाहनों के संचालन होने को सुनिश्चित नहीं किया जा सका और इस प्रकार सुरक्षा मापदण्डों से समझौता किया गया।

(अनुच्छेद 3.4.6)

- प्रवर्तन शाखा द्वारा जारी चालानों की निगरानी के लिये विभाग में कोई प्रणाली नहीं थी। इन कार्यालयों में इस उददेश्य के लिये कोई पंजिका का संधारण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.4.7)

मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में वाहन मालिकों द्वारा विशेष पथकर एवं प्रभार विलम्ब से जमा कराने पर शास्ति ₹ 2.31 करोड़ की अवसूली/कम वसूली।

(अनुच्छेद 3.5)

अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु 2,204 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर व विशेष पथकर ₹ 8.04 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.6)

IV. भू-राजस्व

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को मेट्रो डेयरी की स्थापना के लिए गोविन्दगढ़-मलिकपुर मुख्य सड़क पर स्थित एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से लगती हुई भूमि का आवंटन किया गया। विभाग ने भूमि की कीमत एवं लीज किराये की वसूली डीएलसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य सड़क से दूर स्थित असिंचित कृषि भूमि के लिए निर्धारित दर ₹ 9.14 लाख प्रति बीघा से की गयी जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर ₹ 14.11 लाख प्रति बीघा थी। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत ₹ 3.92 करोड़ का कम आरोपण रहा।

(अनुच्छेद 4.4.2)

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसिको) को इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए 75 हेक्टेयर भूमि 99 वर्ष की लीज पर इस शर्त के साथ आवंटित की गयी थी कि डिपो की स्थापना लीज डीड जारी होने के दो वर्षों के भीतर करनी होगी। राजसिको द्वारा निर्धारित अवधि में ना तो डिपो की स्थापना की गयी ना ही समयावधि के विस्तार की कोई अनुमति दी गयी। तथापि प्राधिकारियों द्वारा भूमि को सरकार को प्रत्यावर्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.41 करोड़ मूल्य की भूमि अप्रत्यावर्तित रही।

(अनुच्छेद 4.5.2)

115 मामलों में कृषि भूमि बिना संपरिवर्तन अनुमति के अकृषि उददेश्यों हेतु उपयोग में ली गयी। विभाग ने 79 मामलों में प्रीमियम तथा चार गुना संपरिवर्तन शुल्क वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.66 करोड़ की अवसूली रही एवं 36 मामलों में संपरिवर्तन शुल्क राशि ₹ 90.56 लाख की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.7)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से संबंधित लोक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य समन्वय' पर एक अनुच्छेद मे निम्नलिखित कमियां पायी गयी।

- 56 प्रकरणों में ₹ 1,121.69 करोड़ की अचल संपत्तियां साझेदारों के द्वारा साझेदारी फर्मों को पूंजी अंशदान के रूप में दी गई। तथापि, यह देखा गया कि इन साझेदारी विलेखों के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत दर के बजाय केवल ₹ 0.28 लाख की राशि मुद्रांक कर के रूप में भुगतान की गयी। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 67.30 करोड़ के मुद्रांक कर मय सरचार्ज की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.4.5.1)

- राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम द्वारा तीन भूखण्डों का विक्रय/आवंटन उद्यमियों को किया गया। इन भूखण्डों के आवंटन मूल्य ₹ 25.55 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 1.53 करोड़ वसूली योग्य था। तथापि, भूखण्डों का कब्जा दिये जाने के बाद भी क्रेताओं द्वारा पट्टों का निष्पादन/पंजीयन नहीं कराया गया। रीको कार्यालयों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा पट्टों के निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही नही की गई और न ही कलेक्टर (मुद्रांक) को इन लेनदेनों के संबंध में सूचित किया गया।

(अनुच्छेद 5.4.6.1)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य ठेकेदारों/रियायतियों/सलाहकारों के मध्य निर्माण, उपयोग एवं हस्तान्तरण आधार पर वर्ष 2002 से 2015 के मध्य राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओ के लिए 15 रियायती अनुबन्ध किये गये थे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रियायती अनुबंधों को न तो संबंधित उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) को मुद्रांक कर का आरोपण सुनिश्चित करने हेतु प्रति भेजी और न ही दस्तावेजों को जब्त किया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर मय सरचार्ज राशि ₹ 36.48 करोड़ का कम आरोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.4.7)

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2010 में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन या पात्रता के अभाव के कारण लाभार्थी मुद्रांक कर एवं सरचार्ज राशि ₹ 1.46 करोड़ के प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी थे।

(अनुच्छेद 5.6)

यह पाया गया कि कृषि/वाणिज्यिक/औद्योगिक/आवासीय भूमि के 64 दस्तावेजों का पंजीयन विक्रय विलेख के रूप में हुआ। संबंधित उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण विभिन्न कारणों से कम दरों पर किया। अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 6.08 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.10)

VI. राज्य आबकारी

'**राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लांटस की कार्यप्रणाली**' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआः

- डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस जो कि देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माण एवं थोक विक्रय निर्माण स्थल से कर रहे थे पर देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क ₹ 2.15 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.4.7.2)

- प्रति क्विंटल अनाज से उत्पादित प्रासव की मात्रा के मापदण्डों के निर्धारण में विलम्ब के कारण विभाग को राजस्व ₹ 180.80 करोड़ से वंचित रहना पड़ा।

(अनुच्छेद 6.4.7.3)

- डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस में प्रासव, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा का उत्पादन 'कन्सेन्ट टू ऑपरेट' में निर्धारित मात्रा से अधिक हुआ था। इकाईयों द्वारा दैनिक अधिक उत्पादन को नियमित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड अथवा विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गयी। विभाग दैनिक/वार्षिक निर्धारित क्षमता से ऊपर एवं अधिक अल्कोहल के उत्पादन को नियंत्रित करने में असफल रहा।

(अनुच्छेद 6.4.7.4)

- विभाग द्वारा एक बन्द इकाई के अंतिम स्टॉक के प्रासव/मदिरा के निस्तारण अथवा विक्रय की स्वीकृति जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष में राजस्व ₹ 2.98 करोड़ अवरूद्ध रहा।

(अनुच्छेद 6.4.7.10)

- आबकारी आयुक्त द्वारा गठित समिति की सिफारिश (जून 2014) के बावजूद विभाग द्वारा बीयर उत्पादन के मापदण्डों का निर्धारण नहीं किया गया (जुलाई 2016)।

(अनुच्छेद 6.4.8.1)

- विभाग ने ब्रेवरीज द्वारा ली गयी छीजत की प्रतिशतता में विभिन्नता एवं नियमों में निर्धारित छीजत की जांच नहीं की, जिसका कि सीधा प्रभाव उत्पादन आंकडों एवं राजस्व संग्रहण पर पड़ा।

(अनुच्छेद 6.4.8.2)

VII. कर-इतर प्राप्तियां

'राजस्थान में खानों का आवंटन' पर एक अनुच्छेद ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- 2012-15 के दौरान परिशोधित 71,688 आवेदनों में से 1,610 खनन पट्टे अनुदान किये गये । शेष आवेदन या तो अस्वीकृत हुए (55,238), अयोग्य हुए (13,977) या वापस लिये गये (863) । अयोग्य घोषित 13,977 आवेदनों में से 1,749 आवेदन नियमों में निर्धारित 12 माह के विपरीत पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे ।

(अनुच्छेद 7.4.8)

- 382 में से 315 प्रकरणों में आवेदनों को उनकी प्राप्ति की दिनांक यथा 'पहले आओ पहले पाओ' के अनुसार अंतिम रूप नहीं दिया गया । इनमें से 114 प्रकरणों में मानचित्रकार के स्तर पर प्राथमिकता खंडित की गयी ।

(अनुच्छेद 7.4.10)

- 382 में से 277 प्रकरणों में आवेदकों ने चेतना पत्रों के उत्तर विनिर्दिष्ट समय 30 दिन के अन्दर नहीं दिये । चेतना पत्रों के उत्तर देने में विलम्ब की सीमा 1 तथा 1,967 दिन के मध्य थी । इसके उपरांत भी बिना किन्हीं कारणों को निर्दिष्ट किये पट्टे अनुदानित किये गये।

(अनुच्छेद 7.4.11.1)

- अनिवार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की पूर्ति किये बिना आवेदकों को पट्टे अनुदानित किये गये । 32 प्रकरणों में आवेदन पत्रों तथा शपथ पत्रों पर किये गये हस्ताक्षर प्रस्तुत दस्तावेजों से मिलान नहीं करते थे । 29 प्रकरणों में, आवेदकों से भिन्न दो व्यक्तियों ने (एक व्यक्ति ने 14 प्रकरणों में तथा दूसरे व्यक्ति ने 15 प्रकरणों में) आवेदित क्षेत्र के संयुक्त सीमांकन में बिना किसी 'मुख्तारनामा' के भाग लिया । इसके अतिरिक्त खनि अभियंता, राजसमन्द-II द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु जारी किये गये 38 चेतना पत्रों में से 31 चेतना पत्रों को आवेदकों से भिन्न व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया गया तथा 34 चेतना पत्रों के उत्तर आवेदक से भिन्न व्यक्तियों ने दिये ।

(अनुच्छेद 7.4.12)

- राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में गैर-आदिवासी व्यक्तियों को अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों का अनुदान प्रतिबंधित (25 सितम्बर 1999) किया । प्रतिबंध 5 फरवरी 2008 से 3 जुलाई 2009 की अवधि के लिये वापस लिया गया । 16 आवेदकों ने 22 अप्रैल 2009 एवं 1 मई 2009 के मध्य खनन पट्टा के लिये आवेदन किया । सरकार ने निर्देशित किया (मार्च 2011) कि आदिवासी क्षेत्रों में अप्रधान खनिजों के नवीन खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किये जावेंगे तथा जिन प्रकरणों में 3 जुलाई 2009 से पहले मंशा-पत्र जारी किये जा चुके थे उनको सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिशोधित किया जा सकता था । तथापि खनि अभियंता, बांसवाड़ा ने इन 16 प्रकरणों को परिशोधित किया तथा मार्च 2012 में मंशा-पत्र जारी कर दिये ।

(अनुच्छेद 7.4.13)

- 53 प्रकरणों में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 9 सितम्बर 2013 के उल्लंघन में 17 सितम्बर 2013 एवं 18 अक्टूबर 2013 के मध्य अनुज्ञप्तिधारियों को अतिरिक्त स्ट्रीप के लिये स्वीकृतियां जारी की गयी।

(अनुच्छेद 7.4.19)

पट्टा क्षेत्रों से उत्खनित खनिज की त्रुटिपूर्ण संगणना के कारण अनाधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत ₹ 10.93 करोड़ की मांग कायमी/वसूली नहीं करने के परिणामस्वरूप पट्टेधारियों को अदेय लाभ हुआ।

(अनुच्छेद 7.5.1)

रिक्त पट्टी से अनाधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत ₹ 1.14 करोड़ की मांग कायमी/ वसूली नहीं करना।

(अनुच्छेद 7.5.2)

अधिशुल्क निर्धारण को अंतिम रूप नहीं देने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क ₹ 8.67 करोड़ की कम वसूली हुई क्योंकि एक कम्पनी ने खनिज रॉक फॉस्फेट के निर्गमन पर नमी की मात्रा को घटाने के पश्चात अधिशुल्क का भुगतान किया जो नियमों के अनुसार नहीं था।

(अनुच्छेद 7.6)

पट्टाधारी द्वारा उत्पादन को नहीं दर्शाने के कारण सह-युक्त खनिजों पर अधिशुल्क ₹ 1.38 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.7)

अध्याय–I

सामान्य

अध्याय-I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकडों की स्थिति तालिका 1.1.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	25,377.05	30,502.65	33,477.70	38,672.87	42,712.92[1]
	• कर इतर राजस्व	9,175.10	12,133.59	13,575.25	13,229.50	10,927.87[2]
	योग	**34,552.15**	**42,636.24**	**47,052.95**	**51,902.37**	**53,640.79**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	14,977.05	17,102.85	18,673.07	19,817.04	27,915.93[3]
	• सहायतार्थ अनुदान	7,481.56	7,173.92	8,744.35	19,607.50	18,728.40[4]
	योग	**22,458.61**	**24,276.77**	**27,417.42**	**39,424.54**	**46,644.33**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**57,010.76**	**66,913.01**	**74,470.37**	**91,326.91**	**1,00,285.12**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**61**	**64**	**63**	**57**	**53**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व में समग्र रूप से वृद्धि रही। वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व

---

[1] ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.2 देखें।

[2] ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.3 देखें।

[3] ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032- संपदा पर कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर और 0045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क प्राप्तियों' एवं विभाजित होने वोले संघीय कर' सम्मिलित हैं।

[4] ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 में (सी) शीर्ष 1601 देखें।

(53,640.79 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत रहा। वर्ष 2015-16 में शेष 47 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

1.1.2 अवधि 2011-12 से 2015-16 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान / वास्तविक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16 में 2014-15 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट	बजट अनुमान	13,088.08	15,402.08	19,528.00	24,120.00	27,635.00	
		वास्तविक	14,665.63	17,214.34	19,834.72	22,644.89	24,878.67	(+) 9.86
	केन्द्रीय बिक्री कर	बजट अनुमान	401.92	1,147.92	1,522.00	1,505.00	1,615.00	
		वास्तविक	1,100.80	1,360.31	1,380.79	1,525.02	1,466.10	(-) 3.86
2	राज्य आबकारी शुल्क	बजट अनुमान	2,623.00	3,250.00	4,500.00	5,330.00	6,350.00	
		वास्तविक	3,287.05	3,987.83	4,981.59	5,585.77	6,712.94	(+) 20.18
3	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	बजट अनुमान	43.15	60.14	105.40	156.66	105.00	
		वास्तविक	79.40	144.27	104.59	54.27	97.45	(+) 79.57
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	बजट अनुमान	1,577.08	2,264.97	3,268.57	2,823.35	2,785.00	
		वास्तविक	2,153.68	2,693.13	2,577.76	2,705.10	2,574.88	(-) 4.81
	पंजीयन शुल्क	बजट अनुमान	279.77	474.89	526.03	520.00	560.00	
		वास्तविक	418.29	497.47	442.98	429.52	561.67	(+) 30.77
4	मोटर वाहनों पर कर	बजट अनुमान	1,650.00	1,900.00	2,500.00	2,800.00	3,300.00	
		वास्तविक	1,927.05	2,283.13	2,498.90	2,829.86	3,199.44	(+) 13.06
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	846.64	1,505.25	1,512.61	1,697.18	2,000.00	
		वास्तविक	1,094.48	1,570.06	948.93	1,534.51	1,921.29	(+) 25.21
6	भू-राजस्व	बजट अनुमान	196.06	196.06	185.51	324.69	320.00	
		वास्तविक	209.01	304.55	337.98	288.58	272.47	(-) 5.58
7	माल एवं यात्रियों पर कर	बजट अनुमान	265.00	280.00	300.00	360.00	800.00	
		वास्तविक	220.13	248.57	287.92	956.52	847.72	(-) 11.37
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	78.74	50.99	55.00	99.99	171.79	
		वास्तविक	43.44	48.47	68.46	113.68	170.96	(+) 50.38
9	अन्य कर इत्यादि[5]	बजट अनुमान	300.00	300.00	50.00	50.17	50.20	
		वास्तविक	178.09	150.52	13.08	5.15	9.32	(+) 80.97
योग		बजट अनुमान	**21,349.44**	**26,832.30**	**34,053.12**	**39,787.04**	**45,691.99**	
		वास्तविक	**25,377.05**	**30,502.65**	**33,477.70**	**38,672.87**	**42,712.92**	**(+) 10.45**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**22.25**	**20.19**	**9.75**	**15.52**	**10.45**	

विगत पांच वर्षों में कर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही। जबकि, राजस्व वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कम रहा।

[5] अन्य कर में, आय तथा व्यय पर कर, (वृत्ति पर कर, व्यापार, श्रम एवं रोजगार) तथा भूमि कर शामिल है।

'अन्य कर' में वृद्धि (80.97 प्रतिशत) आय तथा व्यय पर कर, व्यापार तथा वृत्ति पर कर, श्रम एवं रोजगार तथा भूमि कर इत्यादि में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'मुद्रांक न्यायिक' में वृद्धि (79.57 प्रतिशत) और 'पंजीयन शुल्क' में वृद्धि (30.77 प्रतिशत), पंजीयन शुल्क में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क' में वृद्धि (50.38 प्रतिशत) मनोरंजन कर में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' में वृद्धि (25.21 प्रतिशत) विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'राज्य आबकारी शुल्क' में वृद्धि (20.18 प्रतिशत) देशी प्रासव और माल्ट मदिरा की बिक्री और सेवाओं से प्राप्ति एवं सेवा शुल्क में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'मोटर वाहनों पर कर' में वृद्धि (13.06 प्रतिशत) राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण रही और 'माल एवं यात्रियों पर कर' में गिरावट (11.37 प्रतिशत) स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर की कम प्राप्ति के कारण रही।

1.1.3 वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान में वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान / वास्तविक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16 में 2014-15 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	बजट अनुमान	2,060.00	2,500.00	3,210.00	3,566.00	4,250.00	
	वास्तविक	2,366.32	2,838.59	3,088.66	3,635.46	3,782.13	(+) 4
ब्याज प्राप्तियां	बजट अनुमान	1,229.22	1,428.79	1,933.88	1,959.83	1,860.58	
	वास्तविक	1,714.53	2,067.00	2,142.49	2,065.39	1,982.39	(-) 4
विविध सामान्य सेवायें	बजट अनुमान	195.40	324.29	576.17	920.88	885.72	
	वास्तविक	353.09	686.10	846.36	963.85	700.90	(-) 27
पुलिस	बजट अनुमान	150.00	165.00	170.48	220.10	213.00	
	वास्तविक	143.54	192.07	167.27	240.03	162.02	(-) 33
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	बजट अनुमान	60.99	78.88	89.94	107.19	162.44	
	वास्तविक	110.99	85.50	147.38	133.21	161.98	(+) 22
वृहद एवं मध्यम सिचांई	बजट अनुमान	69.21	122.21	90.62	90.90	112.50	
	वास्तविक	91.83	87.21	80.62	67.08	68.72	(+) 2
वानिकी एवं वन्य जीवन	बजट अनुमान	61.60	56.05	66.67	80.20	111.65	
	वास्तविक	74.95	91.24	77.52	89.31	133.75	(+) 50
सार्वजनिक निर्माण	बजट अनुमान	75.75	75.75	65.00	74.76	79.51	
	वास्तविक	55.85	57.63	69.16	71.74	97.89	(+) 36
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	बजट अनुमान	48.17	61.88	61.00	105.07	108.99	
	वास्तविक	59.38	96.04	65.61	116.43	119.21	(+) 2
सहकारिता	बजट अनुमान	21.12	23.65	20.42	16.52	14.52	
	वास्तविक	22.38	22.02	18.80	16.88	14.64	(-) 13
अन्य कर-इतर प्राप्तियां[6]	बजट अनुमान	2,466.69	4,114.64	6,370.23	6,327.04	4,072.75	
	वास्तविक	4,182.24	5,910.19	6,871.38	5,830.12	3,704.24	(-) 36
योग	**बजट अनुमान**	**6,438.15**	**8,951.14**	**12,654.41**	**13,468.49**	**11,871.66**	
	वास्तविक	**9,175.10**	**12,133.59**	**13,575.25**	**13,229.50**	**10,927.87**	**(-) 17.40**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**45.77**	**32.24**	**11.88**	**(-)2.55**	**(-)17.40**	

[6] अन्य कर-इतर प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली-पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।

'वानिकी एवं वन्य जीवन' शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि (50 प्रतिशत) लकडी एवं अन्य वानिकी उत्पादों की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'सार्वजनिक निर्माण' शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि (36 प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत प्रभार की अधिक वसूली के कारण रही; 'अन्य प्रशासनिक सेवाएं' शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि (22 प्रतिशत) अन्य प्राप्तियों में अधिक प्राप्ति के कारण रही; 'अन्य कर-इतर प्राप्तियां' में गिरावट (36 प्रतिशत) कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट और डॉलर की विनिमय दर की विभिन्नता के कारण मुख्यतः पेट्रोलियम में रही; 'पुलिस प्राप्तियों' में गिरावट (33 प्रतिशत) अन्य सरकारों को पुलिस कार्मिक कम उपलब्ध कराने के कारण रही; 'अन्य प्रशासनिक सेवाएं' में गिरावट (27 प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में गारण्टी शुल्क में कम प्राप्ति के कारण रही और 'सहकारिता' में गिरावट (13 प्रतिशत) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से कम अनुदान प्राप्ति के कारण रही।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2016 को राजस्व की बकाया की राशि ₹ 4,815.91 करोड़ थी, जिनमें से ₹ 1,911.36 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2016 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढोत्तरी का प्रतिशत		31 मार्च 2016 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	3,731.29	4,077.56	9.28	1,592.87
2	परिवहन	63.13	53.00	(-)16.05	23.71
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	248.62	277.56	11.64	55.21
4	राज्य आबकारी	198.73	198.62	(-)0.06	195.21
5	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	189.52	209.17	10.37	44.36
	योग	**4,431.29**	**4,815.91**	**8.68**	**1,911.36**

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर।

जैसा कि उपरोक्त से पता चलता है कि गत वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2016 को बकाया की राशि में वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक और खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में क्रमशः 9.28 प्रतिशत, 11.64 प्रतिशत और 10.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि ₹ 1,911.36 करोड़ पांच वर्षों से अधिक से बकाया हैं। बकाया किस स्तर पर हैं, जानने के लिये विभागों को लिखा गया था, तथापि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा कारण नहीं बताये गये (जुलाई 2016)। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राशि ₹ 32.90 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकती क्योंकि यह न्यायिक प्राधिकरणों व न्यायालयों द्वारा जारी विभिन्न स्थगन आदेशों के अन्तर्गत आती है।

बकाया की शीघ्र वसूली हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

1.3 कर निर्धारण में बकाया

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण आगे तालिका 1.3 में दिया गया है ।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2015-16 के दौरान निर्धारण हेतु ड्यू नये प्रकरण	कुल ड्यू निर्धारण	वर्ष 2015-16 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम पांच का चार से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर	1,05,815	3,84,498	4,90,313	3,17,807	1,72,506	64.82
पंजीयन एवं मुद्रांक	6,071	5,272	11,343	6,525	4,818	57.52
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	9,774	17,428	27,202	18,280	8,922	67.20

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर ।

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि निस्तारित प्रकरणों का प्रतिशत पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में न्यूनतम रहा । विभाग को प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों एवं अतिरिक्त कर की मांग कायम के प्रकरणों का विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है ।

तालिका 1.4

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया प्रकरण	वर्ष 2015-16 के दौरान खोजे प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण कर शास्ति सहित अतिरिक्त मांग इत्यादि कायम की गयी		31 मार्च 2016 को निस्तारण हेतु बकाया प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
वाणिज्यिक कर	359	5,181	5,540	5,272	1,983.61	268

स्रोतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर ।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया कि वर्ष 2015-16 के दौरान कुल प्रकरणों में से 95.16 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया था । जबकि इन प्रकरणों के निपटारे में कितनी राशि की वसूली हुई, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2016) ।

1.5 धन वापसी के बकाया प्रकरण

विभागों द्वारा बताये अनुसार गत वर्ष 2015-16 के प्रारम्भ में धन वापसी के प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान धन वापसी के निपटाये गये प्रकरण एवं वर्ष 2015-16 के अंत में बकाया प्रकरणों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	279	221.04	1,096	5.35
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये दावे	4,028	458.68	2,118	31.47
3	वर्ष के दौरान निपटाये धन वापसी के प्रकरण	3,900	478.56	2,071	29.00
4	वर्ष के अंत में बकाया	407	201.16	1,143	7.82

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर विभाग एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में धन वापसी के बकाया प्रकरणों में वृद्धि रही। सम्बन्धित विभागों को बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से निस्तारित प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की मापक जांच के लिये महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2015 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 3,127 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,180.58 करोड़ राशि के 9,129 अनुच्छेद जून 2016 के अंत में बकाया थे। जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों का

विवरण, विगत दो वर्षों के आंकडों के साथ तालिका 1.6 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6

विवरण	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,896	2,932	3,127
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	9,477	8,964	9,129
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	4,592.63	3,206.77	3,180.58

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों में बकाया आक्षेपों और उनमें सन्निहित राजस्व राशि की यथेष्ट गिरावट रही ।

1.6.1 विभागवार 30 जून 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विवरण तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6.1

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	552	2,134	446.63
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	20	23	7.10
2	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	454	1,401	167.68
3	भू-राजस्व	भू-राजस्व	235	643	473.75
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,456	3,680	307.96
5	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	105	177	55.06
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	305	1,071	1,722.40
योग			**3,127**	**9,129**	**3,180.58**

यद्यपि, विगत वर्षों से तुलना करने पर बकाया आक्षेपों की संख्या तथा उसमें सन्निहित राशि की गिरावट सराहनीय है, पर अभी भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी कमियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है । वर्ष 2015-16 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा

समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6.2

क्र.सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	4	9	478	63.27
2	परिवहन	2	3	56	122.63
3	भू-राजस्व	0	9	61	134.89
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	4	10	534	19.64
5	राज्य आबकारी	4	3	16	37.95
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	4	1	64	32.65
	योग	**18**	**35**	**1,209**	**411.03**

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों में बैठकें आयोजित की गयीं जिनमें ₹ 411.03 करोड़ राशि के 1,209 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों को, महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें। सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में दर्शाया जाता है।

49 प्रारूप अनुच्छेद इस प्रतिवेदन के 42 अनुच्छेदों में संकलित, जिनमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उनके नाम से अप्रैल से सितम्बर 2016 के मध्य में प्रेषित किये गये थे। विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों द्वारा 11 प्रारूप अनुच्छेदों के उत्तर नहीं दिये गये जिनको उसी रूप में बिना सरकार के उत्तर के इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधान सभा की जनलेखा समिति के लिये वर्ष1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, विधान सभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगा तथा प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां विचार-विमर्श के लिये जनलेखा समिति को प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 185 अनुच्छेद शामिल

थे, को राज्य विधान सभा के समक्ष 26 अप्रैल 2012 तथा 29 मार्च 2016 के मध्य प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 75 दिवस विलम्ब से प्राप्त हुई। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित कुल 73 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और नौ अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को पांच प्रतिवेदनों (2015-16 और 2016-17) में सम्मिलित किया गया।

1.7 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

सरकार/विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनें में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुददों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/निरीक्षण प्रतिवदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विभाग का मूल्यांकन किया गया।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

31 जुलाई 2016 को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अवधि 2006-07 से 2015-16 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अंत में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2006-07	525	1,279	54.54	185	636	36.49	31	122	9.29	679	1,793	81.74
2007-08	679	1,793	81.74	184	596	5.75	134	432	10.62	729	1,957	76.87
2008-09	729	1,957	76.87	193	573	10.27	147	549	19.78	775	1,981	67.36
2009-10	775	1,981	67.36	175	473	32.01	96	382	18.00	854	2,072	81.37
2010-11	854	2,072	81.37	174	605	21.52	105	326	4.56	923	2,351	98.33
2011-12	923	2,351	98.33	214	735	37.49	74	307	9.33	1,063	2,779	126.49
2012-13	1,063	2,779	126.49	182	739	99.90	53	253	26.94	1,192	3,265	199.45
2013-14	1,192	3,265	199.45	179	596	72.37	65	340	17.54	1,306	3,521	254.28
2014-15	1,306	3,521	254.28	246	800	108.27	172	705	48.69	1,380	3,616	313.86
2015-16 जुलाई 2016 तक	1,380	3,616	313.86	214	626	45.68	133	551	48.03	1,461	3,691	311.51

पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय व विभाग के मध्य लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। यद्यपि, विभाग द्वारा पुराने निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुच्छेदों के निस्तारण की प्रगति जारी है, सारभूत परिणाम के लिये और प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रकरणों में से स्वीकार किये गये पैराओं और वसूली की स्थिति

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सम्बन्धित विगत दस वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष 2015-16 के दौरान वसूली गयी राशि	स्वीकार्य प्रकरणों में वसूली 30 जून 2016 तक की समेकित स्थिति
2005-06	3	4.66	3	1.26	-	0.38
2006-07	3	103.24	3	100.86	-	3.18
2007-08	6	58.36	5	4.14	-	0.90
2008-09	4	11.60	4	11.60	-	2.76
2009-10	5	27.31	4	26.90	-	0.67
2010-11	1	29.78	1	26.74	0.47	7.65
2011-12	7	6.04	6	5.91	0.03	1.98
2012-13	8	81.03	8	58.34	0.84	1.70
2013-14	10	73.10	9	28.89	5.40	5.40
2014-15	10	51.65	10	51.65	2.74	2.74
योग	**57**	**446.77**	**53**	**316.29**	**9.48**	**27.36**

विभाग द्वारा 10 वर्षों के दौरान राशि ₹ 446.77 करोड़ के 57 अनुच्छेदों जिनमें से ₹ 316.29 करोड़ के 53 अनुच्छेदों को विभाग द्वारा पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका था, के विरूद्ध केवल ₹ 27.36 करोड़ की वसूली की जा सकी। आक्षेपों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 8.65 प्रतिशत की ही वसूली हुई थी।

विभाग को स्वीकार किये गये प्रकरणों में शामिल राशि की वसूली पर निगरानी एवं गति देने हेतु शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण, जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिश, गत पांच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि शामिल हैं, के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, 410 इकाईयों की योजना बनायी गयी और सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी। 'राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लान्टों की कार्य प्रणाली' पर निष्पादन

लेखापरीक्षा के अतिरिक्त 'राजस्थान में खानों का आवंटन' और 'राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरण लेखापरीक्षा' भी की गयी । 'राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरण लेखापरीक्षा' के परिणाम पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 391 इकाईयों के अभिलेखों की मापक जांच में 31,419 प्रकरणों में ₹ 908.63 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला । वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के निहित राशि ₹ 252.78 करोड़ के 17,293 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 128.03 करोड़ राशि के 11,972 प्रकरण वर्ष 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे । वर्ष 2015-16 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 7,337 प्रकरणों में ₹ 142.34 करोड़ वसूल किये ।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 272.49 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 42 अनुच्छेद (उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा के दौरान या पूर्व के वर्षों में जिनका पता चला किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके) समाहित हैं जिनमें 'राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लान्टों की कार्य प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है ।

विभाग/सरकार ने ₹ 216.14 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कीं, जिनमें ₹ 5.10 करोड़ वसूल भी कर लिये गये । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए या संतोषप्रद नहीं पाये गये । इन सभी पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गयी है ।

अध्याय-II

बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

अध्याय-II : बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/वैट अधिनियम एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करवाना, शासन स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है । आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख है, जिनकी सहायता हेतु 26 अतिरिक्त आयुक्त, 47 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 402 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक वित्तीय सलाहकार है । सम्बन्धित कर अधिनियमों एवं नियमों को लागू करवाने में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ सहयोग प्रदान करते हैं ।

वैट और प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान वैट अधिनियम, 'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम' एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनियमित होते हैं ।

2.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है । यह समूह परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच कर अधिनियमों एवं नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करता है ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा की गयी इकाईयों की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाईयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयां	लेखापरीक्षा के शेष रही इकाईयां	कमी प्रतिशतता में
2011-12	93	384	477	411	66	14
2012-13	66	384	450	267	183	41
2013-14	183	414	597	287	310	52
2014-15	310	413	723	471	252	35
2015-16	252	413	665	181	484	73

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य में 14 से 73 प्रतिशत के मध्य कमी रही ।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2015-16 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,903 अनुच्छेद बकाया थे । वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2010-11 तक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	योग
अनुच्छेदों की संख्या	10,933	1,431	1,364	1,237	1,080	1,858	**17,903**

वृहद् संख्या में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा बताये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु कदम नहीं उठा रहा है।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 में 71 इकाईयों के वैट/बिक्री कर निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 1,570 प्रकरणों में ₹ 214.14 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें पायी गयी, जो तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों में दर्शायी गयी हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर एक अनुच्छेद	1	13.51
2	कर का अवनिर्धारण	326	142.42
3	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	49	5.65
4	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर चोरी	106	30.36
5	इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकार करना	424	16.60
6	अन्य अनियमिततायें: (i) राजस्व से सम्बन्धित (ii) व्यय से सम्बन्धित	 559 105	 5.40 0.20
	योग	**1,570**	**214.14**

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने 636 प्रकरणों में ₹ 21.97 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से राशि ₹ 1.20 करोड़ राशि के 31 प्रकरण वर्ष 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2015-16 के दौरान 105 प्रकरणों में ₹ 2.72 करोड़ की राशि वसूल/समायोजित की गई जिसमें से ₹ 0.21 करोड़ के 7 प्रकरण वर्ष 2015-16 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

लेखापरीक्षा द्वारा सरकार को ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जाने के पश्चात विभाग ने इसको स्वीकार करते हुए ₹ 18.24 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली। इस प्रतिवेदन में इसकी चर्चा नहीं की गयी है।

'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर एक अनुच्छेद जिसमें राशि ₹ 13.51 करोड़ सन्निहित है एवं ₹ 12.70 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों के कुछ उदाहरण आगे के अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

2.4 राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण

2.4.1 प्रस्तावना

प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (आरईटी अधिनियम) तथा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 (आरईटी नियम) तथा इनके अधीन जारी अधिसूचनाओं से शासित होता है। स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिये अधिसूचित माल के प्रवेश पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों से प्रवेश कर आरोपणीय है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने समय-समय पर धारा 9 के अन्तर्गत अधिसूचनायें जारी की थी तथा ऐसे अधिसूचित माल पर अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय कर से इस शर्त पर छूट प्रदान की थी कि इस माल पर राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय कर का भुगतान कर दिया गया है। आरईटी अधिनियम राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) द्वारा प्रशासित होता है। आरईटी अधिनियम पात्र व्यवहारियों[1] के पंजीकरण, आवधिक विवरणियों की प्रस्तुति तथा व्यवहारियों द्वारा स्वतः निर्धारण का प्रावधान करता है।

'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999' के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर 2012-13 से 2014-15 (यथा वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के निर्धारणों हेतु) की अवधि हेतु अधिसूचित माल पर प्रवेश कर के भुगतान के सम्बन्ध में क्रेता व्यवहारियों द्वारा अनुपालना की जांच के लिये एक लेखापरीक्षा की गयी। चयनित अधिसूचित माल[2] के अन्य राज्यों[3] में स्थित छः निर्माताओं/विक्रेताओं से सूचनायें संग्रहित की गयी तथा उनका राजस्थान के क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारण अभिलेखों से मिलान किया गया। विभागीय वेबसाईट राजविस्टा[4] पर माल के खरीद एवं बिक्री सम्बन्धी उपलब्ध सूचनाओं को भी एकत्र किया गया तथा अधिसूचित माल के क्रेता व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों से आपसी मिलान किया गया। इन परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

2.4.2 पंजीकरण तथा विवरणियां

आरईटी अधिनियम की धारा 11 निर्धारित करती है कि एक व्यवहारी जो स्थानीय क्षेत्र में अधिसूचित माल लाता है तो वह स्वयं को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराने का उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राजस्थान वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर जैसे अन्य अप्रत्यक्ष करों को भी शासित किया जाता है। इन करों के लिये पंजीकृत व्यवहारी घोषणा-प्रपत्र

[1] प्रत्येक व्यवहारी, जिसने किसी एक वर्ष में आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य माल जिसका कुल मूल्य ₹ एक लाख से कम न हो, लाया या प्राप्त किया हो तो वह इस अधिनियम में स्वयं को पंजीकृत कराने का दायी था।
[2] जनरेटर सेटस, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, क्रेन, मोटर व्हीकल्स, डाईज एण्ड केमीकल्स तथा एक्सप्लोजिव।
[3] आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू एण्ड कश्मीर, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश।
[4] राजविस्टा : यह विभाग द्वारा कार्यालयी उपयोग हेतु एक वेबसाईट है।

वैट-47[5] तथा सीएसटी प्रपत्र 'सी'[6] के उपयोग द्वारा माल की खरीद की सूचना विभाग को देते हैं। ये सभी सूचनायें विभागीय अभिलेखों तथा वेबसाईट राजविस्टा पर उपलब्ध थी तथा विभाग के समस्त कर निर्धारण प्राधिकारियों को सुलभ थी। तथापि, विभागीय सूचना पद्धति को इस तरह से विकसित नहीं किया गया था कि अन्य राज्यों से की गयी खरीद जिन्हें व्यवहारियों ने प्रपत्र 'सी' तथा वैट-47 में दर्शाया है का मिलान किया जा सके (जैसाकि अनुच्छेद 2.4.4 में विस्तृत चर्चा की गयी है)। इसके अभाव में, कर निर्धारण प्राधिकारी प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत पात्र व्यवहारियों, जो कि प्रवेश कर की वंचना कर रहे थे, को पहचानने एवं पंजीकरण करने में सक्षम नहीं थे।

विभागीय अभिलेखों तथा वेबसाईट राजविस्टा पर उपलब्ध सूचनाओं के विश्लेषण से पाया गया कि करवंचना करने वाले 231 व्यवहारियों में से 143 व्यवहारी आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे। इसके अतिरिक्त, पांच राज्यों के विक्रेता व्यवहारियों से आयातित अधिसूचित माल से सम्बन्धित एकत्रित सूचनाओं से पता चला कि करवंचना कर रहे 238 व्यवहारियों में से 151 व्यवहारी इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे। इस प्रकार, यह पाया गया कि मापक जांच किये गये व्यवहारियों (469 व्यवहारी[7]) के 62 प्रतिशत (294 व्यवहारी) आरईटी अधिनियम में पंजीकृत नहीं पाये गये, जो प्रवेश कर की वंचना कर रहे थे।

सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2016) कि अप्रैल 2014 में विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। हालांकि, तथ्य यह थे कि ये सामान्य निर्देश थे तथा सूचनाओं का उपयोग कर आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरदायी व्यवहारियों को पंजीकृत करने के लिये विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2016)।

विवरणी प्रपत्र में कमी

जून 2015 तक राजस्थान वैट अधिनियम तथा आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पृथक-पृथक विवरणी प्रपत्र थे। इसके पश्चात दोनों विवरणी प्रपत्रों को समाहित कर दिया गया तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत टर्नओवर दर्शाने हेतु संशोधित प्रपत्र वैट-10 तथा वैट-10ए निर्दिष्ट किये गये (जुलाई 2015)। संशोधित विवरणी प्रपत्रों की जांच से ज्ञात हुआ कि आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक को दर्शाने के लिये कोई कॉलम निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसके अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या व्यवहारी आरईटी अधिनियम में पंजीकृत थे।

2.4.3 प्रवेश कर का कम/अनारोपण

राज्य सरकार द्वारा आरईटी अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत दिनांक 8 मार्च 2006 तथा 9 मार्च 2011 को अधिसूचनायें जारी कर अधिसूचित माल को व्यवहारी द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग या बिक्री के लिये लाये जाने पर अधिसूचना में दर्शायी गयी दरों पर देय कर को निर्दिष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 34ए के अनुसार विलम्ब से भुगतान करने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ब्याज भी देय था।

[5] वैट-47 प्रपत्र : अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान विनिर्दिष्ट माल के आयात के लिये आवश्यक घोषणा-प्रपत्र।
[6] 'सी' प्रपत्र : अन्तर्राज्यीय क्रय के दौरान माल के क्रय पर कर की रियायती दर का लाभ लेने हेतु सीएसटी घोषणा-प्रपत्र।
[7] कुल 469 व्यवहारीः विभाग के पास उपलब्ध सूचनायेंः 231 व्यवहारी तथा अन्य राज्यों से सूचनायें एकत्रः 238 व्यवहारी।

2.4.4 विभाग में उपलब्ध सूचनाओं को उपयोग में नहीं लिये जाने से प्रवेश कर का अनारोपण

जो व्यवहारी अधिसूचित माल पर प्रवेश कर चुकाने हेतु दायी थे उनका नाम/टिन राजविस्टा द्वारा इंगित नहीं किया जाता था। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा भी प्रवेश कर चुकाये जाने योग्य व्यवहारियों को चिन्हित करने के लिये इस पद्धति का उपयोग नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा द्वारा मापक जांच के लिये कुछ करापवंचन योग्य वस्तुओं का चयन किया गया था। इन वस्तुओं से सम्बन्धित सूचनायें राजविस्टा/विभागीय अभिलेखों से एकत्र की गई एवं सम्बन्धित व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों से आपसी मिलान किया गया।

राजविस्टा एवं वैट निर्धारण अभिलेखों पर उपलब्ध खरीद/बिक्री विवरणों के विश्लेषण से पाया गया कि 231 व्यवहारियों ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान राशि ₹ 203.05 करोड़ का माल यथाः एयर कन्डीशनर्स, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव, फर्नेन्श ऑयल, पेट कोक, हाई स्पीड डीजल, कम्प्यूटर्स एवं उनकी एसेसरीज, इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रोनिक सामान, ट्रान्सफार्मर्स, लुब्रीकेन्ट ऑयल, डीजी सैट्स, वे-ब्रिज, हाइड्रोलिक एक्सेवेटर्स, क्रेन (माइनिंग इक्यूपमेन्ट), पी.पी./एचडीपीई बैग्ज एवं फेब्रिक्स, मोटर व्हीकल्स एवं एचडीपीई आयात किया। इस माल की क्रेता व्यवहारियों द्वारा बिक्री नहीं की गयी थी। इस माल पर व्यवहारियों द्वारा न तो वैट एवं न ही प्रवेश कर चुकाया गया। इसलिये, व्यवहारी इस माल पर ₹ 5.91 करोड़ का प्रवेश कर चुकाने हेतु उत्तरदायी थे। किन्तु, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के प्रवेश कर पंजीकरण एवं निर्धारण के लिये इन सूचनाओं का उपयोग नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 1.96 करोड़ सहित प्रवेश कर ₹ 7.87 करोड़ का अनारोपण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि 11 प्रकरणों में ₹ 25 लाख की मांग कायम कर दी गयी थी। शेष प्रकरणों के उत्तर या तो प्राप्त नहीं हुये या आवश्यक दस्तावेजों से समर्थित नहीं थे (अक्टूबर 2016)।

2.4.5 अन्य राज्यों के साथ सूचनाएं साझा करने के तंत्र का अभाव

विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं की जांच करने पर पाया गया कि राजस्व रिसाव को रोकने के लिए विभाग ने अन्य राज्यों के वाणिज्यिक कर विभाग से सूचनायें एकत्र करने के कोई प्रयास नहीं किये। राजस्व रिसाव की जांच करने के लिये लेखापरीक्षा ने अन्य राज्यों के डीजल जनरेटिंग सेट्स, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, क्रेन (माइनिंग इक्यूपमेंट) तथा मोटर व्हीकल्स आदि के छः विक्रेता व्यवहारियों[8] से अवधि 2010-11 से 2012-13 की बिक्री का विवरण एकत्रित किया तथा राजस्थान राज्य के क्रेता व्यवहारियों की विवरणियों तथा कर निर्धारण अभिलेखों से उनका आपसी मिलान किया।

अन्य राज्यों से एकत्रित क्रय विवरणों का विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के साथ आपसी सत्यापन करने पर पाया गया कि 238 व्यवहारियों ने राशि ₹ 87.95 करोड़ का अधिसूचित माल प्रवेश

[8] मैसर्स सुधीर जेनसेट, जम्मू (जम्मू एण्ड कश्मीर), मैसर्स वोल्वो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरू (कर्नाटक), मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), मैसर्स इण्डस्ट्रीयल ट्रेड लिंक, अहमदाबाद (गुजरात), मैसर्स सोलर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश) तथा मैसर्स क्रेनेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।

कर चुकाये बिना क्रय किया। क्रेताओं द्वारा इस माल की बिक्री नहीं की गई थी। व्यवहारियों ने इस माल पर न तो वैट एवं ना ही प्रवेश कर चुकाया। इसलिए ये व्यवहारी, इस माल पर राशि ₹ 3.42 करोड़ का प्रवेश कर चुकाने के लिये उत्तरदायी थे। चूंकि विभाग के पास ये सूचनायें उपलब्ध नहीं थी, कर निर्धारण प्राधिकारी इन व्यवहारियों द्वारा की गई कर अपवंचना का पता नहीं लगा सकें।

इसके परिणामस्वरूप, ब्याज ₹ 1.36 करोड़ सहित कर ₹ 4.78 करोड़ का अनारोपण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि 35 प्रकरणों में ₹ 88 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी, जिसमें से ₹ 13 लाख की वसूली हो चुकी थी। शेष प्रकरणों के प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2016)।

2.4.6 आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत कर में छूट

आरईटी अधिनयम की धारा 9 के अनुसार, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके व्यवहारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से आंशिक अथवा पूर्ण छूट दे सकती है। यह पाया गया कि राज्य सरकार ने व्यवहारियों को छूट प्रदान करने हेतु कई अधिसूचनाएं जारी की थी। कुछ अधिसूचनाओं की जांच में पाया गया कि छूट प्रदान करते समय, राज्य सरकार ने अधिसूचनाओं में वर्णित नियम व शर्तो पर निगरानी रखने के लिए कोई भी विवरणी या प्रारूप निर्धारित नहीं किया। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अधिसूचनाओं में निर्धारित नियम व शर्तो की व्यवहारियों द्वारा की जा रही पालना को सुनिश्चित करने पर निगरानी नहीं रखी। ऐसे कुछ प्रकरणों का वर्णन नीचे किया गया हैः

2.4.6.1 कर में अनियमित छूट देना

राजविस्टा पर उपलब्ध अधिसूचनाओं में पाया गया कि सरकार द्वारा 14 इकाईयों को एक निश्चित की गई सीमा तक प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी। इनमें से तीन इकाईयों की मापक जांच की गयी।

वृत्त विशेष-II कोटा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि राज्य सरकार ने दिनांक 8 अप्रैल 2011 को अधिसूचना जारी करके एक व्यवहारी (मैसर्स अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड़, कोटा, आरईटी/2001/ एन-01064) को एक पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु केपिटल गुड्स, प्लांट एवं मशीनरी एवं उसके पुर्जे की खरीद पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की। व्यवहारी द्वारा उपयोग में लिये गये 'सी' प्रपत्रों की सूचना जो राजविस्टा पर उपलब्ध थी, के विश्लेषण में पाया गया कि व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 की अवधि में राशि ₹ 20.88 करोड़ का हाई स्पीड डीजल एवं फर्नेन्श ऑयल का आयात किया। इस माल को उक्त अधिसूचना में कर से छूट नहीं दी गयी थी। फिर भी व्यवहारी ने इस खरीद पर न तो प्रवेश कर का भुगतान किया ना ही इस खरीद को विवरणियों में दर्शाया।

कर निर्धारण प्राधिकारी ने इस व्यवहारी के प्रवेश कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2015) इस माल पर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया एवं त्रुटिपूर्ण रूप से इस माल को उक्त अधिसूचना में शामिल मान लिया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 19 लाख सहित प्रवेश कर ₹ 82 लाख का अनारोपण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि ब्याज ₹ 23 लाख सहित ₹ 75 लाख की मांग कायम कर दी गयी है (जुलाई 2016)। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.4.6.2 व्यवहारियों को दी गयी छूट पर निगरानी नही किया जाना

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2009 द्वारा मैसर्स राजवेस्ट पॉवर लिमिटेड, भादरेश (बाड़मेर) को भादरेश (बाड़मेर) में पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु अधिसूचित माल के प्रवेश पर देय कर के भुगतान से छूट प्रदान की। यह छूट माल की एक विशिष्ट मात्रा एवं राशि के लिए ही दी गयी थी। बाद में अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी 2012 द्वारा इस निर्दिष्ट सीमा में वृद्धि की गयी।

इसी प्रकार, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2012 द्वारा मैसर्स रीगन पॉवरटेक प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर को उदयपुर के समीप पवन विद्युत जनरेटर्स तथा टावर के निर्माण के लिए प्लांट एवं मशीनरी के रूप में उपयोग हेतु लाये गये अधिसूचित माल पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की। यह छूट भी माल की एक विशिष्ट मात्रा एवं राशि के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु दी गई थी।

वृत्त विशेष-II उदयपुर एवं बाड़मेर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (फरवरी एवं मई 2016) कि व्यवहारियों द्वारा उपभोग की गयी छूट की मात्रा पर निगरानी रखने के लिये न तो मैनुअली कोई अभिलेख संधारित किये गये और ना ही कोई आईटी पद्धति काम में ली गई। मैसर्स रीगन पॉवरटेक प्राईवेट लिमिटेड के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी को आयातित माल एवं उपयोग में ली गयी छूट का विवरण उपलब्ध कराने हेतु सूचना पत्र जारी किया। फिर भी, मांगी गयी सूचनायें व्यवहारी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसलिये वांछित अभिलेखों के अभाव में उपयोग में ली गयी छूट की सत्यता/शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि मैसर्स रीगन पॉवरटेक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पूंजीगत की गयी सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है तथा मैसर्स राजवेस्ट पावर लिमिटेड ने डीजी सेट्स की खरीद का विवरण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा के बताये जाने के पश्चात ही व्यवहारियों ने विवरण प्रस्तुत किये थे। व्यवहारियों द्वारा उपयोग में ली गयी छूट की मात्रा पर निगरानी रखने हेतु विभाग को एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

2.4.7 लेखापरीक्षा के बताये जाने पर मांग की वसूली किया जाना

तीन वाणिज्यिक कर कार्यालयों[9] के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान ध्यान में आया कि पांच व्यवहारियों ने राशि ₹ 4 लाख के प्रवेश कर की वंचना की। ध्यान में लाये जाने पर (अगस्त 2016), सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि राशि ₹ 4 लाख के कर एवं ब्याज की वसूली की जा चुकी है।

[9] वा.क.अ.: अलवर विशेष, दौसा तथा मकराना।

2.4.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

प्रवेश कर का किसी भी प्रकार का रिसाव सरकार के राजस्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। यद्यपि विभाग के पास आवश्यक सूचनायें उपलब्ध थी किन्तु ऐसे पात्र व्यवहारियों को प्रवेश कर के दायरे में लाने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी। व्यवहारियों को कर से छूट देते समय अधिसूचनाओं में वर्णित नियम व शर्तों पर निगरानी रखने के लिये कोई भी विवरणी या प्रारूप निर्धारित नहीं किये गये। आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक को दर्शाने के लिये संशोधित विवरणी प्रपत्र में कोई कॉलम निर्दिष्ट नहीं किया गया। विवरणी में पंजीयन क्रमांक के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यवहारी आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत थे।

सरकार को चाहिए कि विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करते हुए पात्र व्यवहारियों को आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत लाने हेतु एक प्रणाली विकसित करें। इसके अलावा राजस्व रिसाव को रोकने के लिये सरकार को चाहिए कि विशिष्ट अथवा करवंचन योग्य वस्तुओं के खरीद/बिक्री से सम्बन्धित सूचनाओं का अन्य राज्यों के साथ आदान-प्रदान करने अथवा साझा करने हेतु एक प्रणाली विकसित करें। व्यवहारी द्वारा ली गयी छूट की मात्रा को दर्शाने हेतु विवरणियों में एक विशिष्ट प्रारूप को निर्दिष्ट किया जाये। साथ ही, विवरणी के प्रारूप में आरईटी के पंजीयन क्रमांक को अंकित करने हेतु एक नया कॉलम बनाया जा सकता है।

2.5 कर में अनियमित आंशिक छूट

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार माल की बिक्री पर अधिनियम की अनुसूचियों में दी गयी दर से कर देय है। इसके अलावा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 8(3) एवं धारा 8(5) में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के वर्ग को जो अनुसूची-II में दर्शाये गये हैं बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्त सहित जो अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, कर में छूट प्रदान कर सकती है। इस धारा के तहत प्रत्येक अधिसूचना जारी होने के उपरांत यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, 30 दिन से अन्यून समयावधि के लिए रखी जायेगी जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाहित हो सकेगी।

राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-VI के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान हाई स्पीड डीजल पर कर की दर 18 प्रतिशत थी। तथापि, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2008 में दी गयी शर्तों के अधीन भारतीय रेलवे उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, जयपुर (एनडब्ल्यूआर) को हाई स्पीड डीजल पर 10 प्रतिशत से अधिक कर दर की छूट दी। इन शर्तों में से एक शर्त यह थी कि यह छूट तभी उपलब्ध होगी जब ऊपर वर्णित क्षेत्र अपने हाई स्पीड डीजल की आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण रूप से केवल राजस्थान राज्य से ही करेगा। इसी क्रम में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया (10 दिसम्बर 2008) कि एनडब्ल्यूआर अपनी आवश्यकता की सम्पूर्ण पूर्ति राजस्थान से करेगा जो कि किसी भी दशा में एनडब्ल्यूआर द्वारा की गई हाई स्पीड डीजल की कुल खरीद के 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

विभाग से एकत्र की गयी सूचना (जनवरी 2016) के अनुसार तीन व्यवहारियों[10] ने वर्ष 2012-13 में कर दर 10 प्रतिशत पर एनडब्ल्यूआर को राशि ₹ 1,045.60 करोड़ की हाई स्पीड डीजल की बिक्री की। एनडब्ल्यूआर द्वारा वर्ष 2012-13 के लिये सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत की गयी सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि एनडब्ल्यूआर ने वर्ष के दौरान अन्य राज्यों से 7.22 से 9.23 प्रतिशत हाई स्पीड डीजल की खरीद की। कर निर्धारण प्राधिकारी ने एनडब्ल्यूआर को राशि ₹ 83.65 करोड़ की आंशिक छूट दी।

यह देखा गया कि हाई स्पीड डीजल पर कर की दर को शासित करने वाली शर्त को, वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करना आवश्यक था। इसलिये एनडब्ल्यूआर को दी गयी आंशिक कर छूट ₹ 83.65 करोड़ अधिसूचना में शामिल नहीं होती।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि अधिसूचना के क्रम में ही स्पष्टीकरण (10 दिसम्बर 2008) जारी किया गया था। इसके अलावा यह सूचित किया गया कि अधिसूचना के प्रारूप का वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के बाद लिये गये निर्णय से अवगत करा दिया जायेगा (अक्टूबर 2016)।

2.6 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

2.6.1 राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI के अनुसार सभी प्रकार के मोटर वाहनों एवं इसके पार्टस व एसेसरीज के विक्रय पर 15 प्रतिशत की दर से कर देय था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 55 के अनुसार कर के भुगतान में विलम्ब पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय था।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त एच, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (जून 2015) में पाया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2011-12 में कर योग्य माल लीफ स्प्रिंग ₹ 4.55 करोड़ की बिक्री पांच प्रतिशत कर दर से की। लीफ स्प्रिंग मोटर वाहन का पार्ट है, जिस पर 15 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय 15 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 45.47 लाख एवं ब्याज ₹ 19.09 लाख (मार्च 2015 तक गणनानुसार) का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2015) तथा सरकार को सूचित किया (जुलाई 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि ₹ 65.47 लाख (कर ₹ 45.47 लाख, ब्याज ₹ 20 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 2.27 लाख वसूल कर लिये गये। शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

[10] मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.।

2.6.2 राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V के अनुसार जो वस्तु अधिनियम की किसी भी अनुसूची में दर्ज नहीं है पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । 'ब्रान्डेड पोटेटो चिप्स' किसी भी अनुसूची में दर्ज नहीं थे इसलिये इस पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-IV, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (नवम्बर 2015) में पाया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में ब्रान्डेड पोटेटो चिप्स क्रमशः ₹ 1.59 करोड़ एवं ₹ 5.66 करोड़ की बिक्री सही दर 14 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत की दर से की। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप (जनवरी एवं नवम्बर 2014) देते समय 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया । इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 65.27 लाख एवं ब्याज ₹ 21.30 लाख (मार्च 2015 तक गणनानुसार) का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2015) तथा सरकार को सूचित किया (दिसम्बर 2015) । सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि ₹ 94.40 लाख (कर ₹ 65.27 लाख, ब्याज ₹ 29.13 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 10.21 लाख वसूल कर लिये गये है । शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.7 कर मुक्ति शुल्क का कम आरोपण

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना (11 अगस्त 2006) जारी कर कार्य संविदा करने वाले पंजीकृत ठेकेदारों को कार्य संविदा के निष्पादन के दौरान स्थानान्तरित सम्पत्ति में प्रयुक्त माल पर आरोपणीय कर के भुगतान पर छूट इस शर्त पर दी कि कर निर्धारण प्राधिकारी करमुक्ति प्रमाण-पत्र (ईसी) जारी करेगा तथा ऐसे ठेकेदार नीचे दर्शायी दरों पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान करेंगे:

क्र.सं.	कार्य संविदा का विवरण	करमुक्ति शुल्क की दर (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)
1	कार्य संविदा जहां सामग्री की लागत कुल संविदा मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक ना हो (9 मार्च 2010 से प्रभावी)	0.25
2	भवन, सडक, पुल, बांध, नहर, सीवरेज सिस्टम से संबंधित कार्य संविदाएं	1.50
3	पीएसपीओ सहित प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, माल सहित पाईप लाइन बिछाने से संबंधित कार्य संविदाएं	2.25
4	उपरोक्त मदों में सम्मिलित कार्य संविदा के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की कार्य संविदा	3.00

एक कार्य संविदा आदेश, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य (कम्पोजिट कार्य संविदा) दिये गये हों, वह ऊपर दी गयी अधिसूचना के क्रम संख्या एक से तीन में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए कम्पोजिट कार्य संविदा पर तीन प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क आरोपणीय था।

इसके अलावा, अतिरिक्त आयुक्त (वैट एवं आईटी), वाणिज्यिक कर विभाग ने राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 36[11] के अन्तर्गत निर्णय दिया कि 'सिविल निर्माण कार्य' अधिसूचना के क्रम संख्या चार में शामिल होता है, इसलिए तीन प्रतिशत की दर से ईसी जारी की जानी चाहिए।

2.7.1 सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, वृत्त अलवर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (जनवरी 2016) में पाया कि दो व्यवहारियों ने दो ईसी, एक 'रॉ वाटर रिजरवायर के निर्माण' व दूसरा 'सिविल निर्माण कार्य' संविदा मूल्य ₹ 36.50 करोड़ के लिये आवेदन किया। कार्य आदेशों की संवीक्षा में पाया कि 'रॉ वाटर रिजरवायर का निर्माण' एवं 'सिविल निर्माण कार्य' अधिसूचना की तालिका के क्रम संख्या 1 से 3 की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इन पर अधिसूचना की तालिका के क्रम संख्या 4 के अनुसार तीन प्रतिशत की दर से ईसी जारी की जानी चाहिए थी। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन कार्यों के लिये सही दर 3 प्रतिशत की बजाय 1.5 प्रतिशत की दर से ईसी जारी कर दी। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 54.75 लाख कम आरोपित हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में किये गये कार्य के लिये कर ₹ 22.77 लाख व ब्याज ₹ 15.52 लाख की मांग कायम कर दी गयी। शेष मांग करमुक्ति शुल्क ₹ 31.98 लाख की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.7.2 सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (जून 2015) में पाया गया कि एक व्यवहारी को कम्पोजिट कार्य के लिये चार कार्य संविदायें मूल्य ₹ 13.49 करोड़ की जारी की गई। कर निर्धारण प्राधिकारी ने इस व्यवहारी को इन कम्पोजिट कार्यों के मूल्य पर सही दर 3 प्रतिशत के स्थान पर दर 2.25 प्रतिशत से ईसी जारी कर दी। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क राशि ₹ 10.12 लाख कम आरोपित हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2015) तथा सरकार को सूचित किया गया (जुलाई 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि कर ₹ 10.12 लाख व ब्याज ₹ 5.66 लाख की मांग कायम कर दी गयी एवं ₹ 1.01 लाख वसूल कर लिये गये हैं। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.8 आस्थगित कर की वसूली का अभाव

अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार 'उद्योगों के लिये राजस्थान बिक्री कर/ केन्द्रीय बिक्री कर मुक्ति योजना 1998' के अन्तर्गत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को देय कर के भुगतान को योजना में वर्णित सीमा तक आस्थगित करने की अनुमति प्रदान की गयी। अधिसूचना के पैरा 7 के अनुसार एक तिमाही का आस्थगित कर उस तिमाही के सात वर्षों के पश्चात् 15 दिनों के अंदर बिना ब्याज के भुगतान योग्य था। इसके अतिरिक्त अधिसूचना के पैरा 8 के अनुसार किसी प्रकरण में आस्थगित कर का भुगतान समय पर नहीं

[11] यह धारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर को विवादित प्रश्न पर निर्णय देने के लिये निर्धारित तरीके से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर आदेश पारित कर निर्णय देने की शक्ति प्रदान करती है।

होता है तो ऐसी चूक की तिथि को समस्त आस्थगित राशि ऐसे भुगतान के चूक के प्रथम दिवस से मय ब्याज के वसूलनीय होगी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'ब', हनुमानगढ़ के अभिलेखों की मापक जांच (जुलाई 2015) में पाया गया कि एक व्यवहारी जो कि करमुक्ति योजना का लाभ ले रहा था ने अधिसूचना के अनुसार कर को आस्थगित करने का विकल्प चुना तथा वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-12 के दौरान कर राशि ₹ 20.20 लाख को आस्थगित किया। अधिसूचना के अनुसार व्यवहारी जुलाई 2013 से तिमाही आधार पर उस आस्थगित कर को भुगतान के लिये दायी था। व्यवहारी ने निर्धारित अवधि में आस्थगित कर का भुगतान नहीं किया। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने आस्थगित कर मय ब्याज की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर ₹ 20.20 लाख तथा ब्याज ₹ 4.14 लाख (मार्च 2015 तक) की वसूली नहीं हुई।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2015) तथा सरकार को सूचित किया (अगस्त 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि व्यवहारी को अवधि 2006-07 से 2012-13 के लिये कर ₹ 20.20 लाख का आस्थगन गलत दिया गया जिसे कम करके ₹ 14.52 लाख कर दिया गया। व्यवहारी ने आस्थगित कर राशि ₹ 7.34 लाख को जमा करा दिया (अगस्त 2016)। फिर भी, विभाग ने उत्तर नहीं दिया कि क्या अस्वीकृत आस्थगित राशि ₹ 5.68 लाख की वसूली हो गयी थी। इसके अलावा शेष आस्थगित कर राशि ₹ 7.18 लाख व इस पर देय ब्याज की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.9 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत अधिक सब्सिडी प्रदान करना

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (योजना) के पैरा 7(i)(बी) सपठित परन्तुक के अनुसार आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधिकरण के प्रकरण में सब्सिडी की अधिकतम सीमा गत तीन वर्षो में अधिकतम देय कर या जमा कर जो भी अधिक हो, से अधिक देय अथवा जमा कराये गये अतिरिक्त कर राशि[12] के अधिकतम 75 प्रतिशत तक थी। इसके अलावा स्कीम के पैरा 10 के अनुसार किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में सब्सिडी देने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित सब्सिडी राशि वसूलनीय थी।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया (10 अक्टूबर 2008) कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के तहत प्रोत्साहन योजना, 1987, 1989 एवं 1998 के अन्तर्गत इकाईयों को कर के भुगतान से छूट देय थी लेकिन इकाईयों द्वारा उत्पादित माल को छूट देय नहीं थी। इसके अनुसार इन इकाईयों के कर योग्य टर्नओवर पर आरोपणीय कर राशि ही इनके लिये देय कर था। यह भी स्पष्ट किया गया था (10 अक्टूबर 2008) कि कर के आस्थगन का लाभ ले रही इकाई के मामलें में, यदि वह इकाई भुगतान योग्य कर में से किसी भाग को जमा करा देती है तब सब्सिडी की राशि आनुपातिक रूप से ही दी जायेगी।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त भीलवाड़ा के कर निर्धारण अभिलेखों, की मापक जांच (जून 2015) में पाया कि एक व्यवहारी को योजना की श्रेणी 'विस्तार मय आधुनिकीकरण और

---

[12] राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर या वैट।

विविधिकरण' के अन्तर्गत 9 मार्च 2007 से ब्याज सब्सिडी के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया (जनवरी 2010)। अवधि 2003-04 से 2005-06 में (तुरन्त पिछले तीन वर्ष), व्यवहारी ने प्रोत्साहन योजना (1987, 1989 व 1998) और अधिसूचना दिनांक 6 मई 1986[13] के अन्तर्गत आंशिक छूट/आस्थगन का लाभ लिया। इस अवधि में व्यवहारी ने भुगतान योग्य कर में से आंशिक छूट/आस्थगित राशि को घटाकर कर जमा कराया।

इस व्यवहारी ने अवधि 2010-11 से 2013-14 के लिए ब्याज सब्सिड़ी ₹ 12.87 करोड़ का दावा किया जो वर्ष 2011-12 से 2013-14 में स्वीकृत हुई। सब्सिडी अभिलेख की संवीक्षा में पाया गया किः

- सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण (10 अक्टूबर 2008) के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारी ने तीन पूर्ववर्ती वर्षों तथा 2003-04 से 2005-06 हेतु देय कर की गणना करते समय व्यवहारी द्वारा प्राप्त आंशिक छूट की राशि को टर्नओवर पर आरोपणीय कर में से घटा दिया। इस तरह कर निर्धारण प्राधिकारी ने पिछले तीन वर्षों में अधिकतम देय कर ₹ 8.09 करोड़ के बजाय राशि ₹ 6.81 करोड़ की गलत गणना की।

- इसके अलावा व्यवहारी ने वर्ष 2010-11 व 2011-12 में प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आस्थगन तथा कर में छूट राशि ₹ 41.60 लाख[14] का लाभ प्राप्त किया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने सब्सिडी देते समय व्यवहारी द्वारा प्राप्त कर आस्थगन/ छूट को अनियमित रूप से जमा कर के रूप में मान लिया।

इसलिए कर निर्धारण प्राधिकारी ने देय सब्सिडी ₹ 9.92 करोड़[15] के बजाय सब्सिडी ₹ 12.87 करोड़ प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप वसूली योग्य ब्याज ₹ 1.33 करोड़ (मार्च 2015 तक गणनानुसार) के अतिरिक्त सब्सिडी ₹ 2.95 करोड़ अधिक स्वीकृत कर दी।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2016) और सरकार को सूचित किया (मार्च 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि मांग ₹ 4.89 करोड़ (कर ₹ 2.95 करोड़; ब्याज ₹ 1.94 करोड़) कायम कर दी गयी और ₹ 29.48 लाख वसूल कर लिये गये। शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.10 वैट के अन्तर्गत कर में अनियमित छूट

राजस्थान वैट नियम 2006 के नियम 21(1) के अनुसार जो व्यवहारी राज्य में किसी अन्य व्यवहारी को माल के विक्रय अथवा भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के क्रम में कर के भुगतान में आंशिक या पूरी छूट का दावा करता है तो वह वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु आयुक्त, वाणिज्यिक कर यदि संतुष्ट हो जाये तो ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर ऐसे घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने की अवधि बढा सकता है जो

[13] राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 6 मई 1986 द्वारा व्यवहारियों को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के विक्रय में वृद्धि पर देय कर में दी गयी शर्तों के अधीन 50/75 प्रतिशत की दर से कटौती के रूप में कर में आंशिक छूट का दावा करने की अनुमति प्रदान की।

[14] अवधि 1.1.2011 से 31.3.2011 में ₹ 9.99 लाख की कर में छूट तथा अवधि 1.1.2011 से 30.6.2011 में ₹ 31.61 लाख के कर का आस्थगन।

[15] लेखापरीक्षा द्वारा रिप्स के प्रावधानों के अनुसार की गयी वास्तविक गणना के आधार पर देय सब्सिडी की गणना की गयी।

एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । यह भी प्रावधान किया गया कि 30 सितम्बर 2014 तक सम्पूरित किये गये कर निर्धारणों के लिये व्यवहारी घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र 30 जून 2015 तक प्रस्तुत कर सकते थे ।

सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (अक्टूबर 2015) में पाया कि पांच व्यवहारियों ने वर्ष 2012-13 में की गयी माल की बिक्री के कर में आंशिक/पूरी छूट के लिये निर्धारित घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये । कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन व्यवहारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप (नवम्बर 2014 से मार्च 2015) देते समय घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर मांग आरोपित कर दी । इसके बाद इन व्यवहारियों ने निर्धारित घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिये (दिसम्बर 2014 से मार्च 2015) । चूंकि इन व्यवहारियों के कर निर्धारण 30 सितम्बर 2014 के बाद किये गये थे, ये घोषणा प्रपत्र स्वीकार्य नहीं थे । फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने नियमों के विरूद्ध इन घोषणा-प्रपत्रों को स्वीकार कर (जनवरी से मार्च 2015) संशोधन आदेशों के द्वारा वर्ष 2014-15 में राशि ₹ 25.34 लाख की मांग में कमी कर दी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.34 लाख की मांग में अनियमित रूप से कमी की गयी ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2015) तथा सरकार को सूचित किया (नवम्बर 2015) । सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि कर ₹ 20.37 लाख व ब्याज ₹ 7.68 लाख की मांग आरोपित कर दी गयी । वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

2.11 शून्य आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करने के कारण कर का अनारोपण

राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19(5) के अनुसार व्यवहारी खरीद का विवरण प्रपत्र वैट-07ए व बिक्री का विवरण प्रपत्र वैट-08ए के साथ तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा । इसके अलावा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 61(1) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी प्रस्तुत विवरणी से कोई विवरण छुपाता है अथवा जानबूझकर इसमें गलत विवरण प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यवहारी इस अधिनियम के तहत देय कर के अतिरिक्त कर चोरी की राशि की दुगुनी के बराबर शास्ति का भुगतान करेगा ।

सहायक आयुक्त, वृत्त-अ, जयपुर की मापक जांच (जनवरी 2016) में पाया कि दो व्यवहारियों ने वर्ष 2012-13 के लिये शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की । विभागीय वेबसाईट राजविस्टा पर उपलब्ध मॉडयूल के द्वारा तैयार की गयी सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि इन व्यवहारियों ने राशि ₹ 2.60 करोड़ का माल छः पंजीकृत व्यवहारियों को बेचकर ₹ 12.99 लाख का कर एकत्रित किया । फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन व्यवहारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (सितम्बर 2014 व मार्च 2015) राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना का उपयोग किये बिना शून्य टर्नओवर का कर निर्धारण पारित किया और इन व्यवहारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की मांग कायम नहीं की । इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 12.99 लाख के अतिरिक्त शास्ति ₹ 25.98 लाख तथा ब्याज ₹ 3.90 लाख (मार्च 2015 तक गणनानुसार) का अनारोपण हुआ ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि व्यवहारियों को नोटिस जारी कर दिये गये। अग्रिम प्रगति की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर2016)।

2.12 विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 21 सपठित राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19(2) के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी शासकीय वेबसाइट पर इलेक्ट्रोनिक रूप से निर्दिष्ट समय पर तथा देरी से प्रस्तुत करने पर मय विलम्ब शुल्क के जैसा कि निर्धारित किया गया है, विवरणी प्रस्तुत करेगा। ऐसा करने में विफल रहने पर विवरणी को प्रस्तुत किया हुआ नहीं माना जायेगा। इसके अलावा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 24(4) यह उपबन्ध करती है कि यदि व्यवहारी धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेक से व्यवहारी का कर निर्धारण करेगा तथा विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के लिए शुद्ध देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर लेकिन न्यूनतम पांच हजार रूपये शास्ति आरोपित करेगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-I, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (सितम्बर 2015) में पाया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 के लिये विवरणी वेबसाइट पर इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत नहीं की। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर व्यवहारी ने विवरणी विभागीय वेबसाइट पर इलेक्ट्रोनिकली प्रस्तुत करने के बजाय विवरणी की हार्ड प्रति प्रस्तुत की और टर्नओवर ₹ 31.75 करोड़ तथा देय कर ₹ 1.32 करोड़ घोषित किया। इसलिए विवरणी के प्रस्तुत नहीं करने पर शुद्ध देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर शास्ति आरोपित की जानी थी। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2015) विवरणी नहीं भरने की शास्ति ₹ 26.49 लाख की बजाय विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने के लिये विलम्ब शुल्क ₹ 3.09 लाख आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.49 लाख की शास्ति का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2015) और सरकार को सूचित किया (अक्टूबर 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि राशि ₹ 26.49 लाख की मांग आरोपित कर दी गयी और ₹ 0.14 लाख की वसूली कर ली गयी। शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.13 इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लेने पर शास्ति का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18 (1) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट पंजीकृत व्यवहारियों को राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कर योग्य माल की खरीद पर देय है। इसके अलावा, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 61(2)(बी) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करेगा और ऐसे व्यवहारी पर इस गलत क्रेडिट राशि के दुगुने के बराबर शास्ति आरोपित करेगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त राजस्थान, जयपुर की मापक जांच (जनवरी 2016) में पाया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2011-12 में ₹ 12.00 लाख का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया।

कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (दिसम्बर 2013) इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने गलत क्रेडिट राशि के दुगुने के बराबर शास्ति आरोपित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.01 लाख की शास्ति का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि शास्ति ₹ 24.01 लाख की मांग आरोपित की गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.14 घोषणा-प्रपत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति आरोपण का अभाव

'केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956' की धारा 10ए सपठित धारा 10(डी) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्रय किये गये माल का धारा 8(3) (बी)[16] में वर्णित उद्देश्यों के लिये उपयोग करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी जो उसे इस अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करता है, अधिनियम की धारा 8(2) के तहत इस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर की डेढ़ गुणा राशि से अनाधिक शास्ति आरोपित कर सकता है।

2.14.1 सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त राजस्थान,जयपुर तथा वृत्त-अ, जयपुर की मापक जांच (जनवरी 2016) में पाया कि दो व्यवहारियों ने वर्ष 2012-13 में 'सी' प्रपत्र के समर्थन में मूल्य ₹ 79.90 लाख व ₹ 95.17 लाख के मशीनरी, टूल्स, वेब्रिज, फर्नीचर, रसोई का सामान व सीसीटीवी कैमरा इत्यादि अन्य राज्य से क्रय किये। इनके अभिलेख से यह इंगित नहीं हुआ कि व्यवहारियों द्वारा यह माल धारा 8(3)(बी) में वर्णित उद्देश्यों के लिये प्रयोग में लाया गया। इसलिये व्यवहारी इस माल पर 5 प्रतिशत या 14 प्रतिशत जो भी लागू हो की दर से आरोपणीय कर का डेढ़ गुना शास्ति ₹ 35.29 लाख के लिये दायी थे। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन व्यवहारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (नवम्बर व दिसम्बर 2014) शास्ति आरोपित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 35.29 लाख आरोपित नहीं हुई।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि शास्ति ₹ 35.29 लाख की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 8.03 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.14.2 तीन वृत्तों[17] के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (नवम्बर 2015 से मार्च 2016) में पाया गया कि तीन व्यवहारियों[18] ने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः राशि ₹ 2.27 करोड़ व ₹ 24.81 करोड़ का माल घोषणा प्रपत्र 'एफ' पर कन्साइनमेन्ट एजेन्ट को राज्य के बाहर प्रेषित किया। विभागीय वेबसाइट *राजविस्टा* पर उपलब्ध सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा यह माल घोषणा प्रपत्र 'सी' पर राज्य के बाहर से क्रय किया गया था। चूंकि व्यवहारियों द्वारा खरीदा गया यह माल धारा 8(3)(बी) में वर्णित उद्देश्यों के

[16] उसके द्वारा पुनः बिक्री करने या बिक्री के लिये माल के निर्माण या प्रोसेसिंग में उपयोग में लेने या दूरसंचार नेटवर्क में या खनन में या बिजली या शक्ति के अन्य रूप में पैदा करने या वितरण के लिये।

[17] **वृत्तः** विशेष वृत्त-IV, जयपुर, विशेष वृत्त-I, उदयपुर एवं अ-अलवर।

[18] मै. एविस लाईफकेयर प्रा.लि., मै. श्री पदमावती कॉर्पोरेशन एवं मै. खन्ना ट्रेडर्स।

लिये उपयोग में नहीं लिया गया इसलिये इन व्यवहारियों पर माल के खरीद मूल्य ₹ 18.63 करोड़ पर देय कर की डेढ़ गुनी शास्ति ₹ 3.47 करोड़ आरोपित की जानी थी। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (फरवरी 2014 से मार्च 2015) शास्ति आरोपित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 3.47 करोड़ आरोपित नहीं हुई।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च तथा अप्रैल 2016) तथा सरकार को सूचित किया गया (मार्च तथा अप्रैल 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि ₹ 3.47 करोड़ की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 2.00 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.15 राज्य के बाहर माल के स्थानान्तरण पर कर में अनियमित छूट

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 अ (1) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी किसी माल पर कर देयता नहीं होने का दावा इस आधार पर करता है कि ऐसे माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण बिक्री के कारण नहीं हुआ है तो वह कर निर्धारण प्राधिकारी को माल के प्रेषित करने के साक्ष्य के साथ निर्धारित विवरण को दर्शाते हुये एक घोषणा-प्रपत्र प्रस्तुत कर सकता है और यदि व्यवहारी ऐसा घोषणा-प्रपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसे माल का स्थानान्तरण इस अधिनियम में सभी उद्देश्यों के लिये बिक्री माना जायेगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-III जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (फरवरी 2016) कि एक व्यवहारी जो बियरिंग तथा इसके कम्पोनेन्टस का निर्माता व विक्रेता था ने वर्ष 2012-13 में राज्य के बाहर से जोब वर्क के लिए राशि ₹ 9.28 करोड़ का माल प्राप्त करना और जोब वर्क से प्राप्तियां (आय) राशि ₹ 94.40 लाख दर्शायी। अभिलेखों में उपलब्ध सूचना की संवीक्षा में देखा गया कि इस व्यवहारी ने जोब वर्क के बाद इस माल को राजस्थान राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया लेकिन इन संव्यवहारों के समर्थन में राशि ₹ 10.22 करोड़ के घोषणा प्रपत्र-'एफ' प्रस्तुत नहीं किये। इसलिये, ये संव्यवहार अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिये बिक्री माने जाने चाहिये। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन संव्यवहारों पर कर आरोपित किये बिना व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप दे दिया (फरवरी 2015)। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 51.10 लाख एवं ब्याज ₹ 15.33 लाख (मार्च 2015 तक गणनानुसार) की अनियमित छूट दी गयी।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रैल 2016) तथा सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि कर ₹ 51.10 लाख तथा ब्याज ₹ 24.27 लाख की मांग कायम कर दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

2.16 केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत कर में अनियमित आंशिक छूट

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में पंजीकृत व्यवहारी को माल बेचता है, तो वह अधिनियम की धारा 8(3) एवं (4) की विशिष्ट शर्तों के पूर्ण करने पर ऐसे टर्नओवर पर इस अधिनियम के तहत दो प्रतिशत की दर से कर चुकाने के लिये दायी होगा।

राज्य सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(5) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2008 जारी कर निर्देशित किया कि पंजीकृत व्यवहारी जो अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए प्लांट एवं मशीनरी 14 फरवरी 2008 या इसके बाद क्रय करता है एवं इस अवधि में वह लघु एवं छोटे उद्यम के दर्जे का लाभार्थी है तो अपने व्यवसाय स्थल से उत्पादित माल के अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में विक्रय करने पर सीएसटी अधिनियम के तहत देय कर 0.25 प्रतिशत की कर दर से संगणित किया जायेगा।

सहायक आयुक्त, वृत्त 'ई' जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (अक्टूबर 2015) में पाया गया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत क्रमशः मूल्य ₹ 5.35 करोड़ एवं ₹ 8.45 करोड़ के माल का विक्रय 0.25 प्रतिशत की दर से किया। कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया व्यवहारी 17 अक्टूबर 2005 से राजस्थान वैट अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत था। इसके अलावा इस व्यवहारी ने 14 फरवरी 2008 से पूर्व प्लांट एवं मशीनरी की खरीद की थी। इसलिये यह व्यवहारी इस वर्णित अधिसूचना में दिये गये लाभ को प्राप्त करने के योग्य नहीं था। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी इस व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (जनवरी 2013 एवं अक्टूबर 2013) इस अनियमितता का पता नहीं लगा सका और सही कर दर दो प्रतिशत के बजाय रियायती दर 0.25 प्रतिशत से कर निर्धारित किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कर ₹ 24.16 लाख एवं ब्याज ₹ 11.27 लाख का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2015) तथा सरकार को सूचित किया (नवम्बर 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि ₹ 86.63 लाख (कर ₹ 24.15 लाख; ब्याज ₹ 14.17 लाख व पेनल्टी ₹ 48.31 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 24.15 लाख वसूल कर लिये गये। शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

अध्याय-III

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

अध्याय-III : वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग की प्राप्तियां, केन्द्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों व इसके अन्तर्गत बनाये नियमों से विनियमित होती है एवं परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियां, राजस्थान राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं समय-समय जारी अधिसूचनाओं से विनियमित होती है।

परिवहन विभाग के प्रमुख परिवहन आयुक्त होते हैं और उनकी सहायता के लिये पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 13 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच, अनुमोदित योजना एवं परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होती है ताकि नियमों व अधिनियमों व समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित किया जा सके।

गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु डयू इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु डयू इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु कुल डयू इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाईयां	कमी प्रतिशत में
2011-12	-	43	43	43	-	-
2012-13	-	43	43	43	-	-
2013-14	-	43	43	39	4	9.30
2014-15	4	51	55	45	10	18.18
2015-16	10	57	67	66	1	1.50

स्रोतः सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार।

यह पाया कि वर्ष 2015-16 के अन्त में 12,375 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1992-93 से 2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	योग
अनुच्छेद	8,210	664	729	651	805	1,316	**12,375**

इन 12,375 अनुच्छेदों में से 8,210 अनुच्छेद वर्ष 2010-11 की अवधि से पूर्व से सम्बन्धित थे, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वृहद् संख्या में बकाया अनुच्छेदों पर विभाग को विशेषतः पांच वर्ष से अधिक अवधि के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिक विलम्ब होने पर वसूली की सम्भावना कम हो जायेगी।

सरकार को, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिये समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान 27 इकाईयों के अभिलेखों की मापक जांच में लेखापरीक्षा को 9,235 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 38.12 करोड़ की अनियमितताओं का पता चला। ये प्रकरण मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियो में आते हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	'माल वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण' पर एक अनुच्छेद	1	10.62
2	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क की अवसूली/कम वसूली	5,672	13.01
3	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना, कर का अनिर्धारण/ निर्धारण कम करना	3,473	14.46
4	अन्य अनियमिततायें		
	अ- राजस्व से सम्बन्धित	13	0.01
	ब- व्यय से सम्बन्धित	76	0.02
योग		**9,235**	**38.12**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 9,325 प्रकरणों में ₹ 27.86 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 7.49 करोड़ के 2,503 प्रकरण वर्ष 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2015-16 के दौरान, 2,704 प्रकरणों में ₹ 7.40 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसमें से ₹ 1.28 करोड़ के 493 प्रकरण वर्ष 2015-16 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

'माल वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण' पर एक अनुच्छेद जिसमें निहित राजस्व राशि ₹ 10.62 करोड़ तथा कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें 10.35 करोड़ सन्निहित हैं, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

3.4 माल वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण

3.4.1 परिचय

माल वाहन जो कि मुख्यतः वह मोटर वाहन होते हैं जिनका निर्माण अथवा प्रयोग पूर्णतया वस्तुओं को लाने ले जाने के लिये ही किया जाता है, इन पर लगाया जाने वाला कर परिवहन विभाग की आय का एक प्रमुख स्त्रोत होता है। इन्हें आगे तीन श्रेणियों: भारी माल वाहन, हल्के माल वाहन एवं मध्यम माल वाहन में विभाजित किया गया है । माल वाहनों को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र या समस्त राजस्थान भार अनुज्ञापत्र के द्वारा परिचालन की अनुमति दी जाती है। ऐसा वाहन जिसका सकल वाहन भार 3,000 किलो ग्राम से अधिक न हो, उसे अनुज्ञापत्र प्राप्त करने से मुक्त रखा गया है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा वाहनों के पंजीयन के लिये विकसित किये गये 'वाहन' एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभाग द्वारा किया गया है। यह एप्लीकेशन वाहन पंजीयन, कर संग्रहण, विभिन्न प्रमाण-पत्रों, अनुज्ञापत्रों को जारी करना एवं वाहनों के फिटनेस का रिकॉर्ड करने में विभाग की मदद करता है।

3.4.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं उददेश्य

राज्य में संचालित माल वाहनों से कर, सरचार्ज, शास्ति, शुल्क एवं अन्य प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने के लिये लागू प्रावधान, प्रभावी थे, को सुनिश्चित करने हेतु चयनित[1] नौ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों[2] एवं पांच जिला परिवहन अधिकारियों[3] द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के संधारित अभिलेखों की मापक जांच अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 तक की गयी थी। इस अनुच्छेद में नियमित लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये कुछ प्रकरण भी शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.3 माल वाहनों का पंजीकरण

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसी वाहन का पंजीयन करवाये बिना उसे सार्वजनिक स्थान/अन्य स्थान पर नहीं चलायेगा। वाहनों के पंजीकरण के तथ्य पंजीकरण मॉडयूल 'वाहन सॉफ्टवेयर' में दर्ज किये गये हैं।

3.4.3.1 विलम्ब से पंजीयन के निवारण का अभाव

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47 के अन्तर्गत मोटर वाहन के पंजीकरण के लिये आवेदन, वाहन की सुपुर्दगी लेने की तिथि से सात दिन के अन्दर करना होगा। इसके

[1] राजस्थान के 54 जिला परिवहन अधिकारियों में से 14 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों (25 प्रतिशत चयन) का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज सेम्पलिंग विधि से किया गया।

[2] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी: अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर।

[3] जिला परिवहन अधिकारी: बांसवाड़ा, डीडवाना, जैसलमेर, नागौर एवं प्रतापगढ़।

अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41 के साथ राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 4.17 के अन्तर्गत वाहन के पंजीयन में विलम्ब के लिये प्रशमन शुल्क ₹ 25 प्रति कलेण्डर माह की दर से अधिकतम ₹ 100 देय है। अप्रैल 1990 के पश्चात दर संशोधित नहीं की गयी है।

तीन प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों[4] के पंजीयन पत्रावली की जांच में पाया गया कि 20 वाहनों का पंजीयन निर्धारित सात दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात किया गया था। 16 मामलों के अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि वाहनों का पंजीयन सुपुर्दगी लेने की तिथि से एक माह से 20 माह तक के विलम्ब से किया गया था। प्रशमन शुल्क की धारा, वाहनों के पंजीयन में विलम्ब को रोकने के लिये सम्मिलित की गयी थी। लेकिन प्रशमन शुल्क की अत्यधिक कम दर की वजह से धारा के उददेश्य की पूर्ति नहीं हो पायी है।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016 तक)।

3.4.3.2 विशिष्ट पंजीयन क्रमांक के पंजीयन शुल्क की कम वसूली/अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन नियमों के नियम 4.3 के अनुसार राज्य सरकार एक व्यक्ति को अपने नये वाहन पर अग्रिम में पंजीयन क्रमांक आवंटित करने की या पूर्व के वाहन हेतु पहले से आवंटित पुराने क्रमांक को नये वाहन पर बनाये रखने की अनुमति शुल्क के भुगतान करने पर दे सकती है। विभाग ने अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन या पुराने क्रमांक को धारण करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की (1 अक्टूबर 2014)। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2003 एवं 1 अक्टूबर 2014 को अधिसूचना जारी कर विशिष्ट पंजीयन क्रमांक के लिये शुल्क तय किया गया।

'वाहन सॉफ्टवेयर' में क्रमांक आवंटन पर निगरानी करने की प्रणाली थी परन्तु प्रत्येक विशिष्ट पंजीयन क्रमांक के लिये देय शुल्क के लिये 'वाहन सॉफ्टवेयर' में प्रावधान नहीं किया गया था। भुगतान योग्य शुल्क की गणना मैन्युअल की गयी थी। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान 14 प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[5] द्वारा आवंटित 699 नये विशिष्ट पंजीयन क्रमांको के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 349 मामलों में विशिष्ट पंजीयन क्रमांक शुल्क राशि ₹ 56.88 लाख की अवसूली/कम वसूली की गयी थी। अवसूली/कम वसूली के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये ना ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाये गये।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

3.4.4 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अनुसार मोटर वाहन के स्वामी को किसी माल वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में चलाने या प्रयोग करने को

[4] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर।

[5] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर,जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः बांसवाड़ा, डीडवाना, जैसलमेर, नागौर एवं प्रतापगढ़।

निषेध करता है जब तक की शर्तों के साथ जारी अनुज्ञापत्र से अथवा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर से जारी अनुज्ञापत्र से, ऐसे स्थान पर वाहन का उपयोग एवं निर्दिष्ट तरीके से वाहन का उपयोग प्राधिकृत नहीं हो। यद्यपि ऐसे माल वाहन जिनका सकल वाहन भार 3,000 किलोग्राम से अधिक नहीं है को अनुज्ञापत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी।

3.4.4.1 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के प्राधिकार के नवीनीकरण का अभाव

राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने के इच्छुक माल वाहन को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के लिये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है। राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी होने की दिनांक से पांच वर्ष के लिये वैध है। ऐसे अनुज्ञापत्रों की वैधता अवधि समाप्त होने के 15 दिन पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नई राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली (मई 2010) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार के लिये मार्च 2012 तक कम्पोजिट शुल्क के रूप में राशि ₹ 15,000 मय गृह राज्य प्राधिकार शुल्क राशि ₹ 1,000 प्रतिवर्ष जमा करवाया जाना था। इसके पश्चात राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार के लिये कम्पोजिट शुल्क के रूप में राशि ₹ 16,500 के साथ गृह राज्य प्राधिकार शुल्क राशि ₹ 1,000 प्रतिवर्ष जमा करवाया जाना था।

नौ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों[6] की वाहन पत्रावलियों, अनुज्ञापत्र पंजिकाओं, रसीद बुकों, रोकड पुस्तिकाओं एवं वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकडों की जांच में पाया गया कि 3,36,675 भार वाहनों में से 22,439 वाहनों के द्वारा अनुज्ञापत्र के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था, जिनका विवरण तालिका में निम्नानुसार हैः

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
कुल जारी अनुज्ञापत्र (संख्या में)	40,777	75,110	70,620	72,481	77,687	3,36,675
बकायेदारों की संख्या	2,122	4,183	4,710	4,396	7,028	22,439
बकायेदारों का प्रतिशत	5.20	5.57	6.67	6.07	9.05	6.66
दर प्रति प्राधिकार (₹ में)	16,000	16,000	17,500	17,500	17,500	-
देय राशि (₹ करोड़ में)	3.40	6.69	8.24	7.69	12.30	38.32

अभिलेखों में यह चिन्हित नहीं किया गया कि यह वाहन संचालन से बाहर थे या अन्य राज्यों को स्थानान्तरित हो चुके थे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों को न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि यह वाहन संचालन से बाहर हो चुके थे। इन 22,439 वाहनों पर कम्पोजिट शुल्क एवं गृह राज्य प्राधिकार शुल्क की बकाया राशि ₹ 38.22 करोड़ थी।

3.4.4.2 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र निरस्त करने के पश्चात औपचारिकताओं का पालन करने का अभाव

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 (डी) के अन्तर्गत यदि अनुज्ञापत्र धारक द्वारा धोखाधड़ी या गलत बयानी से अनुज्ञापत्र प्राप्त किया गया हो तो परिवहन प्राधिकारी जिसने अनुज्ञापत्र

[6] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर,जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर।

जारी किया था ऐसे अनुज्ञापत्र को रदद करने या ऐसी अवधि के लिये इसे निलम्बित कर सकता है जो वह ठीक समझे । राजस्थान मोटर वाहन नियमों के नियम 5.35 (1)(i) के अन्तर्गत जब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत कोई अनुज्ञापत्र निलम्बित या रद्द करता है, तो धारक, सम्बन्धित प्राधिकारी से लिखित में आदेश प्राप्ति के सात दिवस में अनुज्ञापत्र के भाग क[7], ख[8] एवं प्राधिकार पत्र समर्पित करेगा ।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर के अनुज्ञापत्र के अभिलेखों की अवधि 2013-15 की मापक जांच के दौरान ध्यान में आया कि 207 भार वाहनों के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों को धोखाधड़ी या गलत बयानी के आधार पर रद्द किये गये थे । यह भी जांच में पाया गया कि 207 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों में से 31 अनुज्ञापत्रों के प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी । राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों को निरस्त किये जाने के बावजूद अनुज्ञापत्र के भाग क, ख एवं वैध प्राधिकार पत्र समर्पित नहीं किये गये थे ना ही परिवहन प्राधिकारी द्वारा वाहनों को जब्त करने की कोई कार्यवाही की गयी थी । इस प्रकार निरस्तीकरण के बाद की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किये जाने से अनुज्ञापत्रों के निरस्तीकरण के उपरान्त भी वाहनों के संचालन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

इस प्रकार, सरकार उन वाहनों को जिन्हें राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे परन्तु जिन्होंने प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया हो, को नियंत्रित करने के लिये एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है ।

3.4.5 कर का आरोपण एवं संग्रहण

जांच में पाया गया कि कर, शुल्क एवं अन्य प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने के लिये पंजीकृत वाहनों के कर खातों के उचित संधारण की निगरानी के लिये विभाग में कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी । विभाग में उन वाहनों की संख्या प्रदर्शित करने के लिये जिनके देय कर का भुगतान नहीं किया गया था हेतु कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गयी थी ।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा ऐसे वाहनों की संख्या को जानने हेतु कोई प्रतिवेदन नहीं लिया गया था जो वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या जिनका संचालन अन्य जिलों/राज्यों को स्थानान्तरित हो गया था । कमजोर निगरानी तंत्र के परिणामस्वरूप कराधान अधिकारियों के स्तर पर देय कर की वसूली के लिये कार्यवाही का अभाव रहा । कुछ मामलों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में दर्शाया गया है:

3.4.5.1 मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की कम वसूली/अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 की धारा 4 एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9 मार्च 2007 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में प्रयोग के लिये रखने या प्रयोग किये गये भार वाहनों मय संलग्न भार वाहनों पर मोटर वाहन

---

[7] भाग क-वाहन, वाहन के स्वामी, राज्य का नाम जिसके लिये अनुज्ञापत्र जारी किया गया, वैधता अवधि एवं शर्तों का विवरण ।

[8] भाग ख-वाहन, अनुज्ञापत्र का स्वामी जिसमें हस्तानान्तरणकर्ता एवं अन्तरिति इत्यादि का विवरण ।

कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण निर्धारित दर से किया जाना है । इसके अतिरिक्त दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था ।

- **संलग्न भार वाहन**

अवधि 2012-15 हेतु 16 प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[9] के कर खातों एवं वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकडों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि 640 संलग्न भार वाहनों के मामलों में वर्ष अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिये मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर मय सरचार्ज राशि ₹ 2.26 करोड़ जमा नही करवाया गया था । इस तथ्य को ध्यान में लाये जाने के पश्चात विभाग ने सूचित किया कि आक्षेपित वाहनों में से 74 वाहनों की राशि ₹ 20.74 लाख पूर्व में ही जमा थी या देय नहीं थी । इस प्रकार 566 संलग्न भार वाहनों का कर उनके वाहन स्वामियों द्वारा जमा नहीं करवाया गया था । तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप कर एवं सरचार्ज की राशि ₹ 2.06 करोड़ की अवसूली रही ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2016) ।

- **भार वाहन**

उन्नीस प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[10] के कर खातों एवं वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकडों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि 1,689 भार वाहनों के मामलों में वर्ष अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिये मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर मय सरचार्ज राशि ₹ 3.79 करोड़ जमा नही करवाया गया था । इस तथ्य को ध्यान में लाये जाने के पश्चात विभाग ने सूचित किया कि आक्षेपित वाहनों में से 110 वाहनों की राशि ₹ 15.98 लाख पूर्व में ही जमा थी या देय नहीं थी । इस प्रकार 1,579 भार वाहनों का कर उनके वाहन स्वामियों द्वारा जमा नहीं करवाया गया था । तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप कर एवं सरचार्ज की राशि ₹ 3.63 करोड़ की अवसूली रही ।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016) ।

3.4.5.2 डम्पर/टिप्पर से मोटर वाहन कर की कम वसूली/अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम की धारा 4 एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 मार्च 2002 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में प्रयोग के लिये रखने या प्रयोग किये गये विशेष श्रेणी के भार वाहनों (डम्पर/टिप्पर) से

[9] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना, हनुमानगढ़, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर एवं प्रतापगढ़; स्थानीय लेखापरीक्षाः प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अजमेर एवं जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा ।

[10] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर,जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः बांसवाडा, डीडवाना, जैसलमेर, नागौर एवं प्रतापगढ़; स्थानीय लेखापरीक्षाः प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजमेर एवं जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं रामगंजमण्डी ।

मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण निर्धारित दर से किया जाना है। इसके अतिरिक्त दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था।

सत्तरह प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[11] के कर खातों एवं वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकडों की जांच के दौरान पाया गया कि 803 डम्पर/टिप्पर वाहनों के मामलों में वर्ष अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिये मोटर वाहन कर तथा सरचार्ज राशि ₹ 2.95 करोड़ जमा नहीं करवाये गये थे। इस तथ्य को ध्यान में लाये जाने के पश्चात विभाग ने सूचित किया कि आक्षेपित वाहनों में से 38 वाहनों की राशि ₹ 9.97 लाख पूर्व में ही जमा थी या देय नहीं थी। इस प्रकार 765 भार वाहनों का कर उनके वाहन स्वामियों द्वारा जमा नहीं करवाया गया था। तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर एवं सरचार्ज की राशि ₹ 2.85 करोड़ की अवसूली रही।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

3.4.5.3 परिवहन वाहनों से एकमुश्त कर की बकाया किश्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 सी एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित की गयी दर से परिवहन वाहनों से एकमुश्त कर का आरोपण किया जावेगा। वाहन स्वामी के विकल्प पर एकमुश्त कर का भुगतान एक साथ या एक वर्ष की अवधि में तीन समान किस्तों में एवं 14 जुलाई 2014 से छः समान किस्तों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था।

पांच प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[12] के वर्ष 2013-14 से 2014-15 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया (जून 2015 से नवम्बर 2015 के मध्य) कि 188 परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर को किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। वाहन स्वामियों द्वारा एक या दो किस्तों के भुगतान के पश्चात शेष किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था। तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 85.69 लाख की अवसूली रही।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात (जून 2015 से मई 2016 के मध्य) विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि आक्षेपित वाहनों में से 49 वाहनों की राशि ₹ 22.26 लाख की वसूली कर ली गयी थी। शेष वाहनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

[11] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर,जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः बांसवाड़ा, डीडवाना, जैसलमेर, नागौर एवं प्रतापगढ़; स्थानीय लेखापरीक्षाः प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अजमेर एवं जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा एवं रामगंजमण्डी।

[12] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः उदयपुर एवं सीकर; जिला परिवहन अधिकारीः जयपुर (सीसी), बालोतरा एवं चौमू।

3.4.5.4 कर छूट से अनुचित लाभ

राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियमों के नियम 28 के अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक उपक्रम के वाहनों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार या भारत के किसी अन्य राज्य की सरकार के या उनकी ओर से मोटर वाहन को स्वामित्व में लेकर एवं विशिष्ट रूप से उन्हीं के लिए उपयोग में लिया गया है तो उसे कर से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी मोटर वाहन जिसे केवल तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के प्रयोजन के लिये बनाया गया हो तथा इस कार्य हेतु राजस्थान में उपयोग किया हो तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियमों के नियम 28(ओ) के अनुसार कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान की गयी है। कोई मोटर वाहन जो शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व में हो और केवल इसी उददेश्य के लिये प्रयोग किया गया हो तथा जिसकी बैठक क्षमता (ड्राईवर को छोड़कर) नौ से अधिक होने पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41(4) के अन्तर्गत फायर टेण्डर को एक परिवहन यान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

आठ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[13] के वर्ष 2012-15 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों[14] एवं शैक्षणिक संस्थान[15] के 11 फायर टेण्डरों का गैर परिवहन यान के रूप में अनियमित पंजीयन सम्बन्धित कराधान अधिकारियों द्वारा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 49.21 लाख की छूट का अनुचित लाभ दिया गया।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

3.4.6 भार वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 सपठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन वाहन जब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक वह निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटर वाहन नियमों के नियम 4.2-ए के अनुसार एक परिवहन यान यदि वह पुनः पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसके प्रथम पंजीकरण की तिथि के 15 वर्ष पश्चात वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 81 के अनुसार नये भार वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण-पत्र दो वर्ष के लिये वैध होगा; इसके पश्चात यह ₹ 100 के निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जायेगा।

जांच में पाया गया कि विभाग में सुनिश्चित और निगरानी करने की प्रणाली नहीं थी से संचालित किये जा रहे पुराने वाहनों के पास वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र कि नये भार वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र दो वर्ष के लिये वैध थे और उनका विस्तृत विवरण प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध था जहां उन्हें पंजीकृत करवाया गया था। यद्यपि दो वर्ष की

---

[13] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सीकर; जिला परिवहन अधिकारीः जैसलमेर एवं नागौर।

[14] भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, गैस ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, रीको, गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड, अल्ट्राट्रेक सीमेन्ट लिमिटेड एवं नारायण सेवा संस्थान।

[15] परम एजुकेशन सोसाइटी, सीकर।

अवधि की समाप्ति के पश्चात वाहन स्वामी किसी भी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में अपने फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करवा सकता है। इन मामलों में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय जहां वाहन का पंजीकरण करवाया गया था में फिटनेस प्रमाण-पत्र के आंकडों को अद्यतन करने की प्रणाली नहीं थी इस प्रकार वाहन सॉफ्टवेयर उन वाहनों की सही स्थिति नहीं दर्शाता है जो वाहन अपने फिटनेस प्रमाण-पत्र को नवीनीकरण करवाने नहीं आये।

वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध आंकडों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान परिवहन श्रेणी के अधीन 15 वर्षों में पंजीकृत 1,74,264 भार वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। ₹ 1.74 करोड़ के राजस्व की वसूली पर निगरानी के अतिरिक्त वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ वाहनों के संचालन होने को सुनिश्चित नहीं किया जा सका और इस प्रकार सुरक्षा मापदण्डों से समझौता किया गया।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

3.4.7 लम्बित चालानों के जुर्माने की अवसूली

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200(1) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी भी अपराध के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से जुर्माना किया जायेगा। सरकार की अधिसूचनाओं[16] में निश्चित श्रेणी के अपराधों के लिये जुर्माने की दर निर्धारित की गयी थी।

बारह प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों[17] की जांच के दौरान पाया गया कि विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा जारी चालानों की निगरानी के लिये विभाग में कोई तंत्र नहीं था। इन कार्यालयों में इस उददेश्य के लिये कोई पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। चालानों के माहवार बण्डल बिना कार्यवाही के अलमारियों में पड़े हुए थे। यद्यपि वाहन सॉफ्टवेयर में चालानों की निगरानी के लिये एक मॉडयूल था लेकिन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर को छोड़कर अन्य किसी कार्यालय के द्वारा मॉडयूल में प्रविष्टि नहीं की गयी थी। बकाया चालानों[18] की संवीक्षा में यह पता चला कि भार वाहनों से सम्बन्धित वर्ष 2012-15 के 812 बकाया चालानों का इनके वाहन स्वामियों द्वारा निस्तारण नहीं करवाया गया था। कराधान अधिकारियों द्वारा भी इन चालानों के लिये कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी। राशि ₹ 73.45 लाख विभाग द्वारा वसूल किये जा सकते थे।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

---

[16] 21 अगस्त 2009, 22 जुलाई 2010, 28 जनवरी 2013 एवं 3 जुलाई 2014।

[17] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना, जैसलमेर एवं नागौर।

[18] प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी के वित्तीय वर्ष 2012-15 की अंतिम तिमाही के 25 बकाया चालानों का चयन किया गया था तथापि प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः चित्तौडगढ, सीकर और जिला परिवहन अधिकारी डीडवाना और जैसलमेर में क्रमशः केवल 72, 64, 50 और 26 बकाया चालान उपलब्ध थे। इसलिये कुल 812 चालानों की मापक जांच की गयी।

3.4.8 अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही वाहनों का स्थानान्तरण

राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.2 (1)(ए) के अन्तर्गत अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन किया जाना आवश्यक है जब कोई वाहन किसी निर्माता द्वारा अपने किसी डीलर को या उप डीलर को बेचा या स्थानान्तरित किया गया हो या अपनी शाखा को राज्य में या राज्य के बाहर पुनः बेचान हेतु प्रेषित किया गया हो। उक्त नियम की व्याख्या टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि किसी वाहन को जारी अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र उस वाहन के डीलर या उप डीलर या इसकी शाखा की सीमा में पहुंचते ही तुरन्त समाप्त मानी जायेगी। नियम 4.2 के उप नियम (2) में बताया गया है कि अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर जारी किया जावेगा और वैधता अवधि सामान्यतया एक महीने से अधिक के लिये मान्य नहीं है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर की वर्ष 2012-15 की वार्षिक विवरणी एवं व्यवसाय प्रमाण-पत्र पंजिका की मापक जांच में पाया गया कि निर्माता मैसर्स अशोक लेलैण्ड द्वारा अपने शाखा कार्यालयों को बिना अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र के वाहनों का स्थानान्तरण किया गया था। फिर भी निर्माता द्वारा प्रस्तुत विवरणी में दर्शायी स्थानान्तरित वाहनों की संख्या का कराधान अधिकारी द्वारा अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्रों से मिलान नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र शुल्क राशि ₹ 16.43 लाख की अवसूली रही।

मामला, विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

3.4.9 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

प्रशमन शुल्क की दर 1 अप्रैल 1990 के पश्चात संशोधित नहीं की गयी। न्यून दरें भार वाहनों के विलम्ब से पंजीयन के मामलों की रोकथाम में असफल रही। समय पर एवं शीघ्र कर वसूली के लिये पंजीकृत वाहनों के कर खातों के संधारण की निगरानी के लिये प्रणाली के अभाव में, कर प्राधिकारी कर भुगतान के लिये जिम्मेदार वाहनों की निगरानी करने में असफल रहे। विभाग में वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना पुराने वाहनों के संचालन की निगरानी के लिये प्रणाली नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप नवीनीकरण शुल्क की अवसूली के अलावा जनता की सुरक्षा से समझौता किया गया।

यह सिफारिश की जाती है कि भार वाहनों के विलम्ब से पंजीयन पर प्रशमन शुल्क की दर को संशोधित करने और इसके आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये वाहन सॉफ्टवेयर में उपयुक्त प्रावधान शामिल करें; कर, शुल्क इत्यादि की वसूली समय पर सुनिश्चित करने के लिये पंजीकृत वाहनों के कर खातों की निगरानी एवं अद्यतन करने की प्रणाली में सुधार करें; ऐसे वाहन जिन पर कर देय था लेकिन प्राप्त नहीं हुआ की संख्या को दर्शाने हेतु विवरणी का प्रावधान करने पर विचार करें; बिना वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के भार वाहनों के संचालन को रोकने हेतु उपाय करें; एवं वाहन डाटाबेस की प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली के प्रतिवेदन के आधार पर वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करने वाले वाहन स्वामियों को नोटिस/सतर्क सन्देश जारी करने की सुविधा लागू करने का विचार करें।

3.5 बेड़ा स्वामी द्वारा विशेष पथकर को विलम्ब से जमा करवाने पर शास्ति की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि समस्त करों का भुगतान अग्रिम में होगा। बेड़ा स्वामी के मामले में विशेष पथकर का भुगतान प्रत्येक महीने की 14 तारीख से पहले किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 6 में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में वाहन का देय कर भुगतान नहीं किया गया तो बकायादार को देय कर के अतिरिक्त, विलम्ब से भुगतान पर 1.5 प्रतिशत शास्ति प्रति माह या उसके भाग के लिये भुगतान करना होगा।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के वर्ष 2014-15 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान देखा गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कर राशि ₹ 115.73 करोड़ जमा/समायोजन करवाये गये थे। यह देखा गया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कर जून 2014 के पश्चात एक से तीन महीने के विलम्ब से जमा करवाया गया, जिसके लिये विशेष पथकर एवं प्रभार पर शास्ति राशि ₹ 2.31 करोड़ का भुगतान देय था।

मामला विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (मार्च 2016 एवं मई 2016 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

3.6 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गये हों, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर पांच प्रतिशत अधिभार भी देय है।

आठ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों[19] एवं छः जिला परिवहन अधिकारियों[20] के 2012-13 से 2014-15 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों, सामान्य सूची पंजिकाओं एवं वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध आंकडों की मापक जांच के दौरान पाया गया (जून 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) की 2,204 वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिये या तो कर का भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। अभिलेखों में इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं पाया कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिले/राज्यों को स्थानान्तरित कर दिये गये थे। तथापि कराधान अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को देय बकाया कर की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

[19] प्रादेशिक परिवहन अधिकारीः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर।
[20] जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, भिवाड़ी, चौमू, धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं जयपुर (संविदा वाहन)।

इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर व अधिभार राशि ₹ 8.04 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रहीः

क्र.सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालय का नाम जहां अनियमिततायें पायी गयी
1	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	1,799	अप्रैल 2013 से मार्च 2015	3.21	प्रादेशिक परिवहन कार्यालयः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालयः भीलवाड़ा, चौमू, धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं जयपुर (संविदा वाहन)।
2	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	159	अप्रैल 2013 से मार्च 2015	3.11	प्रादेशिक परिवहन कार्यालयः बीकानेर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालयः जयपुर (संविदा वाहन)।
3	मंजिली वाहन	184	अप्रैल 2013 से मार्च 2015	1.33	प्रादेशिक परिवहन कार्यालयः अलवर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालयः भिवाड़ी एवं हनुमानगढ़।
4	बिना अनुज्ञापत्र के यात्री वाहन	14	अप्रैल 2014 से मार्च 2015	0.13	प्रादेशिक परिवहन कार्यालयः जोधपुर।
5	निजी सेवा यान	48	अप्रैल 2013 से मार्च 2015	0.26	जिला परिवहन कार्यालयः जयपुर (संविदा वाहन)।
	योग	**2,204**		**8.04**	

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने पर (जून 2015 एवं मई 2016 के मध्य) विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि 805 वाहनों के संबंध में ₹ 2.73 करोड़ की वसूली कर ली गयी और 116 वाहनों के संबंध में वाहन स्वामियों द्वारा पूर्व में ₹ 0.55 करोड़ जमा करवा दिये गये थे। यद्यपि पंजिकाओं के संधारण में या वाहन सॉफ्टवेयर में बकाया से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताये गये। शेष प्रकरणों में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित रही (अक्टूबर 2016)।

अध्याय-IV

भू-राजस्व

अध्याय-IV : भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

भूमि का आवंटन, भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः भूमि का किराया, लीज किराया, प्रीमियम, रुपान्तरण प्रभार तथा सरकारी भूमि के विक्रय से प्राप्तियां शामिल होती हैं।

राजस्व विभाग सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरह कार्य करता है। राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ-साथ राजस्व से संबंधित न्यायिक मामलों का समग्र नियंत्रण राजस्व मण्डल के पास है। राजस्व मण्डल की सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 कलेक्टर, उपखण्ड स्तर पर 289 उपखण्ड अधिकारी और तहसील स्तर पर 314 तहसीलदार हैं।

4.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

राजस्व मण्डल के वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। इसमें 18 आंतरिक लेखापरीक्षा दल थे। अवधि 2011-12 से 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयों की संख्या, वास्तविक लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या तथा लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों की संख्या की स्थिति निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशत में
2011-12	35	624	659	589	70	11
2012-13	70	672	742	670	72	10
2013-14	72	672	744	586	158	21
2014-15	158	672	830	551	279	34
2015-16	279	809	1,088	883	205	19

स्रोत : सूचना राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

विभाग ने अवगत कराया कि आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा बनाये गये बकाया पैराओं के निपटान में स्टॉफ की तैनाती किये जाने तथा रिक्त पदों के कारण इकाईयों की लेखापरीक्षा बकाया रही।

यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 के अंत में 19,792 अनुच्छेद बकाया थे। आंतरिक लेखापरीक्षा समूह के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	2010-11 तक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	योग
अनुच्छेद	8,741	1,065	1,520	1,669	1,653	5,144	**19,792**

स्रोत : सूचना राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त।

कुल 19,792 अनुच्छेदों में से 8,741 अनुच्छेद अनुपालना/ सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। अनुच्छेदों के निपटान की धीमी गति का कारण विभिन्न संवर्गों में पदों की रिक्तता बताया गया।

सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाई गई बकाया आपत्तियों की शीघ्र अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिये।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान भू-राजस्व विभाग की 11 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने 11,055 प्रकरणों में प्रीमियम, लीज किराया, रूपांतरण प्रभार, भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव एवं अन्य अनियमितताओं राशि ₹ 119.50 करोड़ की अवसूली/कम वसूली पाई, जो निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	राज्य सरकार के विभागों से प्रीमियम और किराये की अवसूली/कम वसूली	28	25.12
2	खातेदारों[1] से सम्परिवर्तन प्रभारों की अवसूली/कम वसूली	622	7.90
3	सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव	13	45.52
4	अन्य अनियमितताऐं:		
	(i) राजस्व से सम्बन्धित	6,729	4.46
	(ii) व्यय से सम्बन्धित	3,663	36.50
	योग	**11,055**	**119.50**

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने 1,854 प्रकरणों में ₹ 148.62 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया जो पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान 981 प्रकरणों में ₹ 118.90 करोड़ वसूल किये जो पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण जिनमें राशि ₹ 51.19 करोड़ सन्निहित है का उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया है।

4.4 जिला स्तरीय समिति की दरों को गलत लागू करने के कारण भूमि की कीमत एवं लीज किराये की कम वसूली

सरकार की अधिसूचना (अक्टूबर 2005) के अनुसार सरकार के विभागों/निगमों/संस्थाओं को आवंटित भूमि के प्रीमियम[2] की गणना सम्बन्धित जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की जावेगी। इसके साथ ही, भूमि की कीमत के 10 प्रतिशत की दर से वार्षिक लीज रेंट भी पट्टाधारक से वसूला जावेगा।

[1] खातेदार राजकीय भूमि पर किरायेदार होते हैं जिन्हें कृषि प्रयोजनार्थ भूमि दी जाती है।

[2] यहां प्रीमियम से मतलब भूमि की कीमत से है।

4.4.1 डीएलसी दरों (4 अक्टूबर 2012 से प्रभावी) के अनुसार राज्य राजमार्ग और मेगा हाइवे पर स्थित गांवों में सड़क से 100 मीटर तक स्थित भूमि की कीमत उसी श्रेणी की कृषि भूमि की कीमत का तीन गुणा होगी।

जिला नागौर के ग्राम पनवारी, तहसील कुचामन सिटी में खसरा[3] संख्या 302 पर स्थित 2.76 हेक्टेयर भूमि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को कृषि दर ₹ 16.07 लाख प्रति हेक्टेयर पर राशि ₹ 44.35 लाख एवं लीज किराया राशि ₹ 13.30[4] लाख, कुल राशि ₹ 57.65 लाख में लीज आधार पर 99 वर्ष हेतु आवंटित (6 दिसम्बर 2012) की गयी।

जिला कलेक्टर, नागौर के आवंटन अभिलेखों[5] की मापक जांच में पाया गया (जुलाई 2015) कि आवंटित भूमि किशनगढ़-कुचामन सिटी मेगा हाइवे पर स्थित थी जिसके लिए तीन गुणा डीएलसी दर लागू होनी थी। इस प्रकार भूमि की कीमत ₹ 48.21 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से राशि ₹ 1.33 करोड़ एवं लीज किराया राशि ₹ 39.92 लाख, कुल राशि ₹ 1.73 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत एवं लीज किराया राशि ₹ 1.15 करोड़[6] की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2015) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2016); उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (अक्टूबर 2016)।

4.4.2 डीएलसी जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य सड़क पर स्थित गांवों में स्थित कृषि भूमि के लिए विशेष दरें निर्धारित की गई जो कि 26 मार्च 2012 से प्रभावी थी।

जयपुर जिले के ग्राम गोविन्दगढ़ के खसरा संख्या 1176/2/2 पर स्थित 12.77 हेक्टेयर (50.49 बीघा) राजकीय भूमि राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को मेट्रो डेयरी की स्थापना के लिए आवंटित की गयी थी (जनवरी 2013)।

जिला कलेक्टर जयपुर के आवंटन अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अप्रैल 2016) कि उपरोक्त भूमि गोविन्दगढ़-मलिकपुर मुख्य सड़क पर स्थित थी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से लगती हुई थी। विभाग द्वारा भूमि की कीमत एवं लीज किराये की वसूली डीएलसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य सड़क से दूर स्थित असिंचित कृषि भूमि के लिए निर्धारित दर ₹ 9.14 लाख प्रति बीघा से की गयी थी, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर ₹ 14.11 लाख प्रति बीघा थी।

इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत एवं लीज किराया ₹ 3.92 करोड़ की कम वसूली हुई जो निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्षेत्रफल बीघा में	डीएलसी दर प्रति बीघा	भूमि का प्रीमियम	3 वर्ष का लीज किराया (21.1.2013 से 20.1.2016 तक) ₹ 71.24 लाख प्रति वर्ष की दर से	कुल वसूलनीय राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली
50.49	14.11	712.41	213.72	926.13	534.10	392.03

[3] क्षेत्र पुस्तक नक्शे के सूचकांक का एक प्रकार जहां फसल के बारे में सभी तथ्यों का उल्लेख रहता है लोकप्रियता से खसरे के रूप में जाना जाता है।

[4] अवधि 2012-15 के लिये (₹ 44.35 लाख x 3 x 10 प्रतिशत = ₹ 13.30 लाख)

[5] जांचे गये अभिलेख- उपखण्ड अधिकारी, नावा (नागौर) द्वारा प्रस्तुत जांच सूची और राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन।

[6] भूमि की कीमत एवं लीज किराया की कम वसूली ₹ 1.73 करोड़ (-) ₹ 57.65 लाख = ₹ 1.15 करोड़।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (मई 2016) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016); उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (अक्टूबर 2016)।

4.4.3 राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र (2 मार्च 1987) के अनुसार केन्द्र सरकार के विभागों एवं प्रतिष्ठानों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आवंटन योग्य भूमि का आवंटन डीएलसी द्वारा निर्धारित उस क्षेत्र की कृषि भूमियों की प्रचलित दर पर किया जावेगा।

अलवर जिले की तहसील अलवर के ग्राम बहादुरपुर पट्टी कटला में स्थित 149.22 हेक्टेयर भूमि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (महिला बटालियन) (सीआरपीएफ) को 99 वर्ष की लीज पर आवंटित (29 नवम्बर 2013) की गयी थी।

आवंटन अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (नवम्बर 2015) कि भूमि की दर दिनांक 6 सितम्बर 2013 को ₹ 10 लाख प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 13 लाख प्रति हेक्टेयर कर दी गयी थी। सीआरपीएफ को भूमि दिनांक 29 नवम्बर 2013 को आवंटित की गयी थी। तथापि, कलेक्टर द्वारा आवंटन संशोधन से पूर्व की डीएलसी दरों पर किया गया तथा राशि ₹ 4.85 करोड़[7] के स्थान पर राशि ₹ 3.73 करोड़[8] की वसूली की गयी। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत ₹ 1.12 करोड़ की कम वसूली हुई।

इसको जनवरी 2016 में ध्यान में लाये जाने तथा जून 2016 में सरकार को प्रतिवदित किये जाने के उपरान्त सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि वसूली के लिए नोटिस जारी (जून 2016) किया जा चुका है तथा वसूली के प्रयास जारी है।

4.5 सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव

4.5.1 राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं और सार्वजनिक उपयोग हेतु अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम, 1963 के क्लॉज 3 (iii) के अनुसार, भूमि का आवंटन जिस उद्देश्य के लिए किया गया है उसी के लिए ही उपयोग में ली जानी चाहिए और जिस हेतु भूमि का आवंटन किया गया था उस हेतु भूमि पर निर्माण कार्य कब्जा सुपुर्दगी के छः माह के भीतर शुरू हो जाना चाहिए। आवंटी दो वर्ष के भीतर निर्माण कार्य को पूर्ण करने एवं जिस उद्देश्य हेतु भूमि आवंटित की गयी, उस हेतु उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होगा। क्लॉज 3 (vii) के अनुसार, शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में, भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्त हो जावेगी।

तीन जिला कलेक्टरों[9] के आवंटन अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जुलाई 2015 एवं नवम्बर 2015) कि तीन मामलों में 46.15 बीघा[10] राजकीय भूमि जिसकी कीमत ₹ 2.32 करोड़[11] थी, वर्ष 2005 से 2010 के दौरान शैक्षणिक/कृषि उपज मंडी उद्देश्यों के लिए आवंटित की गयी। यह भी देखा गया कि इन मामलों में आवंटियों को भूमि वर्ष 2005 से

---

[7] 149.22 हैक्टेयर x 13 लाख = 19.40 करोड़ x 25 प्रतिशत = ₹ 4.85 करोड़।

[8] 149.22 हैक्टेयर x 10 लाख = 14.92 करोड़ x 25 प्रतिशत = ₹ 3.73 करोड़।

[9] नागौर, अलवर एवं टोंक।

[10] कृषि उपज मंडी मुण्डवा, नागौर : 30 बीघा, टैगोर महिला शिक्षण संस्थान, अलवर : 4.05 बीघा एवं श्री गोविन्दम कल्याणकारी विकास संस्थान, टोंक : 12.10 बीघा।

[11] कृषि उपज मंडी मुण्डवा, नागौर : 90.00 लाख, टैगोर महिला शिक्षण संस्थान, अलवर : ₹ 87.21 लाख एवं श्री गोविन्दम कल्याणकारी विकास संस्थान, टोंक : ₹ 54.37 लाख।

2013 के दौरान सौंपे जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा निर्धारित अवधि में उपयोग में नहीं ली गयी । तथापि, संबंधित कलेक्टरों के द्वारा भूमि को उपयोग में लेने की निगरानी नहीं की गयी तथा भूमि को सरकार को वापस करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.32 करोड़ मूल्य की भूमि अप्रत्यावर्तित रही ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2016) । राजस्व मण्डल अजमेर ने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि टैगोर महिला शिक्षण संस्थान, अलवर का प्रकरण आवंटन निरस्तीकरण एवं भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित करने के लिये जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है; श्री गोविंदम कल्याणकारी विकास संस्थान, टोंक के प्रकरण में निर्माण/भूमि के उपयोग की अवधि एक वर्ष बढ़ाये जाने के लिए सरकार को लिखा गया है । एक प्रकरण में उत्तर प्रतीक्षित रहा । सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2016) ।

4.5.2 राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1959 के नियम 7 के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य के लिये आवंटित भूमि पर दो वर्ष की अवधि में उद्योग की स्थापना करनी होगी जिसमें असफल होने पर भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित हो जावेगी बशर्ते कि वैध कारणों से आवंटन प्राधिकारियों द्वारा दो वर्ष की अवधि में विस्तार नहीं दिया गया हो ।

जिला कलेक्टर, बीकानेर के आवंटन अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (जनवरी 2016) कि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसिको) को इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए 75 हेक्टेयर भूमि 99 वर्ष की लीज पर इस शर्त के साथ आवंटित की गयी थी (30 मार्च 2009) कि डिपो की स्थापना लीज डीड जारी होने के दो वर्षों के भीतर करनी होगी । स्थापना न करने अथवा लीज डीड के किसी नियम एवं शर्त के उल्लंघन की स्थिति में भूमि सरकार को प्रत्यावर्तित हो जानी थी । यह पाया गया कि राजसिको द्वारा निर्धारित अवधि में ना तो डिपो की स्थापना की गयी ना ही समयावधि के विस्तार की कोई अनुमति दी गयी । तथापि, प्राधिकारियों द्वारा भूमि को सरकार को प्रत्यावर्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.41 करोड़ मूल्य की भूमि अप्रत्यावर्तित रही ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016) । राजस्व मण्डल, अजमेर ने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए एक पत्र लिखा जा चुका है एवं सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी । सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2016) ।

4.5.3 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उत्पादन उददेश्यों के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1996 के नियम 8 में भू-आवंटन की विशेष शर्तों का उल्लेख है। नियम 10 के अनुसार, इन नियमों में उल्लेखित किसी शर्त के साथ-साथ राज्य सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा निर्दिष्ट किसी नियम के उल्लंघन की स्थिति में विभाग आवंटी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त आवंटन निरस्त कर सकेगा ।

इसके अतिरिक्त, पट्टा विलेख के नियम एवं शर्तों के अनुसार, पट्टे की शर्तों के उल्लंघन कि स्थिति में पट्टा समाप्त कर दिया जावेगा तथा उक्त भूखण्ड पट्टादाता को वापस किया

जावेगा तथा पट्टे को समय से पूर्व निरस्त करने पर पट्टेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

जिला कलेक्टर, जयपुर के आवंटन अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (मार्च 2016) कि राजटेक प्लान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर को जोजोबा प्लान्टेशन के लिए जयपुर जिले की जमवारागढ़ तहसील के ग्राम पापड़ में स्थित 120 बीघा भूमि (खसरा संख्या 333) आवंटित (मार्च 2003) की गयी थी। अभिलेखों की जांच में पता चला कि आवंटी ने आवंटित भूमि पर ना तो कार्य शुरू किया और न ही अवधि में बढ़ोत्तरी के लिए कोई आवेदन किया। इस प्रकार, डीएलसी दर के अनुसार ₹ 5.73 करोड़ मूल्य की भूमि, आवंटन की तिथि से दो वर्ष तक अनुपयोजित रही। सरकार द्वारा पट्टे को निरस्त करने तथा नियमों के प्रावधानों तथा पट्टा अनुबंध की नियम एवं शर्तों के उल्लंघन पर भूमि को सरकार को प्रत्यावर्तित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.73 करोड़ मूल्य की भूमि अप्रत्यावर्तित रही।

ध्यान में लाये जाने पर (मार्च 2016), कलेक्टर लेखापरीक्षा अभिमत से सहमत हुए (अप्रैल 2016)।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (मई 2016) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। राजस्व मण्डल, अजमेर ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि भूमि का आवंटन निरस्त करने हेतु शासन को पत्र लिखा गया है (21 मार्च 2013) तथा प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्राप्त जवाब से यह देखा गया कि तीन वर्ष से अधिक व्यतीत होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु निर्णय नहीं लिया गया। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2016)।

4.6 राजस्थान आवासन मण्डल से संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली

राजस्थान आवासन मण्डल को भूमि के आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 8 सितम्बर 1987 को जारी की गयी जिसके तहत यदि सरकार स्वयं की कृषि भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित करती है तो राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमियों का आवासीय तथा वाणिज्यिक या अन्य किसी जनोपयोगी उद्देश्य हेतु आवंटन, संपरिवर्तन तथा विनियमन) नियम, 1981 के तहत भूमि की कीमत प्रचलित बाजार दर पर तथा संपरिवर्तन प्रभारों का सामान्य दर से भुगतान किया जावेगा।

जिला कलेक्टर, नागौर के आवंटन अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जुलाई 2015) कि राजस्थान आवासन मण्डल को ग्राम नागौर में खसरा नम्बर 73 पर स्थित 200 बीघा कृषि भूमि ₹ 3.12 करोड़ में आवंटित (3 जून 2010) की गयी। इस 200 बीघा भूमि में से 113 बीघा आवासीय एवं वाणिज्यिक उददेश्यों तथा शेष 87 बीघा सार्वजनिक सुविधाओं के लिये थी। यह देखा गया कि राजस्थान आवासन मण्डल से संपरिवर्तन प्रभारों ₹ 43.75 लाख की वसूली नहीं की गयी।

इसको जुलाई 2015 में ध्यान में लाये जाने तथा जुलाई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किये जाने के बाद सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि मांग कायम की जा चुकी है (अगस्त 2016) तथा वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

4.7 संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली/ कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमियों का अकृषि प्रयाजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 7 के अनुसार, कृषि भूमियों के अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिये प्रीमियम सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर प्रभार्य होगा।

इसके अलावा उपरोक्त नियमों के नियम 13 के तहत, यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग बिना अनुमति के कर लिया हो तो वह रूपान्तरण प्रभारों का चार गुना जमा करवाकर मामले के नियमन के लिये आवेदन कर सकता है।

सात जिला कलेक्टरों[12] के संपरिवर्तन अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जून 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य) कि 115 मामलों में खातेदारी भूमि बिना संपरिवर्तन के आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा संस्थानिक उददेश्यों हेतु उपयोग में ली गयी। तथापि, विभाग ने 79 मामलों में प्रीमियम तथा चार गुना संपरिवर्तन शुल्क वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.66 करोड़ की अवसूली रही। इनके अलावा, 36 मामलों में संपरिवर्तन शुल्क राशि ₹ 90.56 लाख की कम वसूली की गयी। इन 115 मामलों का विवरण निम्नानुसार हैः

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	भू उपयोग की प्रकृति	संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली		संपरिवर्तन प्रभारों की कम वसूली	
		मामले	राशि	मामले	राशि
1	आवासीय	-	-	3	22.97
2	वाणिज्यिक	1	52.38	18	24.72
3	औद्योगिक	43	45.32	12	29.63
4	संस्थानिक	35	68.55	3	13.24
योग		**79**	**166.25**	**36**	**90.56**

इसके परिणामस्वरूप संपरिवर्तन प्रभारों में राशि ₹ 2.57 करोड की अवसूली/कम वसूली रही।

प्रकरण अगस्त 2015 से मई 2016 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सितम्बर 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया। राजस्व मण्डल द्वारा दो मामलों में राशि ₹ 2.52 लाख की वसूली की गयी तथा एक मामले में वसूली की कार्यवाही शुरू की गयी। एक अन्य मामले में 10,300 मीटर क्षेत्रफल के स्थान पर 800 मीटर के लिये संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली की गयी जिसका कोई कारण नहीं बताया गया। बाकी मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2016)।

[12] अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ, जयपुर, झालावाड, झुन्झुनू तथा कोटा।

4.8 संपरिवर्तन प्रभारों में छूट की अवसूली

राज्य सरकार ने 'कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 (नीति)' लागू की (जुलाई 2010)। नीति के क्लॉज 11 सहपठित राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (योजना) के अनुसार यदि भूमि का संपरिवर्तन कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय के लिये किया जाता है तो भूमि के औद्योगिक संपरिवर्तन प्रभारों में 50 प्रतिशत की छूट देय है। इसके अतिरिक्त, भूमि के आवंटन की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में योजना के तहत दिया गया लाभ वापस लिया जावेगा तथा जिस तारीख से लाभ दिया गया है उस तारीख से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूल किया जावेगा।

जिला कलेक्टर, जयपुर के संपरिवर्तन अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (मार्च 2016 से अप्रैल 2016 के मध्य) कि 27 व्यक्तियों ने कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि व्यवसाय परियोजनाओं की स्थापना के लिये अपनी कृषि भूमि के संपरिवर्तन हेतु आवेदन किया। सम्बन्धित पांच उपखण्ड अधिकारियों[13] ने 50 प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभारों सहित भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश इस शर्त पर जारी किये (फरवरी 2013 से मार्च 2015 के मध्य) कि लाभार्थियों द्वारा भूमि का उपयोग प्रकट किये गये प्रयोजन हेतु पांच वर्ष के भीतर कर लिया जावेगा।

संपरिवर्तन अभिलेखों तथा सम्बन्धित उपपंजीयक कार्यालयों से भूमियों के विक्रय विलेखों की प्राप्त सूचनाओं के आपसी मिलान में यह पता चला कि लाभार्थियों ने संपरिवर्तित भूमि पर कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि व्यवसाय परियोजनाओं की स्थापना किये बगैर ही भूमि के संपरिवर्तन के तीन दिन से 19 माह के भीतर संपरिवर्तित भूमि को बेच दिया (फरवरी 2013 से मार्च 2015)।

उपखण्ड अधिकारियों/तहसीलदारों/उपपंजीयकों के स्तर पर संपरिवर्तन आदेशों में उल्लेखित शर्तों की पालना को देखने के लिए कोई क्रियाविधि नहीं होने से विभाग भूमियों के बेचान से अनभिज्ञ रहा। इसके परिणामस्वरूप संपरिवर्तन प्रभारों में छूट ₹ 41.69 लाख एवं ब्याज ₹ 10.69 लाख, कुल ₹ 52.38 लाख की अवसूली रही।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (मई 2016) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016); उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (अक्टूबर 2016)।

---

[13] चाकसू, जमवारामगढ, सांभर, शाहपुरा, एवं विराट नगर।

अध्याय-V

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय-V : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियां भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; पंजीयन अधिनियम, 1908; राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनयमित होते हैं। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर एवं दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय होता है।

सरकार के स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) नीति निर्धारण, मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होता है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रमुख महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक हैं। प्रशासनिक मामलों में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार इनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक जयपुर को मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य सौंपा गया है। सम्पूर्ण राज्य को 18 वृत्तों में विभाजित किया गया है जिनका नेतृत्व उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) द्वारा किया जाता है तथा यहां 114 उप पंजीयक एवं 409 पदेन[1] उप पंजीयक हैं।

5.2 विभाग द्वारा संपादित आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभार में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना उनके महत्व एवं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान संपादित आंतरिक लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाईयां	कमी प्रतिशत में
2011-12	369	149	220	59.62
2012-13	369	183	186	50.40
2013-14	369	117	252	68.29
2014-15	523	16	507	96.94
2015-16	523	125	398	76.10

स्रोतः सूचना महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों की लेखापरीक्षा होने में कमी प्रतिशत्ता में 50 प्रतिशत से 97 प्रतिशत रही। विभाग द्वारा कमी का कारण स्टॉफ की कमी होना बताया गया।

[1] तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पदेन उप पंजीयक घोषित किया गया है।

यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 11,216 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	2010-11 तक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	योग
अनुच्छेद	7,270	941	1,187	794	121	903	**11,216**

स्रोतः सूचना महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

कुल 11,216 अनुच्छेदों में से 7,270 अनुच्छेद पांच वर्ष से भी अधिक समय से बकाया थे। वृहद् संख्या में बकाया की स्थिति आंतरिक लेखापरीक्षा के मूल उद्देश्यों को विफल करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के द्वारा बताई गयी कमियों पर ध्यान केन्द्रीत करने हेतु सरकार द्वारा विभाग को सलाह देने पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण की कार्यवाही समय व्यतीत होने के साथ कठिन हो जायेगी।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 227 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 1,880 प्रकरणों में ₹ 232.70 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति का पता लगा जो मुख्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से संबंधित लोक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य समन्वय' पर अनुच्छेद	1	130.34
2	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	1,377	19.89
3	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	437	81.00
4	अन्य अनियमितताऐं:		
	(i) राजस्व से सम्बन्धित	64	1.43
	(ii) व्यय से सम्बन्धित	1	0.04
	योग	**1,880**	**232.70**

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 2,767 प्रकरणों से संबंधित ₹ 41.52 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिनमें से ₹ 34.55 करोड़ के 1,347 प्रकरण वर्ष 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्व वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान 1,529 प्रकरणों में ₹ 6.97 करोड़ वसूल किये, जिनमें से ₹ 0.95 करोड़ के 145 प्रकरण वर्ष 2015-16 के तथा शेष पूर्व वर्षों से संबंधित थे।

'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से संबंधित लोक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य समन्वय' पर एक अनुच्छेद जिसमें सन्निहित राशि ₹ 130.34 करोड़ है एवं ₹ 11.37 करोड़ के कुछ प्रकरणों का उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया है।

5.4 मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से संबंधित लोक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य समन्वय

5.4.1 परिचय

लेख्यपत्रों पर मुद्रांक कर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 3 के अन्तर्गत अनुसूची में अंकित राशि के अनुसार प्रभार्य है। राज्य सरकार की अधिसूचना (16 दिसम्बर 1997) के अनुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, सभी निगमित एवं अनिगमित कम्पनियों, नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया गया है।

धारा 37 अनुबंधित करती है कि प्रत्येक लोक कार्यालय का प्रभारी[2] व्यक्ति उसके सम्मुख प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज/लेख्यपत्र की जांच करेगा कि वह उचित रूप से मुद्रांकित है। जब एक लोक कार्यालय के अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के दौरान या अन्यथा एक लेख्यपत्र या उसकी प्रति से ज्ञात होता है कि वह लेख्यपत्र पूर्ण मुद्रांकित नहीं है, तो वह उसे जब्त करके कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा।

महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) के द्वारा समय-समय[3] पर उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक)/ उप पंजीयकों को लोक कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण किये जाने बाबत निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किये गये कि मुद्रांक कर का सही रूप से भुगतान किया जा रहा है।

5.4.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

तैंतीस जिलों में से तीन जिलों[4] में स्थित 22 लोक कार्यालयों[5] के वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा फरवरी 2016 से जून 2016 के मध्य यह जांचने के लिये की गयी कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा लोक कार्यालयों के मध्य समुचित सामंजस्य है एवं लोक कार्यालयों में प्रस्तुत संव्यवहारों/लेख्यपत्रों पर त्वरित एवं सही मुद्रांक कर की प्राप्ति की जा रही है। नियमित लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात समान प्रकृति के प्रकरणों को भी इस पैराग्राफ में शामिल किया गया है।

---

[2] ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार के द्वारा विभागीय गजट के जरिये नियुक्त किया गया हो।

[3] दिसम्बर 2009, अगस्त 2010।

[4] अलवर, जयपुर एवं जोधपुर।

[5] रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज जयपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऋण वसूली प्राधिकरण, जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी-I,II, अलवर, रीको-सीतापुरा, बाईस गोदाम, वी.के.आई., मालवीय नगर, भिवाड़ी, नीमराणा, अलवर, जोधपुर, नगर निगम, जयपुर एवं जोधपुर।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.4.3 लोक कार्यालय के प्रभारी व्यक्तियों को जागरूक करने में विफलता

राज्य सरकार द्वारा (16 दिसम्बर 1997) कुछ कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) के द्वारा ना तो किसी तरह का विज्ञापन प्रकाशित किया गया और न ही अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये लोक कार्यालयों के प्रभारी व्यक्ति को किसी तरह का परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किया गया।

यह पाया गया कि चयनित लोक कार्यालयों के प्रभारी व्यक्तियों के द्वारा मुद्रांक कर के अनारोपण/कम आरोपण बाबत कोई सन्दर्भ कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित नहीं किया गया यद्यपि वे मुद्रांक कर के अनारोपण/कम आरोपण बाबत कलेक्टर (मुद्रांक) को सन्दर्भ दर्ज कराने के लिये उत्तरदायी थे।

अधिसूचना जारी होने के 19 वर्ष बाद भी महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) के द्वारा मुद्रांक कर बाबत प्रभारी व्यक्तियों को जागरूक करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये।

5.4.4 उपमहानिरीक्षक/कलेक्टर (मुद्रांक)/उप पंजीयकों द्वारा लोक कार्यालयों का निरीक्षण

महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पब्लिक के द्वारा सही प्रकार से मुद्रांक कर का भुगतान किया जा रहा है उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) को लोक कार्यालयों के निरीक्षण बाबत दिशा-निर्देश जारी किये गये (जनवरी 1998)। लोक कार्यालयों के निरीक्षण के लिये समय-समय पर जरूरत महसूस की गयी एवं वर्ष 2010 में महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) के द्वारा सभी उपमहानिरीक्षकों (मुद्रांक) को वर्ष में एक बार एवं उप पंजीयकों को तीन माह में एक बार लोक कार्यालयों के निरीक्षण हेतु निर्देश जारी किये गये।

तीन जिलों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के क्षेत्राधिकार में आने वाले 22 लोक कार्यालयों के किये गये निरीक्षण के बारे में सूचना मांगी गयी। उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) अलवर एवं जयपुर के द्वारा निरीक्षण बाबत सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी, यद्यपि उनके द्वारा 90 निरीक्षण किये जाने थे।

लेखापरीक्षा के द्वारा जोधपुर जिले में चार लोक कार्यालय[6] मापक जांच हेतु चयनित किये गये थे। यह पाया गया कि प्रत्येक कार्यालय के पांच निरीक्षण लक्ष्यों के विरूद्ध उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) जोधपुर के द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण में तीन निरीक्षण किये गये, नगर निगम जोधपुर में दो निरीक्षण किये गये एवं दो लोक कार्यालयों में निरीक्षण नहीं किया गया।

तथापि, हमने तीन जिलों के 22 लोक कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया कि 12 लोक कार्यालयों के 131 प्रकरणों में ₹ 130.34 करोड़ मुद्रांक कर का कम आरोपण पाया गया

[6] जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, रीको एवं रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस जोधपुर।

जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लोक कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	कमी मुद्रांक की राशि
1	रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस; जयपुर (शहर) एवं जोधपुर	77	84.41
2	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर	6	2.15
3	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर	15	36.48
4	ऋण वसूली प्राधिकरण, जयपुर	16	0.61
5	नगर सुधार न्यास; अलवर एवं भिवाड़ी	10	4.21
6	राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम; भिवाड़ी-II, जयपुर-बाईस गोदाम, नीमराणा, सीतापुरा एवं वीकेआई जयपुर	7	2.48
कुल योग		**131**	**130.34**

निष्कर्ष यह दर्शाते है कि संबंधित उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक)/उप पंजीयक यदि महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) के द्वारा निर्देशित निरीक्षण करते तो मुद्रांकन की कमी के काफी प्रकरण जांचे जाते एवं राजस्व के भारी रिसाव को रोका जा सकता था। उपरोक्त प्रकरणों की आगामी अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है:

5.4.5 मुद्रांक कर का अनारोपण/कम आरोपण

पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार वसीयती पत्रों से भिन्न लेख्यपत्र जिनका अभिप्राय ₹ 100 और उससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति में या के लिये, वर्तमान या भविष्य में चाहे नियमित हो या आकस्मिक, कोई अधिकार, स्वत्व या हित बताने, घोषित, निर्दिष्ट, सीमित या समाप्त करता हो तो उसका पंजीयन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21 के अनुसार कन्वेन्स के दस्तावेज में मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से प्रभार्य होगा। सरचार्ज भी मुद्रांक कर की राशि पर 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की दर से 9 मार्च 2011 से प्रभार्य होगा।

आर्टिकल 43 (1)(सी)[7] में प्रावधान है कि जब अचल संपत्ति प्रारम्भिक पूंजी अंशदान के रूप में फर्म में लायी जाती है तो मुद्रांक कर ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स की दर से प्रभार्य होगा।

5.4.5.1 अचल संपत्ति का साझेदारी फर्म को हस्तान्तरण

- **लोक कार्यालयों से संबंधित प्रकरण**

रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जयपुर शहर, जोधपुर, नगर सुधार न्यास भिवाड़ी तथा रीको-II भिवाड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया (फरवरी 2016 एवं जून 2016 के मध्य) कि वर्ष 2008-09 से 2015-16 की अवधि के दौरान साझेदारी विलेख के 56 प्रकरणों में ₹ 1121.69 करोड़ की अचल संपत्ति साझेदारों के द्वारा पूंजी अंशदान के रूप में दी गई। ये सभी विलेख कन्वेन्स की श्रेणी में आते हैं जिन पर मुद्रांक कर राशि ₹ 67.30 करोड़ प्रभार्य

[7] राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 के जरिये 26 मार्च 2012 से लागू किया गया (2012 का अधिनियम संख्या 18)

थी । तथापि, यह देखा गया कि इन साझेदारी विलेखों पर केवल ₹ 0.28 लाख की राशि मुद्रांक कर के रूप में भुगतान की गयी । इन कार्यालयों के प्रभारी व्यक्ति लोक अधिकारी के कर्तव्यों के निष्पादन में यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि साझेदारी विलेखों के निष्पादन पर मुद्रांक कर का सही भुगतान किया गया था एवं उन्होनें इन संव्यवहारों के बारे में संबंधित उपमहानिरीक्षक को सूचित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 67.30 करोड़ मुद्रांक कर मय सरचार्ज का कम आरोपण हुआ । उदाहरणार्थ कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शायें गये हैः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पंजीकृत संख्या एवं दिनांक	फर्म का नाम	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	सम्पत्ति का बाजार मूल्य	देय मुद्रांक कर
1	13/452/2011 15.4.2011	मै. केजीके होम्स, जयपुर	2692.75 वर्गमीटर	11.27	0.67
2	13/451/2011 15.4.2011	मै. केजीके वेन्चर, जयपुर	50.576 बीघा	45.52	2.73
3	13/588/2011 11.5.2011	मै. केजीके रेजीडेन्सियल, जयपुर	171090 वर्गमीटर	85.63	5.14
4	13/587/2011 11.5.2011	मै. केजीके कमर्शियल, जयपुर	46850 वर्गमीटर	194.80	11.69
5	13/774/2011 21.6.2011	मै. केजीके रियलटर, जयपुर	57600 वर्गमीटर	221.76	13.31

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि 46 दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिये गये हैं; चार प्रकरणों में वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं तथा छः प्रकरणों में कार्यवाही प्रतीक्षित है ।

- **उप पंजीयकों से संबंधित प्रकरण**

सितम्बर 2015 से जनवरी 2016 के दौरान छः उप पंजीयक कार्यालयों[8] की मापक जांच में 17 विक्रय विलेखों के वर्णन की संवीक्षा में पाया गया कि 12 मामलों में व्यक्तिगत/कम्पनियों/ फर्मो के स्वामित्व की भूमि साझेदारी फर्म में उनकी हिस्सेदारी के रूप में साझेदारी फर्मो को हस्तान्तरित कर दी गई थी तथा पांच मामलों में फर्मो का स्वामित्व बदल गया था । इस प्रकार, व्यक्तिगत स्वामी/स्वामियों/कम्पनियों एवं साझेदारों (प्रेषितियों) ने अपनी भूमि सम्पत्ति-भागीयों (एकल/साझेदारी फर्म/कम्पनी) को हस्तान्तरण (सौंप दी) कर दी थी और इस प्रकार, सम्पत्ति-भागी उक्त सम्पत्ति के विधिक स्वामी हो गये थे । इस प्रकार व्यक्तिगत/फर्म/ कम्पनियों की अचल संपत्ति अन्य को हस्तान्तरण होने पर मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 10.12 करोड़ प्रभार्य था । तथापि, उप पंजीयकों द्वारा विक्रय विलेखों का पंजीयन करते समय उक्त राशि प्रभारित नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 10.12 करोड़ का अनारोपण रहा ।

[8] अजमेर-I, जयपुर-II, जयपुर-III, जयपुर-VI, जयपुर- VII तथा भरतपुर ।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016) । सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि 12 दस्तावेजों में उप महानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये है तथा दो प्रकरणों में वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये है। तीन दस्तावेजों के मामले में यह कहा गया कि उप पंजीयक जयपुर-III लेखापरीक्षा आक्षेप से सहमत नहीं है तथा मामलों में विभाग स्तर पर जांच की जा रही है।

5.4.6 लीज डीड के निष्पादन का अभाव

5.4.6.1 वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबन्धक, राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम (रीको) सीतापुरा एवं बाईस गोदाम जयपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं सूचनाओं की जांच में पाया गया कि रीको द्वारा तीन भूखण्डों का विक्रय/आवंटन (फरवरी 2012 एवं जुलाई 2015 के मध्य) उद्यमियों को किया गया। इन भूखण्डों के आवंटन मूल्य ₹ 25.55 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 1.53 करोड़ वसूली योग्य था। आवंटन पत्र की शर्तो के अनुसार विकास प्रभारों की सम्पूर्ण राशि जमा होने के 90 दिन के भीतर भू-खण्डों का पंजीयन कराना आवश्यक था। तथापि, भूखण्डों का कब्जा दिये जाने के बाद भी क्रेताओं द्वारा पट्टों का निष्पादन/पंजीयन नहीं कराया गया। रीको कार्यालयों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा पट्टों के निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही नही की गई और न ही इन लेनदेनों के संबंध में कलेक्टर (मुद्रांक) को सूचित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर मय सरचार्ज ₹ 1.53 करोड़ का अनारोपण रहा।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016) । सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि एक मामले में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिया गया है एवं अन्य दो मामलों में वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है।

5.4.6.2 ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं की समीक्षा में पाया गया कि 16 ऋणियों द्वारा ऋण का वापस भुगतान नहीं करने पर न्यायाधिकरण द्वारा उनकी सम्पत्ति कुर्क कर दी गयी। नीलामी से प्राप्त नीलामी राशि (₹ 10.25 करोड़) पर मुद्रांक कर ₹ 61 लाख वसूलनीय थी। ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा सफल बोली दाताओं/क्रेताओं के पक्ष में विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किये गये। तथापि, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के प्रभारी अधिकारी ने प्रमाण-पत्रों का पंजीयन सुनिश्चित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर मय सरचार्ज राशि ₹ 61 लाख का अनारोपण रहा।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि छः दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये हैं; छः मामलों में वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है तथा चार प्रकरणों में प्रत्युत्तर प्रतीक्षित रहा।

5.4.6.3 नगर विकास न्यास, अलवर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि आठ भूखण्डों की नीलामी की गयी तथा सफल बोली दाताओं/क्रेताओं को आवंटित किये गये (सितम्बर 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य)। क्रेताओं द्वारा भूखण्डों की राशि नगर विकास न्यास में जमा करा दी गयी थी। इन भूखण्डों की नीलामी राशि (₹ 9.22 करोड़) पर मुद्रांक कर ₹ 55 लाख वसूलनीय था। आवंटन अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्रेताओं द्वारा

पट्टों का निष्पादन नगर विकास न्यास से नहीं कराया गया। तथापि, नगर विकास न्यास के प्रभारी अधिकारी द्वारा भूखण्डों के विक्रय के संबंध में न तो उप पंजीयक को सूचित किया और न ही पट्टों के निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही की गयी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर मय सरचार्ज राशि ₹ 55 लाख का अनारोपण रहा।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि सभी आठों मामलों में वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

5.4.7 रियायत अनुबंधों पर मुद्रांक कर का अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 2(एक्स-ए) में परिभाषित रियायत अनुबन्ध राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य वैधानिक संस्था द्वारा भूमि या सम्पत्ति के संबंध में प्रदत्त अधिकार समाहित ऐसा अनुबन्ध है जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक उपक्रम, जैसा भी मामला हो, की ऐसी सम्पत्ति का उपयोग करते हुये निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन वाणिज्यिक आधार पर कुछ सेवायें प्रदान करना है।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 20-ए में निष्पादकों द्वारा रियायत अनुबन्धों के निष्पादन पर देय मुद्रांक कर की दरें वर्णित हैं। मुद्रांक कर की दर निष्पादकों द्वारा किये गये पूंजीगत निवेश पर आधारित होती है। उपरोक्त आर्टिकल के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार 14 जुलाई 2014 के पूर्व निष्पादित रियायती अनुबन्धों पर मुद्रांक कर इस आर्टिकल के तहत वसूलनीय है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना से ज्ञात हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं विभिन्न ठेकेदारों/रियायतियों/सलाहकारों के मध्य निर्माण, उपयोग एवं हस्तान्तरण के आधार पर वर्ष 2002 से 2015 के मध्य राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 15 रियायत अनुबन्ध किये गये थे। उपरोक्त में से 14 अनुबन्ध 14 जुलाई 2014 से पूर्व के थे जबकि एक अनुबंध 14 अक्टूबर 2015 को निष्पादित हुआ था। तथापि, सम्पूर्ण रियायती अनुबन्धों पर मुद्रांक कर देय था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रियायती अनुबंधों की न तो संबंधित उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) को मुद्रांक कर आरोपण हेतु प्रति भेजी और न ही दस्तावेजों को जब्त किया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर मय सरचार्ज राशि ₹ 36.48 करोड़ का कम आरोपण रहा। कुछ उदाहरण नीचे सारणी में दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुबंध की तारीख	परियोजना का नाम	ठेकेदार/रियायतियों/सलाहकारों के नाम	परियोजना की कुल लागत	देय		
					मुद्रांक कर	सरचार्ज	कुल
1	22.6.2011	ब्यावर-पाली-पिण्डवाडा	एल एण्ड टी बी.पी.पी. प्रा.लि.	₹ 2,388.00 करोड़। पूंजी लागत, 1,000 करोड़ से अधिक पर देय शुल्क ₹ 5 करोड़।	5.00	1.00	6.00
2	22.2.2013	फतेहपुर-राजस्थान / हरियाणा-बॉर्डर	सालासर हाईवे प्रा.लि.	₹ 530.07 करोड़। पूंजी लागत, 500 करोड़ से अधिक पर देय शुल्क ₹ 2 करोड़।	2.00	0.40	2.40
3	13.10.2005	भरतपुर-महुआ	मधुकोन आगरा-जयपुर एक्सप्रेसवे लि.	₹ 250.00 करोड़। पूंजी लागत, 200 करोड़ से अधिक पर देय शुल्क ₹ एक करोड़।	1.00	0.20	1.20
4	10.3.2006	आगरा-भरतपुर	मै. ओरियण्टल पाथवेज (आगरा) प्रा.लि.	₹ 195 करोड़। पूंजी लागत, 50 करोड़ से अधिक पर देय शुल्क ₹ 40 लाख।	0.40	0.08	0.48

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि दो प्रकरणों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं; छः प्रकरणों में वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं; दो प्रकरणों में विभागीय स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है; तीन प्रकरणों में उपमहानिरीक्षक स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है एवं शेष दो प्रकरणों में जवाब प्रतीक्षित रहा।

5.4.8 साझेदारी फर्म के विघटन या साझेदार की निवृत्ति पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 43 (2)(ए)[9] के अनुसार साझेदारी फर्म के विघटन या साझेदार के निवृत्त होने पर एक साझेदार द्वारा सम्पत्ति का अपना हिस्सा प्राप्त किया जाता है, उस साझेदार से भिन्न साझेदार द्वारा उस सम्पत्ति को अपने हिस्से के रूप में साझेदारी फर्म में अंशदान के लिये लाता है तो ऐसे दस्तावेज पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर वसूलनीय होगा।

रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, जयपुर शहर एवं रीको भिवाड़ी के अभिलेखों की समीक्षा पाया गया (फरवरी 2016 एवं जून 2016 के मध्य) कि पांच प्रकरणों में एक या अधिक साझेदार फर्म से निवृत्त हुये। इन प्रकरणों में फर्म की अचल संपत्तियां ऐसे साझेदारों से भिन्न साझेदारों को हस्तान्तरित की गयी जो अपने हिस्से के रूप में अचल सम्पत्ति फर्म में लेकर आये थे। तथापि, यह देखा गया कि इन साझेदारी विलेखों पर संपत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 131.59 करोड़ पर प्रभार्य मुद्रांक कर ₹ 7.89 करोड़ के स्थान पर मात्र ₹ 0.03 लाख वसूल किया गया। परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर मय सरचार्ज ₹ 7.89 करोड़ का कम आरोपण रहा।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि समस्त पांचों दस्तावेजों में प्रकरण उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां दर्ज करा दिये गये हैं।

5.4.9 'ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईन्मेन्ट' पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज का अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 55 के अनुसार 'ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे आफ असाईन्मेंट' के लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति, जो कि हस्तान्तरण की विषयवस्तु है के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स की दर से प्रभार्य होगा। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक ने अपने परिपत्र 06/2009 के द्वारा स्पष्ट किया है कि साझेदारी में परिवर्तन/फर्म का विघटन/फर्म के विधिक स्वरूप में परिवर्तन 'ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे आफ असाईन्मेन्ट' की श्रेणी में आयेगा।

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको नीमराणा के अभिलेखों की जांच में पाया गया (मई 2016) कि एक प्रकरण में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी मैसर्स शुभम बिल्डेव प्राईवेट लिमिटेड़ का विधिक स्वरूप 1 नवम्बर 2014 को सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) में परिवर्तित हो गया। उप पंजीयक ने संशोधित लीज डीड के पंजीयन पर संपरिवर्तन राशि ₹ 3.60 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 18 लाख की वसूली की (फरवरी 2014)। जबकि कम्पनी

[9] राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 18) द्वारा 26 मार्च 2012 को जोडा गया।

का एलएलपी में परिवर्तन होने से विधिक स्वरूप में परिवर्तन के तथ्य पर उप पंजीयक द्वारा संशोधित लीज डीड के पंजीयन के समय ध्यान नही दिया गया जिस पर संपत्ति के बाजार मूल्य राशि ₹ 12 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 72 लाख की वसूली की जानी चाहिए थी।

इसी तरह नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी के दूसरे प्रकरण में यह देखा गया (मई 2016) कि नगर सुधार न्यास के प्रभारी व्यक्ति द्वारा राजसा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड से राजसा इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी में विधिक स्वरूप परिवर्तन की स्वीकृति के समय धारा 37 (4) के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। दस्तावेज में उल्लेखित सम्पत्ति के बाजार मूल्य ₹ 46 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 2.76 करोड़ प्रभार्य थी। यह मुद्रांकित/पंजीकृत नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप उक्त प्रकरणों में मुद्रांक कर मय सरचार्ज कुल राशि ₹ 3.48 करोड़ का अनारोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि नीमराणा से संबंधित प्रकरण उप पंजीयक, बहरोड के यहां दस्तावेज संख्या 617 के रूप में दिनांक 26 फरवरी 2014 को पंजीकृत था तथा इसके कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी का विधिक स्वरूप 31 अक्टूबर 2014 को एलएलपी में परिवर्तित हुआ एवं संशोधित लीज डीड 17 अप्रैल 2015 को जारी हुयी। अतः दस्तावेज का विधिक स्वरूप परिवर्तन होने के पश्चात पंजीकृत होना चाहिए था एवं मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होना चाहिए था। शेष एक प्रकरण में कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

5.4.10 कम्पनियों के समामेलन पर मुद्रांक कर का अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21(iii) के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के तहत किसी कम्पनी के समामेलन, डीमर्जर अथवा पुनर्गठन के आदेश पर वसूलनीय मुद्रांक कर अधिकतम 25 करोड़ के अधीन निम्न दरों से प्रभार्य हैः

(i) ऐसे समामेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आवंटित या रद्द किये गये शेयरों के बाजार मूल्य में समाविष्ट कुल राशि या ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य में से जो भी अधिक हो और संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, या

(ii) अंतरणकर्ता कम्पनी की राजस्थान राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर कोई रकम, जो भी अधिक हो।

रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, जयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹ 44.69 करोड़ मूल्य की 11 कम्पनियों का 6 अन्य कम्पनियों में समामेलन हुआ। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया लोक कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि दस्तावेज पंजीकृत थे। अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रभारी व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे एवं समामेलन आदेशों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर मय सरचार्ज राशि ₹ 2.15 करोड़ का अनारोपण रहा।

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि चार दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिये गये है; एक प्रकरण में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के द्वारा संबंधित उप पंजीयक को वसूली हेतु निर्देशित किया गया है एवं शेष एक प्रकरण में पालना प्रतीक्षित रही।

5.4.11 भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश पर मुद्रांक कर का अनारोपण

अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2016 के अनुसार, भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश पर एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेश या किसी अन्य संबंधित नियम के तहत, जैसा भी प्रकरण हो, पर मुद्रांक कर, भू-उपयोग परिवर्तन पर लिये गये प्रभारों या फीस की राशि के पांच प्रतिशत की दर से न्यूनतम ₹ 500 के अध्यधीन प्रत्येक प्रकरण में वसूलनीय होगा।

तीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों, रीको[10] के अभिलेखों एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी सूचनाओं की समीक्षा में पाया गया कि 6,459.22 वर्गमीटर क्षेत्रफल के तीन भूखण्डों का भू उपयोग परिवर्तन किया गया था। संपरिवर्तन प्रभारों की राशि ₹ 3.54 करोड़ पर पंजीयन शुल्क, मुद्रांक कर एवं सरचार्ज की राशि ₹ 22.73 लाख भुगतान योग्य थी।

तथापि, भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी करते समय यह राशि वसूल नहीं की गयी। एक प्रकरण में, उप पंजीयक नीमराणा द्वारा संशोधित लीज डीड के पंजीयन पर मुद्रांक कर की राशि ₹ 100 ही वसूल की गयी, जबकि अन्य दो प्रकरणों मे भू-उपयोग परिवर्तन के आदेशों पर संशोधित लीज डीड के निष्पादन के अभाव में मुद्रांक कर वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर मय सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 22.73 लाख[11] का अनारोपण/कम आरोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि दो दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये गये है एवं दस्तावेज संख्या 1,299 में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है क्योंकि दस्तावेज उप पंजीयक, नीमराणा के द्वारा पहले से ही 4 जून 2012 को पंजीकृत कर दिया गया था। दस्तावेज संख्या 1,299 के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, दस्तावेज औद्योगिक से होटल में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के लिये निष्पादित किया गया था जबकि उप पंजीयक ने रीको के द्वारा 19 अगस्त 2015 को होटल से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन उपरान्त जारी संशोधित लीज डीड पर मुद्रांक कर की वसूली नहीं की।

[10] नीमराणा, वी.के.आई. एवं बाईस गोदाम (ग्रामीण), जयपुर।

[11] ₹ 22.73 लाख = मुद्रांक कर ₹ 17.69 लाख + सरचार्ज ₹ 2.04 लाख + पंजीयन शुल्क ₹ 3.00 लाख।

निष्कर्ष एवं अनुशंषायें

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा उपमहानिरीक्षक/कलेक्टर (मुद्रांक)/उप पंजीयकों को मुद्रांक कर की सही देयता के संबंध में लोक कार्यालयों के अभिलेखों के निरीक्षण हेतु जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के प्रावधानों एवं लोक कार्यालय के संबंध में जारी परिपत्रों के बावजूद प्रभारी व्यक्तियों को मुद्रांक कर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। लोक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य प्रभावी समन्वय के अभाव के कारण हमने अवलोकन किया कि अचल सम्पत्ति का साझेदारी फर्मों को हस्तान्तरण; पट्टों के निष्पादन का अभाव; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं रियायतियों के मध्य रियायती अनुबन्धों का निष्पादन; साझेदारी फर्मों का विघटन, 'ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेन्ट' एवं कम्पनियों के समामेलन पर मुद्रांक कर का अनारोपण/कम आरोपण रहा।

सरकार को राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये लोक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य समन्वय बढाने की आवश्यकता हैं। दस्तावेजों के अपंजीयन तथा कमी मुद्रांकन की जांच करने हेतु उपमहानिरीक्षकों/कलेक्टर (मुद्रांक)/उप पंजीयकों के द्वारा लोक कार्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित हो। लोक कार्यालयों के प्रभारी व्यक्तियों को मुद्रांक कर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा लेख्यपत्रों के मुद्रांकन से संबंधित सभी लेनदेनों की सूचना उप पंजीयकों को दी जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की जाती है कि नई साझेदारी/साझेदारी में परिवर्तन/भागीदारों की निवृति/साझेदारी फर्मों के विघटन विलेख तथा कम्पनियों के समामेलन/डीमर्जर के आदेश रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस/रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जैसा भी मामला हो को प्रस्तुत करने से पूर्व उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो राजस्थान मुद्रांक अधिनियम में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

5.5 कब्जे के हस्तान्तरण के साथ विक्रय अनुबन्ध पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 2(xi) में कन्वेन्स को परिभाषित किया गया है कि विक्रय पर ऐसा कन्वेन्स जिसके द्वारा किन्ही दो व्यक्तियों के मध्य सम्पत्ति अथवा कोई सम्पदा अथवा किसी सम्पत्ति के हित हस्तान्तरित हों अथवा किसी अन्य व्यक्ति में निहीत हो। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21 में दिये गये स्पष्टीकरण (i) के अनुसार यदि किसी लेख्यपत्र के निष्पादन से पहले या बाद में किसी भी समय पर कब्जे का हस्तानान्तरण होता है तो ऐसी अचल सम्पत्ति के विक्रय अनुबन्ध को कन्वेन्स समझा जावेगा तथा इस पर मुद्रांक शुल्क भी तदनुसार देय होगा।

उप पंजीयक, बस्सी तथा जयपुर-II के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अगस्त 2015 तथा अक्टूबर 2015) कि 12 अप्रैल 2013 तथा 19 फरवरी 2015 को दो विक्रय विलेख निष्पादित हुये। इन विक्रय विलेखों के वर्णन से प्रकट हुआ कि विक्रय अनुबन्ध का निष्पादन किया जा चुका था (30 नवम्बर 2008 तथा 31 जनवरी 2013) तथा इनके आधार पर व्यवहारियों द्वारा भूखण्ड/विलाओं का बेचान किया गया इससे यह सिद्ध होता है कि कब्जे का हस्तान्तरण विक्रय अनुबन्ध के समय ही कर दिया गया था। अभिलेखों में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जिससे यह साबित किया जा सके की विक्रय अनुबन्ध का पंजीयन हुआ या नहीं। तथापि, उप पंजीयकों द्वारा विक्रय विलेखों का पंजीयन करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तथा विक्रय अनुबन्ध के लेख्यपत्र पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर की वसूली को सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 1.09 करोड़ की अवसूली रही।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि एक दस्तावेज में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है तथा दूसरे एक मामले में दस्तावेज की कानूनी जांच की जा रही है।

5.6 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान की गयी छूट की अवसूली

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)[12], 2010 के क्लॉज 5 के अनुसार जिस उद्यम को हकदारी प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा वह भूमि के खरीद या लीज के लिये निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट का दावा करने के लिए पात्र होगा। रिप्स के क्लॉज 3 में अनुबंध है कि योजना नये उद्यमों, रूग्ण उद्यमों पर उनके पुनरूत्थान तथा विद्यमान उद्यमों को उनके आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण/विविधिकरण के लिये निवेश करने के लिए इस शर्त के अधीन लागू होगी कि उद्यम को योजना की सक्रिय अवधि के दौरान व्यावसायिक संचालन शुरू करना होगा।

रिप्स के परिशिष्ट-I की क्रम संख्या 4 के अनुसार, विद्यमान उद्यमों के स्थान पर स्थापित उद्यम सिवाय रूग्ण उद्यमों के, रिप्स के तहत अनुदान का लाभ तथा/या छूट प्राप्त करने के लिए पात्र

[12] राज्य में निवेश को बढावा देने तथा इस निवेश से आगे रोजगार के अवसर पैदा करने तथा नये उद्यमों की स्थापना के लिए निवेश तथा/ या विद्यमान उद्यमों के आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण/विविधीकरण के लिए किये गये निवेश की एक योजना है।

नहीं होंगे। क्लॉज 8 (डी) के अनुसार जहां वाणिज्यिक कर/उद्योग विभाग के अधिकारियों के द्वारा जांच अथवा निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि जिन उद्यमों ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है, वे इस तरह के लाभ के लिए पात्र नहीं थे, तो इस तरह के प्रकरण उपयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी को रैफरेन्स किये जायेंगे। रैफरेन्स की प्रमाणिकता से संतुष्ट होने पर कमेटी लाभ की वापसी तथा पूर्व में ही प्राप्त लाभ की 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित वसूली के लिए यथोचित निर्णय लेगी।

छः उप पंजीयकों[13] के अभिलेखों (रीको के पत्र, जांच लिस्ट, हकदारी प्रमाण-पत्र एवं विक्रय विलेख) की मापक जांच में पाया गया (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) कि 15 मामलों में क्रेताओं द्वारा मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट का लाभ लिया गया जो कि या तो लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं थे या शर्तों को पूर्ण करने में असमर्थ रहे जो निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उपपंजीयक का नाम	मामलों की संख्या	मुद्रांक कर तथा अधिभार की राशि	टिप्पणी
1	जयपुर-II, जयपुर-III, जयपुर-V एवं कोटपूतली	5	1.15	क्रेताओं द्वारा नये निवेश के लिए विद्यमान उद्यमों का क्रय किया गया। इस प्रकार, वे योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे।
2	जयपुर-VII एवं शाहपुरा	10	0.31	हकदारी प्रमाण-पत्र विक्रेताओं को जारी किये गये थे जिनके आधार पर क्रेताओं को अनियमित छूट प्रदान की गई।
योग	**6**	**15**	**1.46**	

योजना की शर्तों के उल्लंघन या पात्रता के अभाव के कारण लाभार्थी मुद्रांक कर एवं सरचार्ज के साथ-साथ ब्याज राशि ₹ 1.46 करोड़ के प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी थे।

इसके नवम्बर 2015 से फरवरी 2016 के मध्य विभाग के ध्यान में लाये जाने तथा सितम्बर 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किये जाने के बाद, विभाग ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि एक मामले में सम्पूर्ण राशि ₹ 2.00 लाख वसूल कर ली गयी है; 12 दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं तथा दो मामलों में वसूली बकाया है। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित रहा (अक्टूबर 2016)।

5.7 पट्टा विलेख जहां किराया तय हो तथा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना हो, पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 33(ए)(iii) में प्रावधान है कि जहां किराया तय हो एवं प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है या नहीं दिया गया है तथा जहां लीज का अभिप्राय 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो या शाश्वतता में हो या जहां अवधि का उल्लेख नहीं हो, मुद्रांक कर संपत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स की दर से प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक, जयपुर-VII के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अक्टूबर 2015) कि एक लीज डीड 20 वर्ष से अधिक समय के लिए पंजीकृत की गयी थी। इस प्रकार, सम्पत्ति का

[13] जयपुर-II, जयपुर-III, जयपुर-V, जयपुर-VII, कोटपूतली एवं शाहपुरा।

मूल्यांकन उसके बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए था तथा मुद्रांक कर विद्यमान नियमों के अधीन कन्वेन्स की दर से प्रभार्य किया जाना था। तथापि, उप पंजीयक ने बाजार मूल्य ₹ 11.75 करोड़ पर वसूलनीय मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 65 लाख के स्थान पर मूल्य ₹ 7.47 करोड़ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 42 लाख वसूली की। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 23 लाख का कम आरोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2015) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है।

5.8 विकास अनुबन्धों/विक्रय विलेखों पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2013 के द्वारा किसी अचल सम्पत्ति पर निर्माण करने या उसे विकसित करने, या विक्रय करने या हस्तान्तरण करने (चाहे किसी भी तरीके से) के लिये करार या ज्ञापन किसी प्रवर्तक या विकासकर्ता, जिसे किसी भी नाम से जाना जाये को प्राधिकार या शक्ति प्रदान करने से संबंधित हो, के मामले में मुद्रांक कर घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत कर दिया गया। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय विलेख पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स की दर से प्रभारित होगा। राजस्थान मुद्रांक नियमों के नियम 58 में प्रावधान है कि भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी द्वारा अनुशंसित दरों अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों, जो भी उच्चतर हो, पर निर्धारित होगा।

निम्निलिखित मामलों में मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण देखा गया।

5.8.1 विकास अनुबंधों पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का भुगतान नहीं किया जाना

दो उप पंजीयकों[14] के अभिलेखों (विक्रय विलेख तथा संबंधित दस्तावेजों) की मापक जांच में पाया गया (अगस्त 2015 से अक्टूबर 2015 के मध्य) कि चार दस्तावेज भूखण्डों/फ्लेटों/दुकानों के विक्रय के लिए पंजीबद्ध हुए थे। इन चार लेख्यपत्रों में दिये गये वर्णन से प्रकट हुआ कि विकासकर्ताओं द्वारा मालिकों की ओर से विकास अनुबंध के नियम और शर्तो के अनुसार भूखण्डों तथा बहुमंजिला फ्लेटों/दुकानों का निर्माण/विकास किया गया। तथापि, विकास अनुबंधों की प्रतियां अभिलेखों में नहीं पायी गयी। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका की इन दस्तावेजों पर जो मुद्रांक कर वसूलनीय था उसे विकास अनुबंध के निष्पादन के समय वसूला गया। उप पंजीयकों द्वारा भूखण्डों/फ्लेटों/दुकानों के विक्रय दस्तावेजों के पंजीकरण से पूर्व विकास अनुबंधों के पंजीकरण तथा मुद्रांक कर के भुगतान के तथ्य को सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप बाजार मूल्य ₹ 67.38 करोड़ पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज राशि ₹ 74 लाख का अनारोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया

[14] उप पंजीयकः जयपुर-II तथा उदयपुर-II।

(सितम्बर 2016) कि तीन दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये गये तथा निर्णयाधीन थे। एक मामले में प्रकरण को बिना कोई कारण बताये खारिज कर दिया गया।

5.8.2 विक्रय विलेखों का विकास अनुबन्ध के रूप में गलत वर्गीकरण

5.8.2.1 उप पंजीयक, नीमराणा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अक्टूबर 2015) कि मोहलड़ीया ग्राम में स्थित 2.90 लाख वर्गफीट भूमि के विकास अनुबंध के रूप में एक दस्तावेज (संख्या 1855) पंजीबद्ध था। विलेख में अंकित वर्णन की जांच में पाया गया कि मालिक द्वारा भूमि का कब्जा विकासकर्ता को सौंपा जा चुका था तथा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी से भू-उपयोग संपरिवर्तन की अनुमति लिए जाने पश्चात उसे अपने पक्ष में लीज डीड जारी करवाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। यह भी देखा गया कि मालिक ने विकासकर्ता से राशि ₹ 3.43 करोड़ गैर-वापसी सुरक्षा जमा के रूप में प्राप्त की थी। उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज को विकास अनुबंध मानते हुये पांच प्रतिशत कन्वेन्स की दर से राशि ₹ 67 लाख के स्थान पर सम्पत्ति की कुल कीमत (₹ 12.14 करोड़) पर एक प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर तथा सरचार्ज राशि ₹ 13 लाख प्रभारित की गयी। विक्रय विलेख के दस्तावेज का विकास अनुबंध के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 54 लाख का कम आरोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2015) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिया गया।

5.8.2.2 दो उप पंजीयकों[15] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जनवरी 2016 से फरवरी 2016 के मध्य) कि चार दस्तावेज अप्रैल 2014 से मई 2014 के मध्य विकास अनुबंध के रूप में पंजीबद्ध हुये। दस्तावेज उनके टाईटल के आधार पर वर्गीकृत किये गये तथा मुद्रांक कर, अनुसूची के आर्टिकल 5(ई) के अनुसार सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से वसूला गया। इन विकास अनुबंधों में अंकित वर्णन की जांच में पाया गया कि भूमियों के मालिकों ने विकासकर्ताओं को भूमि का कब्जा लेने के साथ ही सम्पत्ति के 40 से 100 प्रतिशत तक की पात्रता सीमा तक को आदान-प्रदान करने के अधिकारों सहित भूमि पर निर्माण करने, विकसित करने तथा सौदा करने के लिए अधिकृत किया। विकासकर्ता मालिकों की बिना किसी सहमति के विकसित सम्पत्ति का निपटान करने के हकदार थे। इस प्रकार के प्राधिकार राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 21(i) के अनुसार कन्वेन्स की श्रेणी में शामिल किये गये थे तथा विकासकर्ता को हस्तान्तरित सम्पत्ति के हिस्से पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर वसूलनीय था। तथापि, उप पंजीयकों द्वारा विकासकर्ताओं के हिस्से के बाजार मूल्य ₹ 5.47 करोड़ पर पांच प्रतिशत की दर से तथा मालिकों के हिस्से के बाजार मूल्य ₹ 2.66 करोड़ पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 34.98 लाख के स्थान पर सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 8.13 करोड़ पर एक प्रतिशत की दर से सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क सहित मुद्रांक कर राशि ₹ 10.90 लाख की वसूली की गयी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क राशि ₹ 24.08 लाख का कम आरोपण रहा।

---

[15] उप पंजीयकः अलवर-I तथा जयपुर-V।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि चारों दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये गये तथा विचाराधीन थे।

5.9 भू-उपयोग परिवर्तन पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज का अनारोपण

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2014 के अनुसार राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 में एक प्रावधान किया गया। तद्नुसार, भू-उपयोग परिवर्तन पर मुद्रांक कर, रूपान्तरण प्रभारों का 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा। इससे पहले, पूर्व भू-उपयोग एवं परिवर्तित भू-उपयोग के आधार पर गणना किये गये भूमि के बाजार मूल्य के अन्तर पर मुद्रांक कर प्रभार्य था। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्व जारी सभी रूपान्तरण आदेशों पर भी लागू होंगे।

उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के संपरिवर्तन अभिलेखों की मापक जांच में पंजीकृत दो विक्रय विलेखों के वर्णन में यह पाया गया (फरवरी 2016) कि दिनांक 1 सितम्बर 2010 तथा 29 अप्रैल 2014 के रूपान्तरण आदेशों के द्वारा भूमि का औद्योगिक/आवासीय से वाणिज्यिक में भू-उपयोग परिवर्तन करवाया गया था। जांच में पाया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन पर देय मुद्रांक कर का भुगतान किये जाने संबंधी तथ्य न तो विक्रय विलेख में अंकित किये गये थे और न ही प्रति संलग्न की गई थी। तथापि, उप पंजीयक ने भूमि के बाजार मूल्य ₹ 4.96 लाख पर मुद्रांक कर ₹ 54.52 लाख मय सरचार्ज ₹ 4.96 करोड़ प्रभारित नहीं किए। इस प्रकार मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 54.52 लाख का अनारोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये गये तथा विचाराधीन रहे।

5.10 अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बन्धित लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर[16] सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रांक नियमों के नियम 58 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य, डीएलसी द्वारा अनुशंसित दरों अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों में से जो उच्चतर हो, के आधार पर निर्धारित होगा। पंजीयन शुल्क दिनांक 9 अप्रैल 2010 से मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹ 50,000 देय था तथा 9 मार्च 2015 से एक प्रतिशत की दर से देय है।

अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2014 के अनुसार कंपनियों/फर्मो/संस्थानों द्वारा खरीदी गयी कृषि भूमि का मूल्यांकन संबंधित क्षेत्र की डीएलसी दरों का डेढ़ गुणा से किया जाएगा। रीको ने अपने आदेश दिनांक 4 मार्च 2014 के द्वारा औद्योगिक भूमि की दरों को संशोधित किया।

---

[16] 8.7.2009 से पांच प्रतिशत की दर से।

उन्नीस उप पंजीयकों[17] के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (मई 2015 तथा जनवरी 2016 के मध्य) कि कृषि/वाणिज्यिक/औद्योगिक/आवासीय भूमि के 64 दस्तावेजों का पंजीयन विक्रय विलेख के रूप में हुआ। उक्त दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि संबंधित उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण नीचे दिए गए विभिन्न कारणों से कम दरों पर किया:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आक्षेप की प्रवृति तथा नियम स्थिति	दस्तावेजों की संख्या	नियमानुसार देय मुद्रांक कर	आरोपित मुद्रांक कर	मुद्रांक कर का कम आरोपण
1	दिनांक 14 जुलाई 2014 की अधिसूचना के अनुसार कंपनियों/फर्मों/संस्थानों के संबंध में कृषि भूमि की डीएलसी दरों के डेढ़ गुणा के स्थान पर कृषि भूमि की डीएलसी दरों पर करने से मुद्रांक कर का काम आंकलन	26	2.15	1.38	0.77
उदाहरणः एक प्रकरण में, उप पंजीयक सांगानेर-II ने भूमि का मूल्यांकन कृषि दर का डेढ़ गुणा (₹ 5.73 करोड़) के स्थान पर कृषि दर (₹ 3.82 करोड़) पर किया तथा मुद्रांक कर ₹ 31.98 लाख के स्थान पर ₹ 21.49 लाख प्रभारित किया गया। एक अन्य प्रकरण में, उप पंजीयक मुण्डावर ने भूमि की कीमत का निर्धारण कृषि दर का डेढ़ गुना (₹ 11.18 करोड़) के स्थान पर दस्तावेज में दर्शायी गयी कीमत (₹7.70 करोड़) पर किया तथा मुद्रांक कर ₹ 61.96 लाख के स्थान पर ₹ 36.91 लाख प्रभारित किया।					
2	23 प्रकरणों में डीएलसी की गलत दरों को लागू किया तथा चार प्रकरणों में मूल्यांकन के लिये कम क्षेत्रफल लिया गया (राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 का नियम 58)	27	6.11	2.10	4.01
उदाहरणः एक प्रकरण में, उप पंजीयक जयपुर-VI ने भूमि की कीमत का निर्धारण उपयुक्त डीएलसी दरों के अनुसार ₹ 35.93 करोड़ करने के बजाय अन्य क्षेत्र की डीएलसी दरों से ₹ 5.96 करोड़ पर किया। एक अन्य प्रकरण में उप पंजीयक अजमेर-II ने भूमि की कीमत का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूमि के लिए लागू होने वाली डीएलसी दर के आधार पर ₹ 1.76 करोड़ करने के बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं स्थित भूमियों पर लागू डीएलसी दर के आधार पर ₹ 0.22 करोड़ पर किया। एक अन्य प्रकरण में, उप पंजीयक सांगानेर-II ने विक्रित 16,445 वर्ग मीटर के स्थान पर 4,106.13 वर्ग मीटर का मूल्यांकन किया तथा भूमि की कीमत ₹ 11.84 करोड़ के स्थान पर ₹ 1.89 करोड़ आंकी।					
3	औद्योगिक भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण पुरानी दरों पर किये जाने से मुद्रांक कर का कम आरोपण (रीको का आदेश दिनांक 4 मार्च 2014)	11	7.57	6.27	1.30
उदाहरणः एक प्रकरण में, उप पंजीयक नीमराणा ने विक्रित औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन प्रचलित डीएलसी दरों पर ₹ 122.67 करोड़ के स्थान पर पुरानी डीएलसी दरों पर ₹ 105 करोड़ किया गया तथा मुद्रांक कर ₹ 6.75 करोड़ के स्थान पर ₹ 5.78 करोड़ प्रभारित किया।					
	योग	**64**	**15.83**	**9.75**	**6.08**

इसके परिणामस्वरूप अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 6.08 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये जाने (जून 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किये जाने (सितम्बर 2016) पर सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि एक प्रकरण में पूर्ण राशि ₹ 0.05 करोड़ वसूल कर ली गयी; 46 दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुदांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये गये; छः मामलों में निष्पादकों को वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये तथा 11 मामलों में वसूली बकाया रही।

[17] अजमेर-I, अजमेर-II, बाली (पाली), बानसूर (अलवर), भीलवाड़ा, जयपुर-I, जयपुर-II, जयपुर-III, जयपुर-V, जयपुर-VI, माण्डल (भीलवाड़ा), मुण्डावर (अलवर), मौजमाबाद (जयपुर), नीमराणा (अलवर), उदयपुर-I, उदयपुर-II, सांगानेर-I, (जयपुर), सांगानेर-II (जयपुर) तथा विराटनगर (जयपुर)।

5.11 फार्म हाउस के रूप में पंजीकृत सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा (31 मार्च 2011) जारी परिपत्र 5/2011 के अनुच्छेद संख्या 7 के अनुसार फार्म हाउस के पट्टा हस्तान्तरण (विक्रय) के मामले में आवासीय दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

उप पंजीयक, उदयपुर-II के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (अगस्त 2015) कि पांच मामलों में 1,21,641.98 वर्ग फीट कृषि भूमि फार्म हाउसों में संपरिवर्तन के बाद विक्रय विलेखों के माध्यम से ₹ 1.10 करोड़ में विक्रय की गयी। इन दस्तावेजों की संवीक्षा में पाया गया कि एक प्रकरण में उपपंजीयक ने भूमि (56,417 वर्ग फीट) का मूल्यांकन (₹ 50 लाख) अनियमित रूप से सम्बन्धित क्षेत्रफल की आवासीय दर के 35 प्रतिशत पर किया तथा चार प्रकरणों में उस क्षेत्रफल (65,224.98 वर्ग फीट) के दस्तावेजों में दर्शायी गयी कीमत (₹ 59 लाख) पर किया। तथापि, उक्त परिपत्र के अनुसार सभी पांचों प्रकरणों में मूल्यांकन आवासीय दर से ₹ 4.44 करोड़ किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क राशि ₹ 17.49 लाख[18] का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2015) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि चार दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कराये गये तथा एक दस्तावेज विधिक परीक्षण के अधीन रहा।

5.12 उपहार विलेख के अवमूल्यांकन तथा रियायती मुद्रांक कर का लाभ दिये जाने के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 31 के अनुसार उपहार के लेख्यपत्र पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर, कन्वेन्स की दर से प्रभार्य होगा। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2013 द्वारा निर्धारित किया कि अधिसूचना में उल्लेखित रिश्तेदारों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के उपहार विलेखों पर, प्रकरणानुसार मुद्रांक कर 2.5 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।

राज्य सरकार ने अन्य अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2015 के द्वारा निर्दिष्ट किया कि संस्थानिक प्रयोजनार्थ हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि जो सहकारी समितियों/चेरिटेबल संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी हो, पर मुद्रांक कर कृषि भूमि की दो गुना दरों पर प्रभार्य होगा, यदि उक्त भूमि रीको क्षेत्र के बाहर स्थित हो।

उप पंजीयक, जयपुर-II के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (अक्टूबर 2015) कि चार उपहार विलेख निष्पादित हुए थे। दो मामलों में, अचल सम्पत्तियों के उपहार विलेख रिश्तेदारों के पक्ष में निष्पादित नहीं किए गए थे। तथापि, उप पंजीयक द्वारा तत्समय प्रावधानो के अधीन रियायत का लाभ दिया गया। अन्य दो मामलों में, उप पंजीयक द्वारा भूमि का

---

[18] मूल्य 4,43,88,240 पर वसूलनीय मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क = 24,37,414
मूल्य 1,09,59,105 पर वसूल मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क = 6,88,620
कम भारित मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क = 17,48,794

निर्धारण गलत दरों पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹14.45 लाख का कम आरोपण हुआ जो निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	दस्तावेज संख्या दिनांक	उप पंजीयक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य	निर्धारण योग्य बाजार मूल्य	वसूल मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क	वसूलनीय मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क	कम वसूल मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2467 3.3.2014	181.62	181.62	5.49	10.49	5.00	उपहारकर्ता फर्म थी तथा निर्धारित रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आती। अतः मुद्रांक कर में रियायत का लाभ देय नहीं था।
2	7542 30.9.2014	40.66	40.66	1.52	2.64	1.12	उपहारकर्ता फर्म थी तथा निर्धारित रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आती। अतः मुद्रांक कर में रियायत का लाभ देय नहीं था।
3	7092 17.9.2014	14.78	47.52	0.55	1.78	1.23	मूल्यांकन संशोधित डीएलसी दरों से नहीं किया गया था। अतः उपहार विलेख का अवमूल्यांकन हुआ।
4	3047 18.3.2015	269.10	378.24	17.49	24.59	7.10	भूमि संस्थानित प्रयोजनार्थ रूपांतरित थी। अतः मूल्यांकन आवासीय दरों के स्थान पर कृषि भूमि की दो गुणा दरों पर किया जाना चाहिए था।
योग		**506.16**	**648.04**	**25.05**	**39.5**	**14.45**	

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2015) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2016)। सरकार ने जवाब में बताया (अगस्त 2016) कि प्रकरण उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां दर्ज कराए गए तथा निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5.13 बन्धक पत्र को ऋण अनुबन्ध के रूप में गलत वर्गीकृत करने के कारण मुद्रांक कर का कम आरोपण

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 7 मार्च 1994 के अनुसार अकृषि प्रयोजनों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु किसी बैंक अथवा सहकारी संस्था के पक्ष में निष्पादित बन्धक पत्र[19] पर प्रभार्य मुद्रांक कर ऋण राशि का एक प्रतिशत अथवा ₹ 100 जो भी अधिक हो प्रभारित किया जाएगा। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 6 के अनुसार '*डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड*[20]' से सम्बन्धित अनुबन्ध पर मुद्रांक कर 0.1 प्रतिशत की दर से, ऋण या उधार राशि पर देय है।

[19] बन्धक पत्र में लेन-देन किसी विशिष्ट अचल सम्पति के अधिकार को लिए गए अग्रिम धन या वर्तमान ऋण या आगामी लिए जाने वाले त्रण के धन के भुगतान हेतु सुरक्षा के तौर पर हस्तांतरित करने से है। इसलिए ऋण के पुर्नभुगतान के लिए या संविदा के निष्पादन के लिए सम्पति के भविष्य में हस्तांतरण का उल्लेख होना जरूरी है तथा यदि ऋण नहीं चुकाया जाता है या संविदा का निष्पादन नहीं किया जाता है तो त्रणप्रदाता को यह अधिकार होगा कि वह बन्धक सम्पति को विक्रय कर सके।

[20] स्वामित्व जमा दस्तावेज एक सामान्य करार है जिसमें ऋणप्रदाता को ऋण या उधार के लिए सम्पति के स्वामित्व दस्तावेजो को जमा कराया जाता है।

उप पंजीयक, अलवर-II के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जनवरी 2016) कि '*डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड*' के रूप में ₹ 12.00 करोड़ के एक दस्तावेज को ऋण अनुबन्ध मानते हुए उप पंजीयक ने 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 1.00 लाख वसूल करते हुए पंजीकृत किया। दस्तावेज के वर्णन की जांच में पाया गया कि ऋणी द्वारा उसकी सम्पति को ऋण प्रदान करने वाली कम्पनी के पक्ष में अपने द्वारा लिए गए ऋण की सुरक्षा के तौर पर इस शर्त के साथ बन्धक रखा गया कि ऋण राशि के भुगतान में चूक के मामले में, ऋणप्रदाता बन्धक रखी गयी सम्पति को बेचने हेतु मुक्त होंगे। इस प्रकार दस्तावेज बन्धक पत्र के अधीन वर्गीकृत था। जिस पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 13 लाख प्रभार्य होने चाहिए थे। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 12 लाख का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2016)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि प्रकरण उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां दर्ज करा दिया गया।

अध्याय–VI

राज्य आबकारी

अध्याय-VI : राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) प्रशासनिक प्रमुख है। विभाग के प्रमुख आबकारी आयुक्त है। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त होते हैं। सम्बन्धित संभागों के आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन, जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क व अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं।

6.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय समय पर जारी विभागीय निर्देशों की अनुपालना की सुनिश्चितता करने के लिए, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की मापक जांच करनी होती है।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी विगत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाईयां	वर्ष के दौरान जोड़ी गई इकाईयां	कुल इकाईयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयों का प्रतिशत
2011-12	27	40	67	60	7	10
2012-13	7	41	48	41	7	15
2013-14	7	41	48	42	6	13
2014-15	6	41	47	47	-	-
2015-16	-	41	41	37	4	10

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 में आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाइयों में से 10 प्रतिशत की लेखापरीक्षा बकाया थी।

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2010-11 तक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
अनुच्छेद	94	46	63	139	203	**545**

यह भी देखा गया कि वर्ष 2014-15 के अन्त तक 545 अनुच्छेद बकाया थे जिनमें से 94 अनुच्छेद पांच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे। वृहद् मात्रा में अनुच्छेदों का बकाया रहना आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को विफल करता है। वर्ष 2015-16 के बकाया

अनुच्छेदों की स्थिति अनुरोध किये (जुलाई 2016) जाने के बावजूद लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवायी गयी।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिये बकाया अनुच्छेदों पर युक्तियुक्त कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिए।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 25 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली, प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अवसूली, मदिरा की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित ₹ 20.69 करोड़ के 3,713 प्रकरण ध्यान में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	'राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लांटस की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	7.38
2	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	3,036	11.71
3	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	78	0.10
4	प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अवसूली	449	0.17
5	अन्य अनियमिततायें		
	(i) राजस्व	72	1.26
	(ii) व्यय	77	0.07
	योग	**3,713**	**20.69**

विभाग ने 1,336 प्रकरणों में ₹ 3.06 करोड़ की अनियमिततायें स्वीकार की, जिसमें से ₹ 1.14 करोड़ के 525 प्रकरण वर्ष 2015-16 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान 847 प्रकरणों में ₹ 1.86 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें ₹ 0.06 करोड़ के 36 प्रकरण वर्ष 2015-16 में लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

'राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लांटस की कार्यप्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें राशि ₹ 7.38 करोड़ सन्निहित है और कुछ निदर्शी प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 87 लाख सन्निहित है पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

6.4 'राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लांटस की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

6.4.1 परिचय

डिस्टलरीज तथा ब्रेवरीज में उत्पादित मदिरा और बीयर पर देय आबकारी शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (अधिनियम) तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों से निर्धारित होते हैं। डिस्टलरी एक अनुज्ञा प्राप्त इकाई है जहां शीरा, अनाज एवं जौ के आसवन से प्रासव तैयार किया जाता है। इसमें ऐसी इकाइयां भी सम्मिलित है जहां ऐसे प्रासव को पुनः आसवन, मिश्रण, संयुक्त और विभिन्न प्रकार की भारतीय मदिरा के उत्पादन हेतु परिष्कृत किया जाता है, तत्पश्चात जिसे विक्रय के लिए बोतल बन्द किया जाता है। ब्रेवरी से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जहां बीयर तैयार की जाती है तथा इसमें प्रत्येक वह स्थान सम्मिलित है जहां बीयर का भण्डारण किया जाता है।

राज्य आबकारी विभाग (विभाग) मदिरा के उत्पादन, निर्माण, नियन्त्रण भण्डारण, परिवहन, क्रय तथा विक्रय पर देय कर एवं शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। राज्य में मदिरा तथा बीयर के उत्पादन हेतु 11 डिस्टलरीज, आठ ब्रेवरीज तथा 16 बोटलिंग प्लांटस हैं। ये इकाईयां राज्य के पांच जिला आबकारी अधिकारियों[1] के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

आबकारी शुल्क (ईडी) लंदन प्रूफ[2] लीटर (एलपीएल) के अनुसार देय है। स्प्रिट की मात्रा को ओवर प्रूफ[3] (ओपी) में दर्शाया जाता है। जबकि मदिरा की मात्रा को अण्डर प्रूफ[4] (यूपी) में मापा जाता है।

6.4.2 संगठनात्मक ढांचा

सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राज्य आबकारी विभाग के प्रमुख आबकारी आयुक्त (ईसी) हैं। इनकी सहायता के लिये सात अतिरिक्त आबकारी आयुक्त सम्भागीय मुख्यालय (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर) पर एवं 33 जिलों में 36 जिला आबकारी अधिकारी तथा दो जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन) जयपुर और जोधपुर में है। इसके अलावा सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों तथा विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु डिस्टलरीज/ब्रेवरीज पर सहायक आबकारी अधिकारी पदस्थापित हैं।

---

[1] जिला आबकारी अधिकारीः अलवर, बांसवाड़ा, बहरोड़, सीकर और उदयपुर।

[2] प्रूफ स्प्रिट में वजन के अनुसार 49.24 प्रतिशत एल्कोहल और 50.76 प्रतिशत पानी अथवा तीव्रता की परिगणना में 57.06 प्रतिशत एल्कोहल होता है।

[3] ओवर प्रूफ स्प्रिट वह होती है जिसमें प्रूफ स्प्रिट से अधिक तीव्रता होती है और प्रूफ स्प्रिट की परिगणना की संख्या के अनुसार वर्णित होती है जो कि पानी के साथ उपयुक्त रूप से तनूकृत करने पर 100 तीव्रता देती है। इस प्रकार 66^{O} अथवा 66 ओपी स्प्रिट में 166 प्रूफ स्प्रिट की तीव्रता होती है।

[4] जब स्प्रिट की तेजी प्रूफ स्प्रिट से कम होती है तो इसे अण्डर प्रूफ कहते हैं। इस प्रकार 25^{O} अथवा 25 यूपी में 75 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट की तीव्रता एवं 25 प्रतिशत पानी की तीव्रता होती है।

6.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी कि:

- यह सुनिश्चित करना कि विभाग के हितों की सुरक्षा हेतु अधिनियम एवं नियमों में विद्यमान प्रावधान/प्रणाली पर्याप्त थे;
- अधिनियम, नियमों, आबकारी नीति और अधिसूचनाओं/ परिपत्रों में मौजूदा प्रावधानों की अनुपालना का स्तर सुनिश्चित करना और
- राजस्व रिसाव की रोकथाम के लिये आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभाविता को सुनिश्चित करना।

6.4.4 लेखापरीक्षा की प्रणाली एवं कार्यक्षेत्र

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लान्टस की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से जून 2016 के मध्य की गई। राज्य में कार्यरत 11 डिस्टलरीज में से दो डिस्टलरीज राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (सरकार कम्पनी) द्वारा संचालित हैं, इन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर[5] रखा गया है।

लेखापरीक्षा ने आबकारी आयुक्त तथा राज्य के पांच जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधिकार स्थित नौ डिस्टलरीज, आठ में से सात[6] ब्रेवरीज एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) अनुज्ञा प्राप्त 16 बोटलिंग प्लान्टस में से आठ के लेखाओं की मापक जांच की गई।

6.4.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों इत्यादि के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित मानदण्डों पर आधारित हैं।

- राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950,
- राजस्थान आबकारी नियम 1956,
- राजस्थान ब्रेवरी नियम 1972,
- राजस्थान डिस्टलरीज नियम 1977,
- स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर (डिस्टलरीज और गोदामों पर) नियम 1959, और
- बॉण्डेड वेयरहाउस के अनुज्ञापत्र अथवा स्थापना की शर्तें एवं प्रतिबंध।

6.4.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में राज्य आबकारी विभाग के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और प्रणाली के सम्बन्ध में परिचर्चा करने हेतु सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान सरकार के साथ दिनांक 18 अप्रैल 2016 को एक आन्तरिक परिचर्चा

[5] क्योंकि कम्पनी की लेखापरीक्षा इस कार्यालय के वाणिज्यिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा की गयी थी।

[6] अवधि 2010-11 से 2014-15 दौरान एक ब्रेवरी उत्पादन नहीं कर रही थी।

बैठक आयोजित की गई । निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर परिचर्चा करने हेतु, सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान सरकार, आबकारी आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 10 अक्टूबर 2016 को एक समापन परिचर्चा का आयोजन किया गया । समापन परिचर्चा के दौरान तथा अन्य अवसरों पर प्राप्त प्रत्युत्तरों को सम्बन्धित अनुच्छेदों में युक्तियुक्त प्रकार से सम्मिलित किया गया है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.4.7 डिस्टलरीज/बोटलिंग प्लांटस की कार्य प्रणाली

राज्य में शोधित प्रासव/परिशोधित प्रासव, देशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सभी चयनित नौ डिस्टलरीज में किया गया था । स्प्रिट प्राप्त करने हेतु अनाज एवं जौ वाश का आसवन किया जाता है, जिसे पुनः आसवन, मिश्रण, संयोजित किया जाता है और विभिन्न प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं दूसरे मादक पदार्थों के उत्पादन हेतु प्रसंस्कृत किया जाता है । शोधित प्रासव/परिशोधित प्रासव का अन्य राज्यों से भी आयात किया जाता है और इसे डिस्टलरीज/बोटलिंग प्लांटस द्वारा देशी मदिरा/भारत निर्मित विदेशी मदिरा के उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है ।

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आयी प्रक्रिया और अनुपालना की कमियों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाया गया है:

6.4.7.1 अतिरिक्त शुल्क का कम आरोपण/वसूली

राजस्थान डिस्टलरीज नियम, 1977 के नियम 5 के अनुसार आगामी वर्ष हेतु लाईसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदन निर्धारित अनुज्ञाशुल्क के जमा की कोषालय रसीद के साथ प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी या उससे पूर्व आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत कर देना चाहिए । फिर भी, यदि निर्धारित अवधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क के 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क की कोषालय रसीद संलग्न करनी होती है ।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 72-ए के अनुसार लाईसेंस नवीनीकरण हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं करने पर इसके साथ अतिरिक्त फीस निम्नलिखित दर से संलग्न करनी होगी:

(i) ₹ 5,000 या लाइसेंस फीस का पांच प्रतिशत जो भी कम हो, यदि शुल्क जमा करने में विलम्ब की अवधि एक माह तक हो ।

(ii) ₹ 10,000 या लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, यदि शुल्क जमा करने में विलम्ब की अवधि एक माह से अधिक हो ।

नौ डिस्टलरीज के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि दो डिस्टलरीज में अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु निर्धारित अवधि के पश्चात आवेदन किया गया था । अनुज्ञाधारी राजस्थान डिस्टलरीज नियम के नियम 5 के अनुसार अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन विभाग द्वारा अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क राजस्थान आबकारी नियम के नियम 72-ए के अनुसार गणना किया । परिणामस्वरूप नीचे दिये गये विवरणानुसार

राशि ₹ 18.60 लाख की कम प्राप्ति हुईः

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	डिस्टलरीज का नाम	वर्ष	अनुज्ञाशुल्क (डिस्टलरी + बॉण्डेड वेयरहाउस)	जमा की दिनांक	वसूली योग्य अतिरिक्त शुल्क	वसूल किया गया अतिरिक्त शुल्क	अतिरिक्त शुल्क की कम वसूली
1	एचएसबी एग्रो इण्डस्टीज लिमिटेड, सीकर	2012-13	25	14.3.2012	6.25	0.10	6.15
		2014-15	25	31.3.2014	6.25	0.10	6.15
2	हिन्दुस्तान स्प्रिटस लिमिटेड, बहरोड़	2011-12	26	1.3.2011	6.50	0.20	6.30
योग					**19.00**	**0.40**	**18.60**

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने के बाद (अगस्त 2016), सरकार ने लेखापरीक्षा विचार को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) तथा विभाग को सम्पूर्ण राशि ₹ 18.60 लाख की वसूली हेतु निर्देशित किया, तथापि वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2016)।

6.4.7.2 निर्माण स्थल पर अवस्थित बॉण्डेड वेयरहाउस से देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क का अनारोपण

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में अप्रैल 2011 की अधिसूचना से सम्मिलित नियम 68(12)(ए), के अनुसार निर्माण स्थल पर अवस्थित बॉण्डेड वेयरहाउस से देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क ₹ पांच लाख प्रतिवर्ष की दर निर्धारित की गयी है। इस नियम को नियम 68(13) के अतिरिक्त सम्मिलित किया गया था जिसमें मदिरा के निर्माता द्वारा थोक विक्रेताओं को मदिरा के थोक विक्रय के लिये वार्षिक अनुज्ञाशुल्क की निर्धारित दरों को प्राधिकृत किया गया था। इकाईयों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर और देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु क्रमशः नियम 68(13) और 68(12)(ए) के अन्तर्गत पृथक-पृथक अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। अनुज्ञापत्रों की शर्तानुसार, बॉण्डेड वेयरहाउस में अन्य कोई भी मदिरा भण्डारण के लिए अनुमत्य नहीं होगी केवल उसको छोड़कर जिस हेतु अनुज्ञापत्र जारी किया गया है।

डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांट के अनुज्ञापत्र पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया गया कि छः डिस्टलरी और सात बोटलिंग प्लांटस द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा का निर्माण एवं थोक विक्रय निर्माण स्थल से किया गया था। विभाग द्वारा नियम 68(13) के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क वसूल किया गया था। तथापि नियम 68(12)(ए) के अन्तर्गत देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क वसूल नहीं

किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	डिस्टलरी/बोटलिंग प्लान्ट का नाम	अवधि	₹ पांच लाख प्रतिवर्ष की दर से वसूली योग्य अनुज्ञाशुल्क
अ	**डिस्टलरीज**		
1	हिन्दुस्तान स्प्रिटस लिमिटेड, पनियाला	2011-15	20.00
2	विन्टेज डिस्टलर्स लिमिटेड, अलवर	2011-15	20.00
3	एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अजीतगढ़	2011-15	20.00
4	एचएसबी एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रींगस	2011-13	10.00[7]
5	नारंग डिस्टलरी लिमिटेड, बांसवाड़ा	2011-15	20.00
6	ग्लोबस स्प्रिटस लिमिटेड, बहरोड़	2014-15	5.00[8]
ब	**बोटलिंग प्लान्टस**		
7	गोल्डन बोटलिंग लिमिटेड, भिवाड़ी	2011-15	20.00
8	ओजस इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नीमराना	2011-14	15.00[9]
9	अलवर माल्ट एण्ड एग्रो फूडस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, अलवर	2011-12	5.00[9]
10	श्री महामाया लिकर इण्डस्ट्रीज, उदयपुर	2011-15	20.00
11	रजवाडा ब्रेवरीज एण्ड बोटलिंग प्राइवेट लिमिटेड, अजमेर	2011-15	20.00[10]
12	अजन्ता केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अलवर	2011-15	20.00[10]
13	विजेता ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर	2011-15	20.00[10]
योग			**215.00**

परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.15 करोड़ के अनुज्ञाशुल्क की अवसूली रही।

ध्यान में लाये जाने के बाद आबकारी आयुक्त ने लेखापरीक्षा विचार को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु क्रमशः नियम 68(13) एवं 68(12)(ए) के अन्तर्गत पृथक-पृथक अनुज्ञाशुल्क का आरोपण करना चाहिए। उन्होनें आगे बताया कि नियमों में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है जिसमें भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा देसी मदिरा पर पृथक-पृथक अनुज्ञाशुल्क आरोपणीय है और उसके अनुसार कार्यवाही कर ली जावेगी।

6.4.7.3 अनाज से प्रासव उत्पादन के मापदण्ड निर्धारण में विलम्ब

चयनित नौ अनाज आधारित डिस्टलरीज में मदिरा बनाने हेतु उपयोग में लिया जाने वाला प्रासव[11] अनाज मुख्यतया चावल से तैयार किया जाता है। 31 मई 2015 तक राज्य सरकार

[7] डिस्टलरीज द्वारा 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के दौरान देशी मदिरा का उत्पादन नहीं किया गया।

[8] मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समान प्रकृति का आक्षेप वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि का सम्मिलित किया गया था। इसलिये इस अवधि को इस प्रतिवेदन से बाहर रखा गया है।

[9] मैसर्स ओजस इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नीमराना वर्ष 2014-15 से कार्यरत नहीं थी और मैसर्स अलवर माल्ट एण्ड एग्रो फूडस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, अलवर ने केवल 2011-12 में ही देशी मदिरा का उत्पादन किया।

[10] आक्षेप नियमित लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

[11] प्रासव में परिशोधित प्रासव (ईएनए) एवं शोधित प्रासव (आरएस) दोनों सम्मिलित हैं।

द्वारा प्रति क्विंटल अनाज से उत्पादित होने वाले प्रासव की मात्रा हेतु मापदण्डों का निर्धारण नहीं किया गया था।

मापदण्डों के अभाव हेतु वर्ष 2005-06 एवं 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में टिप्पणी की गई थी। जनलेखा समिति ने भी इस उद्देश्य हेतु मापदण्डों के निर्धारण की सिफारिश की थी। अल्कोहल की न्यूनतम प्राप्ति हेतु प्रति क्विंटल अनाज से 40 बल्क लीटर परिशोधित/शोधित प्रासव के मापदण्ड जून 2015 में निर्धारित किये गये। मापदण्डों के निर्धारण में विलम्ब के कारण विभाग को ₹ 180.80 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा जिसकी चर्चा आगामी अनुच्छेद में की गई है।

लेखापरीक्षा को छः डिस्टलरीज में ऐसे दृष्टान्त मिले जिनमें प्रति क्विंटल अनाज से प्रासव का उत्पादन 40 बल्क लीटर (बीएल) से कम था। यह प्रति क्विंटल अनाज से 28.61[12] बीएल तक के न्यूनतम स्तर तक था। इस प्रकार के कम उत्पादन अथवा प्रासव के उत्पादन में भिन्नता के सम्बन्ध में अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाये गये। डिस्टलरीज की दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक आसवन में प्रासव प्राप्ति की निगरानी हेतु विभाग द्वारा कोई डाटाबेस संधारित नहीं किया गया। आसवन[13] की निरंतर प्रक्रिया के दौरान प्रासव उत्पादन में अत्यधिक गिरावट के कुछ दृष्टांत ध्यान में आये। तथापि, एक डिस्टलरीज मैसर्स यूनाइटेड स्प्रिटस लिमिटेड, उदयपुर द्वारा अवधि 2010-15 के दौरान प्रत्येक आसवन में जून 2015 में निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों से अधिक प्रासव का उत्पादन किया गया था। विभाग द्वारा विभिन्न अवसरों पर उत्पादन में भिन्नता के कारणों का कभी विश्लेषण नहीं किया गया।

इस प्रकार अनाज से प्रासव के उत्पादन हेतु मापदण्डों के निर्धारण में 10 वर्षों का विलम्ब हुआ। छः डिस्टलरीज में वर्ष 2010-15 के दौरान प्रासव उत्पादन 2015 में निर्धारित मापदण्डों की तुलना में 93.35 लाख बीएल प्रासव का कम उत्पादन हुआ। आबकारी शुल्क के रूप में ₹ 180.80 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

ध्यान में लाये जाने पर विभाग/सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) कि उत्पादन के मापदण्डों को सूचित करने के बाद प्रत्येक डिस्टलरीज द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक उत्पादन दर्शाया गया था। तथापि, विभाग द्वारा मापदण्डों के निर्धारण में देरी के कारणों को सूचित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आधुनिक तकनीकि के आगमन से समय-समय पर प्रासव/मदिरा के उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है और राजस्व हित में सरकार को नियमित अन्तराल पर उत्पादन के मापदण्डों को संशोधित करते रहने पर विचार करना चाहिए।

6.4.7.4 'कन्सेन्ट टू ऑपरेट' के उल्लंघन से अल्कोहल का अधिक उत्पादन

अधिनियम की धारा 17 आबकारी आयुक्त को मदिरा उत्पादन इकाइयों, जिन्हें डिस्टलरी, ब्रेवरी अथवा पोट-स्टिल के नाम से जाना जाता है, की स्थापना अथवा अनुज्ञप्ति प्रदान करने अथवा बन्द करने और ऐसी इकाईयों की कार्यप्रणाली को, ऐसी शर्तों के अधीन जो कि राज्य सरकार द्वारा लागू की जाये, नियंत्रित करने की शक्तियां प्रदान करती है।

---

[12] मार्च 2011 के दौरान मैसर्स विन्टेज डिस्टलर्स लिमिटेड, अलवर में।

[13] मैसर्स ग्लोबस स्प्रिटस लिमिटेड, बहरोड़ में एक दृष्टांतः प्रासव का उत्पादन दिनांक 31 अक्टूबर 2011 को 46.12 बीएल एवं 1 नवम्बर 2011 को 35.65 बीएल।

प्रत्येक डिस्टलरी एवं बोटलिंग प्लांट को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से निर्धारित अवधि के दौरान अल्कोहल (ईएनए/आरएस/मदिरा) के उत्पादन की मात्रा के निर्धारण की 'कन्सेन्ट टू ऑपरेट' (सीटीओ) प्राप्त करना आवश्यक है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल अल्कोहल उत्पादन किये जाने की मात्रा का निर्धारण पर्यावरणीय प्रदूषकों के प्रवाह की प्रकृति अथवा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर दैनिक अथवा वार्षिक रूप में करता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने जिला आबकारी अधिकारी, सीकर को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया (अप्रैल 2009) कि इकाई का उत्पादन सीटीओ में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए जो यह प्रमाणित करता है कि विभाग सीटीओ की शर्तों की निगरानी कर रहा था।

डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस के अवधि 2010-15 के प्रासव (ईएनए/आरएस), भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा की 'उत्पादन पंजिकाओं' की मापक जांच के दौरान देखा गया कि डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस में प्रासव, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा का उत्पादन सीटीओ में निर्धारित मात्रा से अधिक हुआ था। सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों और उत्पादन इकाईयों पर पदस्थापित प्रभारी अधिकारियों (ओआईसी) द्वारा न तो सीटीओ की शर्तों के उल्लंघन को इंगित किया और ना ही इसे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के ध्यान में लाया गया। किसी भी डिस्टलर और बोटलर से अधिक उत्पादन हेतु स्पष्टीकरण नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त, इकाईयों द्वारा दैनिक अथवा वार्षिक अधिक उत्पादन किये जाने हेतु कोई कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये। साथ ही इकाईयों द्वारा अधिक उत्पादन को नियमित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल अथवा विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई।

इस प्रकार विभाग निम्नलिखित अनुज्ञाधारियों जिन्होंने सीटीओ की शर्तों और इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन कर उनकी निर्धारित दैनिक/वार्षिक क्षमता से अधिक प्रासव/अल्कोहल का उत्पादन किया के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने में असफल रहाः

- दो डिस्टलरीज[14] द्वारा 699 मामलों में सीटीओ में अनुमत्य उनकी दैनिक निर्धारित क्षमता से 120.46 लाख बल्क लीटर अधिक प्रासव का उत्पादन हुआ था। इन इकाईयों द्वारा 109 बल्क लीटर से 98,755 बल्क लीटर तक दैनिक अधिक उत्पादन किया गया था।
- एक डिस्टलरी (मैसर्स यूनाइटेड स्प्रिटस लिमिटेड, अलवर) और एक बोटलिंग प्लांट (मैसर्स अलवर माल्ट एण्ड एग्रो फूडस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अलवर) द्वारा 23 मामलों में सीटीओ में अनुमत्य उनकी निर्धारित क्षमता से 11.34 लाख बल्क लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा का अधिक उत्पादन किया गया था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान 249 मामलों में, एक डिस्टलरी (मैसर्स विन्टेज डिस्टलरस लिमिटेड, अलवर) द्वारा सीटीओ में अनुमत्य इसकी दैनिक निर्धारित क्षमता 10,000 पेटी से 5,86,520 पेटी देशी मदिरा का अधिक उत्पादन किया गया था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान एक बोटलिंग प्लांट (मैसर्स श्री महामाया लिकर इण्डस्ट्रीज, उदयपुर) द्वारा सीटीओ में अनुमत्य इसकी वार्षिक निर्धारित क्षमता 50.00 लाख बल्क लीटर से 12.92 लाख बल्क लीटर देशी मदिरा का अधिक उत्पादन किया गया था।

[14] मैसर्स एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अजीतगढ़, सीकर और मैसर्स ग्लोबस स्प्रिटस लिमिटेड, बहरोड़।

विभाग द्वारा अनुज्ञापत्र में उत्पादन क्षमता से सम्बन्धित सीटीओ की शर्त को सम्मिलित नहीं करने के कारण सीटीओ की शर्तों के उल्लंघन के लिये शास्ति के प्रावधान लागू नहीं किये जा सके। इस प्रकार शर्त के अभाव के परिणामस्वरूप उपर्युक्त प्रकरणों में सरकार को राजस्व[15] का नुकसान हुआ।

ध्यान में लाये जाने के बाद आबकारी आयुक्त तथा सचिव, वित्त (राजस्व) ने लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और बताया कि वर्ष 2016-17 के दौरान डिस्टलरीज के लिये अनुज्ञाशुल्क, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा सीटीओ में निर्धारित दैनिक उत्पादन क्षमता के आधार पर निर्धारित किया गया था तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का उल्लंघन आबकारी अधिनियम की धारा 58(सी) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रभारी अधिकारियों को सीटीओ में निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित करने एवं इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किये गये (7 अक्टूबर 2016)।

6.4.7.5 छीजत अनुमत्य करने की पद्धति में एकरूपता का अभाव

स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर (डिस्टलरीज एवं बॉण्डेड वेयरहाउस पर) नियम, 1959 के नियम 3 के अनुसार प्रभारी अधिकारी को डिस्टलरी एवं बॉण्डेड वेयरहाउस पर प्रत्येक प्रकार के प्रासव की छीजत को सुनिश्चित करने तथा स्टॉक के सत्यापन हेतु प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस को, उस दिन के समस्त निर्गमों के पश्चात, प्रत्येक वैट (वेसल) में प्रासव की माप कर प्रमाणित करना होगा। नियमों में प्रासव के भण्डारण क्षति के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। जबकि, यह देखा गया कि छीजत प्रदान करने के स्तर का उल्लेख नहीं किया गया था। सात डिस्टलरीज में से पांच डिस्टलरीज ने प्रासव को स्टोरेज वैटस से ब्लेंडिंग वैटस में हस्तान्तरण के दौरान छीजत को अनुमत्य किया था जबकि अन्य दो डिस्टलरीज ने प्रासव को रिसीवर वैटस से स्टोरेज वैटस में हस्तान्तरण के दौरान छीजत को अनुमत्य किया था जिसमें 2,727 एलपीएल प्रासव के कम लेखांकन में निहित ₹ 9.70 लाख का आबकारी शुल्क निहित था एवं पुनः स्टोरेज वैटस से ब्लेंडिंग वैटस में हस्तान्तरण के दौरान छीजत को अनुमत्य किया गया था। इसे निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया हैः

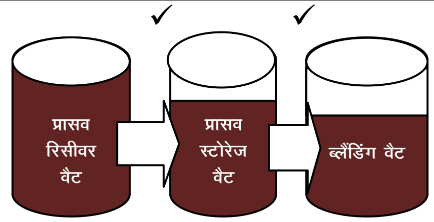

मैसर्स परनोड रिकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बहरोड़ तथा मैसर्स यूनाइटेड स्प्रिटस लिमिटेड, अलवर द्वारा प्रासव भण्डारण क्षति दोनों स्तर पर दावा की गई।

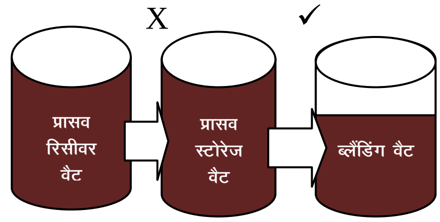

अन्य डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांटस द्वारा प्रासव भण्डारण छीजत का दावा केवल प्रासव के स्टोरेज वैटस से ब्लैंडिंग वैटस में हस्तान्तरण के दौरान किया गया।.

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि डिस्टलरीज द्वारा दो विभिन्न पद्धतियों का अनुसरण किया गया था और विभाग द्वारा दोनों ही पद्धतियों को स्वीकार किया गया।

[15] शर्तो के उल्लंघन के लिये, अधिनियम की धारा 58(सी) के साथ पठित धारा 70 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया जा सकता था (₹ 5,000 से अनुज्ञाशुल्क के 10 गुणा तक)।

ध्यान में लाये जाने के बाद सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि राशि की वसूली हेतु आदेश जारी कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टता लाने हेतु स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर नियम, 1959 को संशोधित किया जा रहा है।

6.4.7.6 प्रासव की छीजत अनुमत्य करने में निगरानी का अभाव

मासिक स्टॉक लेते[16] समय किसी भी प्रकरण में अधिक छीजत पाये जाने पर, प्रभारी अधिकारी डिस्टलर से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा और अपने स्वयं के स्पष्टीकरण सहित परिस्थितियों के एक पूर्ण प्रतिवेदन के साथ इसे जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा। जिला आबकारी अधिकारी मामले की तुरन्त जांच कर आबकारी आयुक्त को प्रतिवेदित करेगा।

प्रासव भण्डारण वैट लेखा पंजिकाओं की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मासिक स्टॉक लेते समय यद्यपि निर्धारित मापदण्डों से अधिक छीजत पाई गई, प्रभारी अधिकारी द्वारा डिस्टलर से ना तो लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया और ना ही स्वयं का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, परिस्थितियों का प्रतिवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया। मैसर्स विन्टेज डिस्टलर्स लिमिटेड, अलवर से सम्बन्धित कुछ उदाहरण जिनमें आबकारी शुल्क ₹ 26.98 लाख[17] निहित है नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं:

क्र.सं.	वैट संख्या	दिनांक	प्रारम्भिक शेष (बीएल में)	प्रासव की प्राप्ति (बीएल में)	अन्तिम शेष (बीएल में)	ली गई छीजत (बीएल में)
1	एसएसवी -10	31.12.2014	शून्य	1,700	शून्य	1,700
2	एसएसवी -11	30.11.2014	शून्य	1,000	शून्य	1,000
3	एसएसवी -5	31.3.2014	शून्य	2,500	शून्य	2,500
4	एसएसवी -7	31.7.2013	शून्य	3,700	शून्य	3,700
टिप्पणी: उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि एक वैट में प्राप्त प्रासव की मात्रा को उसी दिन पूर्ण रूप से भण्डारण छीजत के रूप में दशार्या गया था, जबकि वैटस के प्रारंभिक शेष एवं अन्तिम शेष शून्य थे।						
5	एसएसवी -5	31.8.2013	38	2,629	38	2,629
6	एसएसवी -6	30.11.2013	56	2,400	56	2,400
टिप्पणी: इसी प्रकार से उपर्युक्त दो प्रकरणों में प्राप्त सम्पूर्ण मात्रा को उसी दिन भण्डारण छीजत के रूप में दर्शाया गया था और केवल प्रारंभिक शेष को ही आगे ले जाया गया था।						
योग						**13,929**

अभिलेखों में कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा डिस्टलर से कभी कोई स्पष्टीकरण मांगा गया हो और आबकारी आयुक्त को कोई प्रतिवेदन प्रेषित किया गया हो। इस प्रकार पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया।

ध्यान में लाये जाने के बाद सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि राशि की वसूली हेतु आदेश जारी कर दिये गये थे तथा चूक के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

---

[16] नियम 7 के अनुसार, प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के लिये फार्म सीएल-3 में छीजत का विवरण तैयार कर आबकारी आयुक्त को प्रेषित करने हेतु आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को भेजना होगा।

[17] 13,929 बल्क लीटर X 166% (एलपीएल में गणना हेतु) = 23,122.14 एलपीएल X आबकारी शुल्क की दर ₹ 116.67 प्रति एलपीएल = ₹ 26.98 लाख ।

6.4.7.7 प्रासव की वास्तविक तीव्रता को स्वीकार नहीं करने के कारण हानि

राजस्थान डिस्टलरीज नियम के नियम 87 के अनुसार डिस्टलरी से कोई भी प्रासव की मात्रा को तब तक नहीं निकाला जावेगा जब तक कि इस उद्देश्य हेतु नियत अधिकारी द्वारा माप एवं प्रमाणित नहीं कर दिया जावे। प्रासव की जांच इकाईयों में अवस्थित प्रयोगशालाओं में की जाती है। आबकारी आयुक्त द्वारा फरवरी 2014 में जारी परिपत्र के अनुसार प्रासव की तेजी/तीव्रता को सुनिश्चित करने हेतु प्रासव का एक सैम्पल विभागीय प्रयोगशाला में भी भेजा जाता है।

इकाइयों की प्रयोगशालों एवं विभागीय प्रयोगशालाओं में जांच किये गये सैम्पल्स के आपसी मिलान से प्रकट हुआ कि 288 सैम्पल्स में विभागीय प्रयोगशालाओं के परिणामों में प्रासव की तीव्रता, इकाई की प्रयोगशालाओं के आधार पर लेखाओं में वर्णित तेजी से अधिक थी। विभाग द्वारा इन रिपोर्टस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप आठ उत्पादन इकाईयों[18] में 15,905.41 एलपीएल प्रासव के कम लेखांकन से सरकार को आबकारी राजस्व ₹ 23.44 लाख से वंचित रहना पड़ा। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

क्र.सं.	इकाईयों के नाम	सैम्पल लेने की तिथि	प्राइवेट प्रयोगशाला के अनुसार तीव्रता (ओपी में)	सरकारी प्रयोगशाला के अनुसार तीव्रता (ओपी में)	मात्रा जिसमें से सैम्पल लिये गये (बीएल में)	प्रासव का कम लेखांकन (एलपीएल में)	निहित आबकारी शुल्क (₹ में)
1	मैसर्स ग्लोबल स्प्रिटस लिमिटेड, बहरोड़	30.12.2014	68.0	68.2	59,467.00	118.93	20,218
		11. 3.1205	66.0	66.3	2,73,984.00	821.95	95,897
2	मैसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड, सीकर	8. 1.2013	68.0	68.5	19,962.00	99.81	16,968
		18.10.2014	68.0	68.5	19,965.00	99.83	16,971
3	मैसर्स यूनाइटेड स्प्रिटस लिमिटेड, उदयपुर	2. 1.2015	68.0	68.3	24,955.00	74.86	12,726
		3.2.2015	68.0	68.3	24,958.00	74.87	12,728

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि विभागीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्टस अधिक विश्वसनीय एवं स्वीकार्य है। आगे यह बताया गया कि सम्बन्धित इकाईयों से राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे।

6.4.7.8 भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा देशी मदिरा की रसायनिक जांच

राजस्थान डिस्टलरीज नियम के नियम 91 के साथ पठित नियम 106 के अनुसार प्रासव की निर्धारित तीव्रता 25° (व्हीस्की, ब्रांडी एवं रम), 35° (जिन एवं वोदका) तथा 40°/50° (देशी मदिरा) यूपी के प्रमाणीकरण में प्रभारी अधिकारी को स्वयं की सन्तुष्टि हेतु यह पर्याप्त होगा कि प्रासव की तीव्रता विख्यात तीव्रता से 0.5° ऊपर सीमा के अन्तर्गत हो। निर्धारित तीव्रता से कम तीव्रता का प्रासव जारी करने हेतु अनुमत्य नहीं है। इसे विभाग द्वारा भी जनवरी 2015 में परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया गया था।

[18] मैसर्स एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अजीतगढ़, बीम ग्लोबल स्प्रिटस एण्ड वाईन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड बहरोड़, ग्लोबस स्प्रिटस लिमिटेड बहरोड़, परनोड रिकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड बहरोड़, रेडिको खेतान लिमिटेड रींगस, महामाया लिकर इण्डस्ट्रीज उदयपुर, सोलकिट डिस्टलरी एण्ड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर तथा यूनाइटेड स्प्रिटस लिमिटेड, उदयपुर।

यह पाया गया कि मदिरा की तेजी को सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के नमूने सरकारी प्रयोगशालाओं अथवा सरकार से अनुमोदित प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे थे। डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस से प्राप्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा की रसायनिक जांच रिपोर्ट्स के परीक्षण से प्रकट हुआ कि निम्नलिखित सैम्पलस में मदिरा की तीव्रता निर्धारित सीमा से कम थी। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 29.16 लाख के आबकारी शुल्क की कम वसूली हुई, जिसका उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया है:

- **भारत निर्मित विदेशी मदिरा**

दो डिस्टलरीज[19] में मदिरा की तीव्रता को सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आबकारी प्रयोगशाला, उदयपुर तथा विभाग से प्राधिकृत जगदम्बा प्रयोगशाला, जयपुर में अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा के जांच पश्चात प्राप्त 437 सैम्पल्स में पाया गया कि इनमें अल्कोहल की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक थी। इनके अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा के सम्बन्ध में 25 यूपी तथा वाइन के सम्बन्ध में 35 यूपी से कम तीव्रता दर्शाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप 15,877 एलपीएल अल्कोहल का कम लेखांकन किया गया जिस पर आबकारी शुल्क का आरोपण नहीं किया गया था। इससे सरकार को ₹ 26.99 लाख के राजस्व से वंचित रहना पड़ा। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

क्र.सं.	ब्रॉण्ड का नाम	बैच संख्या	बैच का माह	लेखों मे ली गई तीव्रता (यूपी में)	प्रयोगशाला रिपोर्ट में दर्शाई तीव्रता (यूपी में)	मात्रा (बल्क लीटर में)	अल्कोहल का कम लेखांकन (एलपीएल में)
मैसर्स यूनाइटेड स्प्रिटस लिमिटेड, उदयपुर							
1	एमसीडी नं. 1 डीलक्स व्हिस्की	1	अप्रैल 2014	25.0	24.6	29,060.00	116.24
2	ब्ल्यू रिवैण्ड लंदन ड्राई जिन	17	जून 2014	25.0	24.6	29,050.00	116.20
मैसर्स परनोड रिकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बहरोड़							
3	100 पाइपर्स ब्लैंडेड स्कोच व्हिस्की	16	अगस्त 2014	25.0	24.8	19,453.00	38.91
4	रॉयल स्टेग डिलक्स व्हिस्की	78	अगस्त 2014	25.0	24.8	29,946.00	59.89
5	फयूल ओरेन्ज वोदका	6	नवम्बर 2014	34.4	34.2	10,961.00	21.92
योग							**353.16**

- **देशी मदिरा**

विभागीय आबकारी प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा एक बोटलिंग प्लांट (मैसर्स महामाया लिकर इण्डस्ट्रीज, उदयपुर) के देशी मदिरा अगस्त 2014 से जनवरी 2015 की अवधि के 79 सैम्पल्स की जांच में पाया गया कि इनमें अल्कोहल की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक थी। इनके अन्तर्गत देशी मदिरा के सम्बन्ध में 40 एवं 50 यूपी से कम तीव्रता दर्शाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1,864 एलपीएल अल्कोहल का अधिक उपयोग किया गया जिस पर आबकारी शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। इससे सरकार को ₹ 2.17 लाख के राजस्व से वंचित

[19] मैसर्स परनोड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बहरोड़ और मैसर्स यूनाइटेड स्प्रिटस लिमिटेड, उदयपुर।

होना पड़ा । कुछ उदाहरण नीचे दिये गये है:

क्र. सं.	ब्रॉण्ड का नाम	बैच संख्या	बैच की तिथि	लेखों मे ली गई तीव्रता (यूपी में)	प्रयोगशाला रिपोर्ट में दर्शाई गई तीव्रता (यूपी में)	मात्रा (बल्क लीटर में)	अल्कोहल का कम लेखांकन (एलपीएल में)
1	घूमर (सादा देशी मदिरा)	222	13.08.14	50.0	49.7	6,912.00	20.74
2	घूमर (सादा देशी मदिरा)	37	29.10.14	40.0	39.7	11,102.40	33.31
3	राना (सादा देशी मदिरा)	7	17.12.14	40.0	39.8	8,640.00	17.28
4	राना (सादा देशी मदिरा)	8	18.12.14	50.0	49.9	9,504.00	9.50
			योग				**80.83**

आबकारी शुल्क की हानि के अतिरिक्त कम तीव्रता की मदिरा का प्रेषण करना नियमों का उल्लंघन था । इकाईयों पर पदस्थापित सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा डिस्टलरस/बोटलरस के विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया ।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि सम्बन्धित इकाईयों से राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे ।

6.4.7.9 निर्यात के दौरान गन्तव्य स्थान पर कम सुपुर्द प्रासव एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

अधिनियम की धारा 18 के अनुसार डिस्टलरी से कोई भी आबकारी पदार्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत देय आबकारी शुल्क जमा कराये बिना अथवा प्रपत्र आर.डी. 15 या आर.डी. 16 में इसके भुगतान का बॉण्ड निष्पादन किये बिना नहीं निकाला जावेगा । बॉण्ड की शर्त संख्या (2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि परिवहन/निर्यात किये गये प्रासव की सम्पूर्ण मात्रा किसी भी अवसर के दौरान गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाती है तो डिस्टलर ऐसे किसी शुल्क की क्षति, जो सरकार को ऐसी गैर-सुपुर्दगी अथवा कम सुपुर्दगी के कारण सहनी पड़ी, के लिये शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा । शुल्क का भुगतान मांग करने पर प्रभावी दर से करना होगा । इसके अतिरिक्त, नियमों में निर्यात किये जाने वाले प्रासव/भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की रास्ता क्षति एवं आयातक राज्यों में शुल्क के भुगतान सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है ।

दो डिस्टलरीज (मैसर्स यूनाइटेड स्प्रिटस लिमिटेड, अलवर तथा मैसर्स परनोड रिकार्ड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, बहरोड़) द्वारा वर्ष 2010-15 के दौरान निर्यातित माल्ट स्प्रिट, हाई बुके स्प्रिट (एचबीएस), कन्सन्ट्रेट अल्कोहलिक बेवरेज (सीएबी), ईएनए इत्यादि के आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्रों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य के बाहर उपरोक्त मदिरा के बॉण्ड के अन्तर्गत निर्यात में आबकारी शुल्क ₹ 15.97 लाख निहित 9,392.60 एलपीएल प्रासव की सुपुर्दगी गन्तव्य स्थान पर कम की गयी । इसी प्रकार दो इकाईयों[20] द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के बाहर भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात में आबकारी शुल्क ₹ 6.91 लाख निहित 4,063 एलपीएल प्रासव की सुपुर्दगी गन्तव्य स्थान पर कम की गयी ।

[20] मैसर्स परनोड रिकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स बीम ग्लोबल स्प्रिटस एण्ड वाईनस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, बहरोड़ ।

प्रासव तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की कम सुपुर्दगी मात्रा पर शुल्क भुगतान न तो डिस्टलर द्वारा किया और न ही विभाग द्वारा मांग की गयी। परिणामस्वरूप राशि ₹ 22.88 लाख के आबकारी शुल्क का अनारोपण रहा।

ध्यान में लाये जाने के बाद, आबकारी आयुक्त ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया (10 अक्टूबर 2016) कि राज्य के बाहर निर्यात के मामलों में रास्ता क्षति से सम्बन्धित नियमों में कोई स्पष्ट एवं सीधे प्रावधान नहीं है। आगे बताया गया कि प्रासव के मामलों में स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर (डिस्टलरीज एण्ड भण्डारगार पर) नियम 1959 के नियम 5(1) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के मामलों में कंडीसन्स एण्ड रैस्ट्रीक्शनस ऑन एस्टेब्लिशमेन्ट ऑफ बॉण्डेड वेयर हाउस के नियम 7(1) के अनुसार अधिक रास्ता क्षति की वसूली संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। सचिव, वित्त (राजस्व) ने बताया कि इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन की आवश्यकता है और आबकारी आयुक्त को तदनुसार ड्राफ्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

6.4.7.10 मदिरा का निस्तारण नही करना

राजस्थान डिस्टलरीज नियमों के नियम-7 के अनुसार डिस्टलर का अनुज्ञापत्र समाप्त होने अथवा उसका अनुज्ञापत्र रद्द अथवा निलम्बित करने पर वह तथा प्रचलित नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान करने डिस्टलरी में शेष रहे प्रासव को हटाने के लिये बाध्य होगा।

एक बोटलिंग इकाई (मैसर्स ओजस इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बहरोड़) के सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के परीक्षण से प्रकट हुआ कि इकाई द्वारा अप्रैल 2014 से अपना उत्पादन बन्द कर दिया था। उस समय इकाई का अन्तिम शेष निम्नानुसार था:

क्र.सं.	मदिरा/प्रासव	वर्ष	मात्रा (एलपीएल में)	प्रति एलपीएल आबकारी शुल्क की दर (₹ में)	निहित आबकारी शुल्क की राशि (₹ करोड़ में)
1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	2005-06	37,455.57	170.00	0.64
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	2010-11	9,845.25	170.00	0.17
3	देशी मदिरा	2013-14	311.04	116.67	0.01
4	शोधित प्रासव	2013-14	104,352.85	116.67	1.21
5	भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्लैण्ड	2005-06 एवं 2013-14	40,094.50	170.00	0.68
6	देशी मदिरा का ब्लैण्ड	2005-06 एवं 2013-14	8,524.77	116.67	0.10
7	देशी मदिरा	इकाई के बॉण्डेड वेयर हाउस तथा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के डिपोज पर स्टॉक	14,536.80	116.67	0.17
योग			**2,15,120.78**		**2.98**

विभाग द्वारा आबकारी शुल्क की वसूली हेतु स्टॉक के पुनः आश्वन हेतु विक्रय अथवा नष्टीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। विभाग द्वारा स्वीकृति जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष में राजस्व ₹ 2.98 करोड़ अवरूद्ध रहा। इसके अतिरिक्त, बन्द इकाई में इस प्रकार की मदिरा के उपयोग के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना

से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी देखा गया कि मदिरा के निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि 62,179 बल्क लीटर शोधित प्रासव तथा 16,527 बल्क लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा के ब्लैण्ड को मैसर्स विन्टेज डिस्टलर्स लिमिटेड, अलवर को हस्तान्तरित कर निस्तारण कर दिया गया था और शेष रहे स्टॉक का निस्तारण किया जाना प्रक्रियाधीन था। तथापि, समय सीमा जिसमें स्टॉक का निस्तारण किया जावेगा के सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

6.4.8 ब्रेवरीज की कार्यप्रणाली

राज्य में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान सात ब्रेवरीज बीयर उत्पादन हेत संचालित थी। बीयर उत्पादन हेतु उपयोग में लिया जाने वाला प्रमुख कच्चा पदार्थ जौ, यवरस, चावल टुकड़ी, चीनी एवं होप्स है।

कार्यरत सभी ब्रेवरीज के लेखाओं की जांच की गयी। निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

6.4.8.1 बीयर उत्पादन के मापदण्ड निर्धारित नहीं करना

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 में बीयर उत्पादन के मापदण्डों का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि तकनीकी आबकारी नियमावली (ईटीएम) के अनुच्छेद 243 के अनुसार 84 पौण्ड माल्ट अथवा 56 पौण्ड चीनी से 36 गैलन वर्ट (ब्रू) प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में प्रति मैट्रिक टन माल्ट से 6,500 बल्क लीटर बीयर उत्पादन के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे।

अनाज से बीयर उत्पादन के मापदण्ड निर्धारित नहीं करने का मुद्दा वर्ष 2005-06 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाया गया था। आबकारी आयुक्त ने एक समिति गठित की (जुलाई 2011), जिसने प्रत्येक उत्पादन के लिये उपयोग में लिये गये प्रति क्विंटल अनाज से 40 बल्क लीटर परिशोधित प्रासव/शोधित प्रासव, 570 बल्क लीटर माइल्ड बीयर तथा 420 बल्क लीटर स्ट्रांग बीयर के मापदण्डों की सिफारिश की (जून 2014)। विभाग ने प्रासव की न्यूनतम प्राप्ति हेतु मापदण्ड निर्धारित किये (जून 2015) लेकिन समिति द्वारा सिफारिश किये जाने के बावजूद विभाग द्वारा बीयर उत्पादन हेतु मापदण्डों का निर्धारण नहीं किया गया था (जुलाई 2016)।

सात ब्रेवरीज के सम्बन्ध में पांच वर्षों (2010-11 से 2014-15) की अवधि के लिये अनाज आधारित ब्रू प्राप्ति के विश्लेषण में पाया गया कि उपयोग में लिये गये अनाज की प्रति क्विंटल औसत मासिक प्राप्ति स्ट्रांग ब्रू की 606[21] और 370[22] बल्क लीटर की सीमा के मध्य तथा माइल्ड ब्रू की 741[23] और 224[24] बल्क लीटर की सीमा के मध्य थी। यद्यपि, ब्रेवरीज द्वारा प्रतिवेदित ब्रू की मासिक प्राप्ति के मध्य बहुत अन्तर था तथापि ब्रेवरीज में प्रचलित विशेष

[21] मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर - नवम्बर 2013 के दौरान।

[22] मैसर्स माहऊ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एरीयन ब्रेवरीज), भिवाड़ी - अक्टूबर 2012 के दौरान।

[23] मैसर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, भिवाड़ी - दिसम्बर 2013 के दौरान।

[24] मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर - अप्रैल 2014 के दौरान।

परिस्थितियों के अनुसार ब्रू की प्राप्ति का विश्लेषण करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान नहीं था। यह देखा गया कि समिति की अनुशंसा के आधार पर चार ब्रेवरीज[25] में 43.60 लाख बल्क लीटर बीयर के उत्पादन में कमी थी।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बीयर उत्पादन के सम्बन्ध में मापदण्ड निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित लेखापरीक्षा विचार को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में अधिसूचना हेतु ड्राफ्ट की तैयारी विचाराधीन है।

6.4.8.2 बीयर उत्पादन में छीजत

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 49-ए (1996 में सम्मिलित) के अनुसार बीयर उत्पादन में सात प्रतिशत की दर से क्षति अनुमत्य थी।

लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि यद्यपि बीयर उत्पादन में क्षति अनेक स्तरों जैसे कि उत्पादन, बोतल भराई, भण्डारण, परिवहन, निर्यात, अवधिपार स्टॉक पर प्रभारित की गई थी, तथापि विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर अनुमत्य छीजत के मापदण्डों का निर्धारण नहीं किया गया था। यह पाया गया कि यद्यपि छीजत सात प्रतिशत से कम थी, यह वर्ष 2010 से 2015 के दौरान 3.82[26] और 6.97 प्रतिशत के मध्य सीमा में रही और ब्रेवरीज द्वारा छीजत के दावे की मांगों में एकरूपता नहीं थी। नियम 49-ए के क्रियान्वयन से 20 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद विभाग द्वारा विभिन्नता के कारणों को सुनिश्चित करने हतु विभिन्न स्तरों पर छीजत की अनुमत्यता की जांच नहीं की। चूंकि छीजत की अनुमत्यता का सीधा प्रभाव राजस्व संग्रहण पर होता है, अतः इसे प्रत्येक स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि 1 अगस्त 2016 से विभाग द्वारा कम्प्यूटराईज्ड पद्धति में ब्रेवरीज मोडयूल परिचालित कर दिया गया था और स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर नियम, 1959 के नियमों में संशोधन विभाग में विचाराधीन है।

6.4.8.3 अन्य राज्यों को निर्यातित बीयर की कम सुपुर्दगी पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 41 के अनुसार ब्रेवरी से बीयर की कोई भी मात्रा अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत आरोपित शुल्क जमा कराये बिना अथवा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली बीयर के मामलों में ब्रेवर द्वारा प्रपत्र आर.बी. 11 या आर.बी. 12 में बॉण्ड का निष्पादन किये बिना नहीं निकाली जावेगी। बॉण्ड की शर्त संख्या (2) में यह प्रावधान है कि यदि बॉण्ड में दर्शित बीयर की मात्रा गन्तव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाती है तो, ब्रेवर ऐसे किसी शुल्क की क्षति, जो सरकार को ऐसी गैर सुपुर्दगी अथवा कम सुपुर्दगी के कारण सहनी पड़े, के लिये प्रभावी दर से शुल्क की मांग का

[25] मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड अलवर, मैसर्स देवान्स मोडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड, मैसर्स माउन्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बहरोड़ तथा मैसर्स माहऊ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी।

[26] मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड अलवर (2014-15) तथा मैसर्स माउन्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बहरोड़ (2010-14)।

भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा । आगे, नियमों में निर्यात के दौरान बीयर की रास्ता छीजत एवं आयातक राज्य में शुल्क के भुगतान सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है ।

छः ब्रेवरीज द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान निर्यातित बीयर के आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि बॉण्ड के अन्तर्गत राज्य के बाहर बीयर के निर्यात की प्रक्रिया के दौरान 55,273.90 बल्क लीटर (7,086.40 कार्टन) बीयर की सुपुर्दगी गन्तव्य स्थान पर कम की गयी । निर्यातित बीयर की इस मात्रा के शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गयी । परिणामस्वरूप राशि ₹ 27.85 लाख के आबकारी शुल्क का अनारोपण रहा ।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि राज्य के बाहर निर्यातित बीयर की कम सुपुर्दगी पर नियमानुसार राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है ।

6.4.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पहले बने लेखापरीक्षा आक्षेपों की अनुपालना

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों में पांच ब्रेवरीज द्वारा राज्य के बाहर निर्यातित बीयर की छीजत पर आबकारी शुल्क ₹ 2.19 करोड़ की वसूली के बारे में उल्लेख किया गया था ।

विभाग द्वारा तीन ब्रेवरीज से सम्पूर्ण राशि वसूल की गयी जबकि दो ब्रेवरीज[27] के सम्बन्ध में, विभाग ने इनके द्वारा देय ₹ 66.31 लाख की छूट प्रदान की (अगस्त/सितम्बर 2014) । छूट के आदेश अधिनियम की धारा 71(2) के अन्तर्गत सरकार की वांछित स्वीकृति प्राप्त किये बिना जारी किये गये । अतः विभाग द्वारा कुछ ब्रेवरीज को राज्य के बाहर निर्यातित बीयर की क्षति पर आबकारी शुल्क की छूट प्रदान कर अनुचित लाभ दिया गया ।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने लेखापरीक्षा विचार को स्वीकार किया (10 अक्टूबर 2016) कि नियमों में निर्यात के दौरान बीयर की रास्ता छीजत एवं आयातक राज्य में शुल्क के भुगतान सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है और बताया कि एक इकाई से वसूली कर ली गई थी तथा दूसरी इकाई को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिया गया था ।

6.4.8.5 खराब बीयर का निस्तारण नहीं करना

राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड की लिकर सॉर्सिंग पोलिसी के अनुसार बोटलिंग की तिथि/माह से छः माह से अधिक अवधि तक विक्रय नहीं होने की स्थिति में बीयर का स्टॉक मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त होगा और उसे बहा कर नष्ट करना होगा ।

ब्रेवरीज के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ब्रेवरीज द्वारा निम्नलिखित विवरण के

[27] मैसर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, भिवाड़ी (₹ 10.86 लाख) तथा मैसर्स माउन्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बहरोड़ (₹ 55.45 लाख) ।

अनुसार बीयर के स्टॉक को छः माह की अवधि में प्रेषित नहीं किया गया था:

क्र.सं.	ब्रेवरीज का नाम	खराब बीयर के कार्टनों की संख्या	उत्पादन का वर्ष
1	कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, अलवर	1,171	2012-13
		1,075	2013-14
		394	2014-15
2	देवान्स मॉडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड, बहरोड़	1,955	2012-13
3	सैब मिलर इण्डिया लिमिटेड, नीमराना	1,952	2010-14
4	यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, भिवाड़ी	2,227	2010-15
		53,970	2014-15
योग		**62,744**	

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि चार ब्रेवरीज में वर्ष 2010-15 के दौरान उत्पादित 62,744 कॉर्टन अवधि पार बीयर का निस्तारण नहीं किया गया था (जून 2016)। विभाग द्वारा, बीयर की उपयोग सीमा की समाप्ति के समय प्रभारित दर से आबकारी शुल्क वसूलने के बावजूद, अवधि पार स्टॉक के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की बीयर के उपयोग के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि खराब बीयर के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.4.9 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

6.4.9.1 मानव शक्ति प्रबन्धन

राज्य आबकारी विभाग की कुशल कार्य संचालन एवं इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित मानव शक्ति की योजना एवं मानव शक्ति के सर्वोत्कृष्ट परिनियोजन का बहुत महत्व है। डिस्टलरीज, ब्रेवरीज तथा बोटलिंग प्लांटस की गतिविधियों पर कुशल एवं प्रभावशाली नियन्त्रण को सुनिश्चित करने हेतु, राजस्थान डिस्टलरीज नियमों के नियम 21 तथा राजस्थान ब्रेवरी नियमों के नियम 22 के अनुसार इस प्रकार की इकाईयों से आबकारी पदार्थों के परिचालन पर नियंत्रण करने हेतु इन संस्थापनों पर अलग-अलग सहायक आबकारी अधिकारियों/निरीक्षकों का पदस्थापन किया जाना चाहिए।

डिस्टलरीज, ब्रेवरीज तथा बोटलिंग प्लांटस पर 31 मार्च 2015 को पदस्थापित आबकारी प्राधिकारियों की स्थिति निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	जिला	उत्पादन इकाईयों की संख्या				पदस्थापित सहायक आबकारी अधिकारियों की संख्या
		डिस्टलरीज	ब्रेवरीज	बोटलिंग प्लांटस	योग	
1	अलवर	2	1	1	4	2
2	बांसवाड़ा	1	-	-	1	-
3	बहरोड़	3	6	4	13	4
4	सीकर	2	-	1	3	1
5	उदयपुर	1	-	2	3	1
योग		**9**	**7**	**8**	**24**	8

यह देखा जा सकता है कि 24 उत्पादन इकाईयों के पर्यवेक्षण हेतु आठ सहायक आबकारी अधिकारियों का पदस्थापन किया गया था। सहायक आबकारी अधिकारियों को अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त, दूसरी इकाइयों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। विभाग द्वारा डिस्टलरी और ब्रेवरी नियमों के प्रावधानों, जिनके अनुसार उत्पादन इकाईयों से आबकारी पदार्थों के परिचालन पर नियंत्रण करने हेतु इन पर अलग-अलग सहायक आबकारी अधिकारियों/निरीक्षकों का पदस्थापन होना चाहिए, की पालना नहीं करने के कारण प्रस्तुत नहीं किये।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि उत्पादन इकाइयों पर सहायक आबकारी अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.4.9.2 डिस्टलरीज, ब्रेवरीज तथा बोटलिंग प्लांटस का निरीक्षण

राजस्थान ब्रेवरी नियमों के नियम 54 के अनुसार प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी ब्रेवरी का प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा। आबकारी नियमावली के अनुसार, 50 प्रतिशत डिस्टलरीज एवं सभी बॉण्डेड वेयरहाउस का वार्षिक निरीक्षण आवश्यक है। जबकि, केवल जिला आबकारी अधिकारी बहरोड़ ने सूचित किया कि उनके द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में निरीक्षण किया गया था तथा जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा उसी अवधि के दौरान केवल दो निरीक्षण किये गये थे। अन्य तीन जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

आबकारी नियमावली के अनुसार, आबकारी आयुक्त तथा अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों द्वारा भी क्रमशः द्विवार्षिक तथा वार्षिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। उनके द्वारा किये गये निरीक्षण को इंगित करने वाला कोई तथ्य अभिलेखों में नहीं था। इसलिए, निरीक्षण पद्धति की प्रभावोत्पादकता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि अतिरिक्त आबकारी आयुक्त तथा जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा उत्पादन इकाइयों के निरीक्षण से संबंधित नये निर्देश 17 अगस्त 2016 को जारी कर दिये गये और तदनुसार निरीक्षण को सुनिश्चित किया जावेगा। जबकि, तीन जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

6.4.9.3 आबकारी तालो की आपूर्ति नहीं करना

'बॉण्डेड वेयरहाउस की स्थापना या लाइसेंस की शर्तों एवं प्रतिबन्धों' की शर्त संख्या 13 के अनुसार, उन सभी भवनों या कमरों, जिनका उपयोग प्रासव के भण्डारण के लिये किया जाता है, में दो ताले उपलब्ध कराये जायेंगे। जिनकी चाबियां ऐसी हो जो परस्पर बदली नही जा सके तथा उनमें एक ताला आबकारी ताला होगा जो प्रभारी अधिकारी के प्रभार में तथा दूसरा ताला बॉण्डेड वेयरहाउस के मालिक के प्रभार में होगा।

उत्पादन इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराई सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि पांच इकाईयों[28] के अतिरिक्त शेष 19 इकाईयों को, उनके द्वारा मांग किये जाने के बावजूद, ताले जारी नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय कार्यालय, उदयपुर ने बताया कि 31 मार्च 2015 को स्टॉक में 21 आबकारी ताले उपलब्ध थे।

ध्यान में लाये जाने के बाद, सरकार ने बताया (अक्टूबर 2016) कि इकाइयों की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार आबकारी ताले उपलब्ध करा दिये जावेंगें।

6.4.10 निष्कर्ष तथा सिफारिशें

हमने देखा कि:

- डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस द्वारा देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माण एवं थोक विक्रय निर्माण स्थल से किया गया था। विभाग द्वारा नियम 68(13) के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क वसूल किया गया था। जबकि, नियम 68(12)(ए) के अन्तर्गत देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क वसूल नहीं किया गया।

  मदिरा जो नियम 68(12)(ए) के अन्तर्गत आवृत है के अलावा अन्य मदिरा को उल्लेखित करते हुए नियम 68(13) की अस्पष्टता को दूर करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसे राजस्व हित में नियम 68(12)(ए) के अन्तर्गत देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क के आरोपण पर विचार करना चाहिए।

- डिस्टलरीज न्यूनतम उत्पादन दक्षता के मापदण्डों को प्राप्त करने में असफल रही थी। अनेक अवसरों पर, विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों की तुलना में उत्पादन बहुत कम था। डिस्टलरीज की दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक आसवन में प्रासव की प्राप्ति की निगरानी हेतु विभाग द्वारा कोई डाटाबेस संधारित नहीं किया गया।

  विभाग को अनाज से अल्कोहल उत्पादन की मात्रा को दर्शाने वाले एक डाटाबेस को संधारित करने और इकाइयों के आधुनिकीकरण से उत्पादन प्राप्ति में वृद्धि की संभावनाओं के मद्देनजर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों की समय समय पर समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

- डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस में प्रासव, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा का उत्पादन सीटीओ में निर्धारित मात्रा से अधिक किया गया था। इकाइयों द्वारा दैनिक अधिक उत्पादन को नियमित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अथवा विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। विभाग दैनिक/वार्षिक निर्धारित क्षमता से अधिक अल्कोहल के उत्पादन को नियन्त्रित करने में असफल रहा।

  विभाग को सीटीओ में निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन नही होने को सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी उल्लंघन हेतु जुर्माने के आरोपण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

---

[28] दो इकाईयां (मैसर्स एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा मैसर्स एचएसबी एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) सीकर में, दो इकाईयां (मैसर्स महामाया लिकर इण्डस्ट्रीज तथा मैसर्स सोलकिट डिस्टलरी एवं ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड) उदयपुर में तथा एक इकाई (मैसर्स नारंग डिस्टलरी) बांसवाड़ा में।

- यद्यपि नियमों में प्रासव के भण्डारण छीजत के मापदण्ड निर्धारित किये गये है, जबकि छीजत प्रदान करने के स्तर का उल्लेख नहीं किया गया था।

  सभी डिस्टलरीज/बोटलिंग प्लांटस द्वारा समान रूप से भण्डारण छीजत की गणना को सुनिश्चित करने और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कोई हानि नहीं हो, के लिए विभाग को छीजत अनुमत्य किये जाने के स्तर को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

- विभागीय प्रयोगशालाओं के परिणामों में प्रासव की तीव्रता इकाई की प्रयोगशालाओं के आधार पर लेखाओं में वर्णित तीव्रता से अधिक थी। विभाग द्वारा इन रिपोर्टस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप, लेखाओं में प्रासव के कम लेखांकन से सरकार को आबकारी राजस्व से वंचित रहना पडा। इसके अतिरिक्त, कम तीव्रता की मदिरा का प्रेषण करना नियमों का उल्लंघन था।

  विभाग को विभागीय प्रयोगशालाओं में जांच किये गये प्रासव की रिपोर्टस पर, इस संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार संज्ञान लिये जाने की आवश्यकता है। मदिरा की तीव्रता की जांच हेतु अनियमित आधार पर अचानक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

- ब्रेवरीज द्वारा बीयर उत्पादन में ली गई छीजत में विभिन्नता के कारणों को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा ब्रेवरीज में विभिन्न स्तरों पर छीजत की अनुमत्यता का परीक्षण नहीं किया गया।

  ब्रेवरीज में प्रचलित तकनीकि/पारिस्थिति के उचित तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात, विभाग को प्रत्येक स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टि से छीजत के मापदण्डों को पुनः निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए।

6.5 वेण्ड फीस का अनारोपण

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69(1) के अनुसार खुदरा अनुज्ञाधारियों से बीयर के विक्रय पर ₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर की दर से वेण्ड फीस वसूलनीय है।

जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर के क्षेत्राधीन केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित जारी परमिटों व अन्य अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (फरवरी 2016) कि वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान, 15 लाख बल्क लीटर बीयर का विक्रय इनके रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों (यूनिट रन कैन्टीन्स) को किया गया। तथापि बीयर पर वसूलनीय वेण्ड फीस ₹ 2.00 प्रति बल्क लीटर ना तो कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट द्वारा जमा करायी गयी और ना ही विभाग द्वारा मांग की गयी। इसके परिणामस्वरूप वेण्ड फीस राशि ₹ 30 लाख का अनारोपण रहा।

ध्यान में लाये जाने के बाद (मार्च 2016 और अप्रैल 2016 के मध्य) विभाग ने अवगत कराया (अगस्त 2016) कि केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट से वसूली हेतु निर्देश जारी किये जा रहे है।

6.6 कम्पोजिट फीस की कम वसूली

वर्ष 2014-15 की राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की कम्पोजिट दुकानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था। नगरीय सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में अवस्थित गांवों की देशी मदिरा दुकानों को परिधीय क्षेत्र की

कम्पोजिट दुकानें माना गया था। इन परिधि क्षेत्र में आने वाले गांवों को आगे 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। 'ए' श्रेणी की दुकानों की कम्पोजिट फीस सम्बन्धित नगरीय क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों की लाइसेंस फीस अथवा उस दुकान की वर्ष 2013-14 की राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आरएसबीसीएल) की एनुलाईज्ड बिलिंग राशि का 3.5 प्रतिशत से जो भी अधिक हो, देय थी। 'बी' श्रेणी की दुकानों के लिये कम्पोजिट फीस सम्बन्धित नगरीय क्षेत्र की भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकान की लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत अथवा आरएसबीसीएल की एनुलाईज्ड बिलिंग राशि का 3.5 प्रतिशत अथवा ₹ 40,000 में से जो भी अधिक हो देय थी।

पांच[29] जिला आबकारी अधिकारियों के वर्ष 2014-15 के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (दिसम्बर 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य) कि नौ अनुज्ञाधारियों से उनकी दुकानों को परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों में वर्गीकृत करने से ₹ 1.06 करोड़ कम्पोजिट फीस वसूलनीय थी। लेकिन सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा इन अनुज्ञाधारियों से ग्रामीण क्षेत्रों की कम्पोजिट दुकानों के अनुसार ₹ 49 लाख की वसूली की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57 लाख की कम्पोजिट फीस की कम वसूली हुई।

ध्यान में लाये जाने (दिसम्बर 2015 और अप्रैल 2016 के मध्य) के बाद, सरकार ने बताया (अगस्त 2016) कि शुल्क की वसूली मापदण्डों/नियमों के अनुसार की गयी थी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि कम्पोजिट फीस की वसूली सरकार द्वारा बनायी गयी नीति के प्रावधानों के अनुसार वसूल नहीं की गई थी। आबकारी नीति में कम्पोजिट फीस का आरोपण दुकानों के वर्गीकरण के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया था जो कि वर्गीकृत गांवों की स्थिति 'परिधिय क्षेत्र' अथवा 'ग्रामीण क्षेत्र' की दुकानों के आधार पर है।

[29] जिला आबकारी अधिकारीः अजमेर, अलवर, जयपुर शहर, सीकर तथा उदयपुर।

अध्याय-VII

कर-इतर प्राप्तियां

अध्याय-VII : कर-इतर प्राप्तियां

7.1 कर प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर पर विभाग में प्रशासन तथा संबंधित अधिनियमों एवं नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक मामलों में सात अतिरिक्त निदेशक, खान एवं छः अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान तथा वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता करते हैं। अतिरिक्त निदेशक खान, नौ वृतों के प्रमुखों अर्थात अधीक्षण खनि अभियन्ताओं को नियंत्रित करते हैं।

अपने क्षेत्राधिकार में 49 खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के अलावा राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण हेतु जिम्मेदार हैं। विभाग में खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) हैं।

7.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय कार्यकलापों को प्रचलित कानूनों, विनियमों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है और अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों और पंजिकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं तथा राजस्व संग्रहण के अभाव, कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की लेखापरीक्षा 2004-05 से लंबित थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी, प्रणाली में कमी वाले क्षेत्रों से अनभिज्ञ थे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की छीजत या अपवंचना हुई। यह मामला नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2011-12 से उठाया गया। तथापि विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान 129 इकाइयों में से केवल तीन की लेखापरीक्षा की गयी।

7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और निदेशालय पेट्रोलियम की 125 इकाइयों में से 30 इकाइयों की वर्ष 2015-16 के दौरान की गई मापक जांच में 3,966 प्रकरणों में ₹ 283.48 करोड़ राशि के

राजस्व की अवसूली/कम वसूली के मामले प्रकट हुए, जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी		प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'राजस्थान में खानों का आवंटन' पर अनुच्छेद		1	-
2	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली		723	148.15
3	अनाधिकृत उत्खनित खनिजों की कीमत की अवसूली/कम वसूली		511	124.39
4	पर्यावरण प्रबन्धन कोष की अवसूली/कम वसूली		445	2.68
5	शास्ति/ब्याज का अनारोपण		196	2.58
6	प्रतिभूति जमा को जब्त करने का अभाव		226	1.00
7	अन्य अनियमिततायें	राजस्व	1,773	3.25
		व्यय	91	1.43
योग			**3,966**	**283.48**

वर्ष 2015-16 के दौरान, विभाग ने 1,375 प्रकरणों में ₹ 9.75 करोड़ की कम राजस्व प्राप्तियों आदि को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 0.63 करोड़ के 171 प्रकरण वर्ष 2015-16 के एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे । विभाग ने 1,171 प्रकरणों में ₹ 4.49 करोड़ की वसूली की, जिसमें से छः प्रकरणों में शामिल ₹ 0.17 करोड़ चालू वर्ष के तथा शेष पूर्व के वर्षों के थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर विभाग द्वारा एक प्रकरण स्वीकार किया गया एवं पूर्ण राशि ₹ 84 लाख वसूल किये गये। इस अनुच्छेद की इस प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गयी है।

'राजस्थान में खानों का आवंटन' पर एक अनुच्छेद एवं कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 23.14 करोड़ सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेखित किये गये हैं।

7.4 राजस्थान में खानों का आवंटन

7.4.1 प्रस्तावना

राजस्थान में खनिज सम्पदा की व्यापक श्रृंखला है जिसमें लगभग 79 विभिन्न प्रकार के खनिज शामिल हैं जिनमें से 57 खनिजों का व्यावसायिक दोहन किया जाता है। यह राज्य सरकार के कर-इतर राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है जो कर-इतर राजस्व का 34.61 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.05 प्रतिशत है।

खनिजों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अप्रधान खनिज जिसमें निर्माण में काम आने वाले पत्थर, ग्रेवल, साधारण चिकनी मिट्टी, साधारण बलुआ मिट्टी और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य खनिज शामिल हैं। शेष खनिजों को प्रधान खनिज परिभाषित किया गया है जिनको आगे हाइड्रोकार्बन या ईंधन खनिजों (जैसे कोयला, लिग्नाईट इत्यादि), आणविक खनिजों, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

खनिज संसाधनों के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व केन्द्र व राज्य सरकार दोनों का है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त, खानों के विनियमन तथा समस्त खनिजों के विकास के लिये विधिक ढांचा निर्धारित करता है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची-I में सूचीबद्ध प्रधान खनिजों के प्रकरण में खनिज रियायतें राज्य सरकार द्वारा केवल केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही अनुदानित की जाती हैं। अप्रधान खनिजों से संबंधित रियायत के बारे में राजस्थान सरकार ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 बनाये हैं।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम[1] तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों[2] के अंतर्गत सरकारी भूमि पर खनन पट्टों की प्राप्ति के लिये नीति 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर आधारित थी। राज्य सरकार ने राजस्थान खनिज नीति, 2011 (जनवरी 2011) के द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों को संशोधित किया, जिसके अन्तर्गत इसने अपनी आवंटन की नीति को बदला तथा निर्दिष्ट किया कि चित्रांकन के पश्चात, 50 प्रतिशत क्षेत्र विभिन्न श्रेणियों को लॉटरी से आवंटन हेतु आरक्षित होगा तथा शेष 50 प्रतिशत क्षेत्र नीलामी द्वारा आवंटित किया जावेगा। भारत सरकार ने भी 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति को नीलामी द्वारा आवंटन पर परिवर्तित (12 जनवरी 2015) किया।

7.4.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर पर विभाग में प्रशासन तथा संबंधित अधिनियमों एवं नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग दो प्रकार की गतिविधियों में प्रवृत्त रहते हैं, नामतः (1) खनिज सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण

---

[1] धारा 11 व्यक्तियों के अधिमान्यता अधिकार के संबंध में है। जिन प्रकरणों में राज्य सरकार ने राजकीय राजपत्र में खनन पट्टा अनुदान के लिये क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया है और ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि के बारे में दो या अधिक व्यक्तियों ने एक खनन पट्टा के लिये आवेदन किया है तो आवेदक जिसका आवेदन पहले प्राप्त किया गया था को, अनुदान हेतु विचार किये जाने के लिये उस आवेदक पर जिसका आवेदन बाद में प्राप्त किया गया था, अधिमान्यता का अधिकार होगा।

[2] नियम 7 अप्रधान खनिज के खनन पट्टा आवंटन के लिये प्रकिया का प्रावधान करता है।

तथा (2) खनिज प्रशासन जिसमें राजस्व संग्रहण, अनाधिकृत खनन को रोकना तथा खनिज दोहन का पर्यवेक्षण शामिल है।

इन गतिविधियों का सम्पूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा एक वित्तीय सलाहकार, एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सात अतिरिक्त निदेशक (खान), छः अतिरिक्त निदेशक (भू-विज्ञान) एवं सम्पूर्ण राज्य में इकाई स्तर पर फैले 49 खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं, 12 अधीक्षण भू-वैज्ञानिकों एवं 17 वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों के साथ किया जाता है।

7.4.3 हमने यह विषय क्यों चुना

पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य की कार्यवाही निष्पक्ष, भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात विहीन हो, पुनरीक्षित दिशा-निर्देश जारी किये (30 अक्टूबर 2014)। दिशा-निर्देशों में निष्पक्षता के सिद्धांतों, पारदर्शिता एवं गैर-मनमानी के हित में जोर दिया गया कि खनिज रियायत के लिए उपलब्ध सभी क्षेत्रों के लिये [चाहे अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत अक्षत अथवा अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत पूर्व में धारित] पूर्व अधिसूचना हमेशा सामान्य तथा निहित शर्त होनी चाहिए। यदि राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र को ठोस तथा विवशतापूर्ण कारणों से अधिसूचित नहीं करती है, तो ऐसे कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 12 जनवरी 2015 से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया जिसके प्रावधानानुसार (धारा 10(ए)) संशोधित अधिनियम के लागू होने की दिनांक से पूर्व प्राप्त सभी आवेदन अयोग्य हो जावेंगे तथा सरकारी भूमि पर सभी खानों का आवंटन केवल नीलामी के आधार पर किया जावेगा।

तथापि विभाग ने 1 नवम्बर 2014 तथा 12 जनवरी 2015 के मध्य अधिमान्यता आधार पर 738 खानों के लिये बिना किसी अभिलिखित कारणों के 'मंशा-पत्र' जारी किये।

इन खानों के आवंटन उस अवधि के थे जिसकी लेखापरीक्षा 2015-16 के दौरान की जानी थी। इसी बीच राज्य सरकार ने इस मामले को लोकायुक्त को प्रेषित किया और 1 नवम्बर 2014 और 12 जनवरी 2015 के मध्य हुए आवंटनों को देखने के लिए एक पृथक उच्च स्तरीय समिति का गठन (5 अक्टूबर 2015) भी किया। सरकार ने समिति की सिफारिशों (16 अक्टूबर 2015) के आधार पर उपरोक्त अवधि के दौरान आवंटित 601 खानों के लिये जारी मंशा-पत्रों को निरस्त कर दिया। 12 जनवरी 2015 को आवंटित 137 खानों को भी संशोधित अधिनियम के 12 जनवरी 2015 से प्रभाव में आने के कारण निरस्त किया गया। उपरोक्त पृष्ठभूमि में विभाग द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान किये गये खनन आवंटनों की लेखापरीक्षा किये जाने का निर्णय किया गया।

7.4.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था:

- कि आवंटन को शासित करने वाले अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान खनन पट्टों के पारदर्शी आवंटन को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त थे;
- विभाग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन जारी नियमों, अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों के सन्दर्भ में की गयी अनुपालना का स्तर;
- यह सुनिश्चित करने के लिये की आवंटन निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किये गये थे, आन्तरिक नियन्त्रण एवं निगरानी तंत्र मौजूद एवं प्रभावी था।

7.4.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित से लिये गये:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960;
- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986;
- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008;
- राजस्थान खनिज नीति, 2011;
- ग्रेनाइट नीति, 2002 एवं
- मार्बल नीति 2002, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनायें एवं परिपत्र।

7.4.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान की गयी। 49 खनि अभियंताओं/ सहायक खनि अभियंताओं के कार्यालय थे जिनमें से आठ कार्यालयों ने अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के दौरान कोई पट्टा अनुदानित नहीं किया। अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 12 कार्यालयों[3] जिनमें सबसे अधिक अनुदानित पट्टे थे, का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। समीक्षा की अवधि के दौरान इन 12 कार्यालयों ने विभाग द्वारा अनुदानित 1,610 खनन पट्टों में से 1,275 खनन पट्टों (79.19 प्रतिशत) का अनुदान किया। 12 चयनित कार्यालयों के द्वारा अनुदानित 1,275 खनन पट्टों में से 382 खनन पट्टे जोखिम आधारित दृष्टिकोण से चयनित किये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त 31 प्रकरणों में खण्डित पट्टों को बहाल किया गया उनकी भी लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा की गयी।

आवेदनों का निर्धारित नियमों/ विनियमों का अनुसरण करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से परिशोधन एवं निपटान किया गया था या नहीं, यह आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा चयनित कार्यालयों द्वारा परिशोधित 31,002 आवेदनों में से 958 आवेदनों (382 आवेदनों के अतिरिक्त) की संवीक्षा की गई। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के

[3] अजमेर, आमेट, ब्यावर, भीलवाड़ा, बीकानेर, गोटन, जैसलमेर, नागौर, राजसमंद-I, राजसमंद-II, सोजतसिटी एवं उदयपुर।

कार्यालय में संधारित अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई। जब कभी पाया गया खनन पट्टों, खदान अनुज्ञप्तियों एवं खण्डित पट्टों की बहाली के कुछ प्रकरणों पर भी टिप्पणी की गयी।

7.4.7 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेखों को प्रदान करने में खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है। 26 सितम्बर 2016 को हुई समापन सभा में सरकार/विभाग के व्यक्त मत तथा 6 सितम्बर 2016 को प्राप्त उत्तर पर विचार करने के उपरान्त प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा जांच परिणाम

7.4.8 आवेदनों का निस्तारण

खनिज रियायत नियम, 1960 का नियम 22 सहपठित नियम 63(ए) विनिर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार खनन पट्टा अनुदान के लिये आवेदन का निपटान खनन पट्टे के लिये आवेदन प्राप्त होने की तिथि से बारह माह के भीतर करेगी। विभाग ने खनन पट्टों के अनुदान हेतु आवेदनों की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की। आवेदकों को 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदन की हार्ड प्रतिलिपि प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था।

यह देखा गया कि यद्यपि विभाग द्वारा आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त किया गया था, उनकी आगे की निगरानी मैन्युअल तरीके से की गई थी। एक बार आवेदन को इसके तार्किक अन्त यथा अनुदानित/अस्वीकृत/वापसी तक पहुंचने पर आवेदन की स्थिति सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में मैन्युअल तरीके से डाली गई थी। महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आवेदन अस्वीकृति या वापसी की दिनांक को प्रणाली में नहीं डाला गया था। जिसकी अनुपस्थिति में लंबित, अस्वीकृत तथा वापिस लिये गये आवेदनों की सही वर्ष-वार स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गयी (अक्टूबर 2015) सूचनायें विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

विभाग से प्राप्त आंकडों से सुनिश्चित की गयी आवेदनों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

इकाइयों की संख्या	49
31 मार्च 2012 को लम्बित आवेदनों की संख्या	54,974
1 अप्रैल 2012 तथा 31 मार्च 2015 के मध्य प्राप्त आवेदनों की संख्या	16,714
1 अप्रैल 2012 तथा 31 मार्च 2015 के मध्य अनुदान किये गये खनन पट्टों की संख्या	1,610
1 अप्रैल 2012 तथा 31 मार्च 2015 के मध्य अस्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या	55,238
1 अप्रैल 2012 तथा 31 मार्च 2015 के मध्य वापिस लिये गये आवेदनों की संख्या	863
12 जनवरी 2015 को लम्बित आवेदनों की संख्या	13,977

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल 71,688 परिशोधित आवेदनों में से केवल 1,610 खनन पट्टे अनुदान किये गये। दिनांक 12 जनवरी 2015 की अधिसूचना के संदर्भ में 13,977 बकाया आवेदनों को आगे परिशोधन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया।

दिनांक 11 जनवरी 2015 को लम्बित 13,977 आवेदनों का अवधि-वार विश्लेषण निम्न प्रकार थाः

मार्च 2005 से पूर्व प्राप्त आवेदन	114
1 अप्रैल 2005 तथा 31 मार्च 2010 के मध्य प्राप्त आवेदन	1,635
1 अप्रैल 2010 तथा 31 मार्च 2012 के मध्य प्राप्त आवेदन	3,398
1 अप्रैल 2012 तथा 31 मार्च 2014 के मध्य प्राप्त आवेदन	4,443
1 अप्रैल 2014 तथा 31 मार्च 2015 के मध्य प्राप्त आवेदन	4,387

यह देखा जा सकता है कि 13,977 अयोग्य घोषित आवेदनों में से 1,749 आवेदन 1 अप्रैल 2010 से पूर्व प्राप्त किए गये थे अर्थात नियमों में निर्धारित 12 माह के विपरीत ये पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। खनि अभियंता, भीलवाड़ा में यह पाया गया कि 37 रिक्त क्षेत्रों के लिए खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदान हेतु 878 आवेदन प्राप्त किये गये थे। तथापि, इन 878 आवेदनों में से 242 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया एवं शेष 636 आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जो संशोधित अधिनियम की धारा 10(ए) के सन्दर्भ में 12 जनवरी 2015 से आवंटन के लिये अयोग्य हो गये। पत्रावलियों की समीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न स्तरों पर परिशोधन में विलम्ब के लिए कोई अभिलिखित कारण नहीं थे।

प्रकरण अध्ययन 1

खनिजः स्टील ग्रेड चूना पत्थर

खनन पट्टा संख्याः 2/2005

क्षेत्रः जैसलमेर

आवेदकः राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (राजस्थान सरकार का उपक्रम)

आवेदन का प्रस्तुतीकरणः मार्च 2005

आवेदन का परिशोधनः सहायक खनि अभियंता, जैसलमेर तथा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने आवेदन के परीक्षण में पांच वर्ष लिये। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने अधीक्षण भू-वैज्ञानिक, जैसलमेर को मई 2010 में पहले से पूर्वेक्षित क्षेत्र को चिन्हित तथा अनारक्षण के लिये एक प्रस्ताव तैयार करने के लिये निर्देशित किया, जो जनवरी 2015 तक नहीं किया गया।

स्थितिः संशोधित अधिनियम के अधिसूचित होने के कारण 12 जनवरी 2015 को आवेदन अयोग्य घोषित किया गया।

(सीमेन्ट ग्रेड चूना पत्थर एवं जिप्सम के प्रकरण में समान विलम्ब पाये गये।)

सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि आवेदनों के लम्बित रहने के कारणों के परीक्षण के लिए एक जांच समिति गठित की जा चुकी थी तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। तथापि समापन सभा के दौरान निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण आवेदनों को समय पर परिशोधित नहीं किया

जा सका । आगे यह कहा गया कि विभाग 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार वाली पूर्व प्रणाली के बजाय नीलामी पर बदलने का इरादा रखता है ।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा जांच परिणाम 31 मार्च 2015 तक विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणाली से संबंधित थे तथा विभाग उस अवधि के दौरान किये गये कार्यों के लिए जवाबदेह तथा उत्तरदायी था ।

7.4.9 पट्टों की स्वीकृति में विभिन्न स्तरों पर लिया गया समय

यह पाया गया कि विभाग ने खनन पट्टों के अनुदान के लिये आवेदनों के परिशोधन पर निगरानी के लिए कोई प्रतिवेदनों या विवरणियों का निर्धारण नहीं किया था । इस प्रकार विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर आवेदनों के परिशोधन तथा पट्टों की स्वीकृति में विलम्ब पर निगरानी नहीं की जा सकी ।

7.4.9.1 अवधि 2012-15 के दौरान विभाग द्वारा अनुदानित 1,610 पट्टों में से चयनित 382 पट्टों से सम्बन्धित पत्रावली की मानचित्रकार को सुपुर्दगी, मानचित्रकार द्वारा संवीक्षा, मंशा-पत्र जारी करने तथा पट्टों की स्वीकृति में विभिन्न स्तरों पर लिये गये समय का विश्लेषण डोनट चार्ट में दर्शाया गया है ।

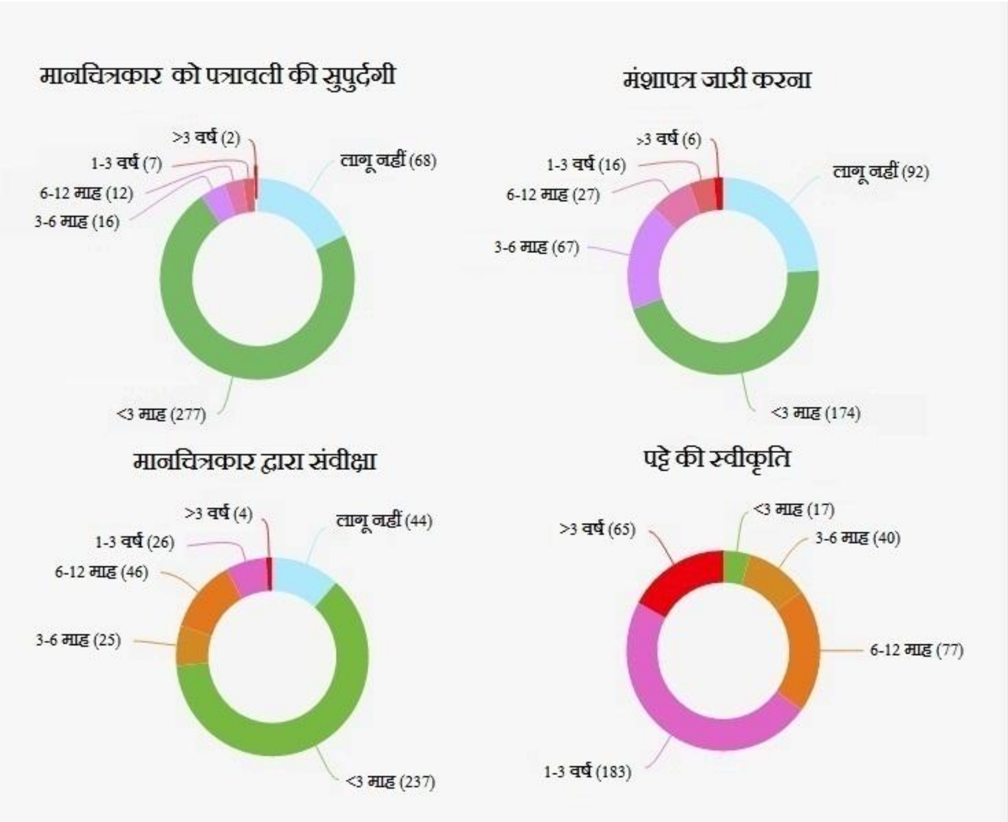

7.4.9.2 अवधि 2012-15 के दौरान अनुदान किये गये खनन पट्टों से सम्बन्धित चयनित 382 पत्रावलियों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 17 आवेदनों[4] को कम समय में परिशोधित किया गया अर्थात पट्टा स्वीकृति में लिये गये औसतन समय 702 दिन के विपरीत 3 माह से कम।

जिन प्रकरणों में आवेदनों के परिशोधन में असाधारण समय लिया गया वहां कोई अभिलिखित कारण नहीं पाये गये। इस प्रकार, कुछ आवेदकों को अधिमान्य व्यवहार देने के अतिरिक्त आवेदनों के परिशोधन में स्वेच्छाचारिता थी।

7.4.10 प्राथमिकता का संधारण नहीं करना तथा पारदर्शिता का अभाव

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(2) ने प्रावधान किया कि जहां राज्य सरकार ने खनन पट्टा अनुदान के लिए क्षेत्र को राजकीय राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया तथा ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि के बारे में दो या अधिक व्यक्तियों ने एक खनन पट्टा अनुदान के लिए आवेदन किया था तो जिस आवेदक का आवेदन पहले प्राप्त किया गया था, को खनन पट्टा अनुदान हेतु विचार किये जाने के लिये उस आवेदक पर जिसका आवेदन बाद में प्राप्त किया गया था अधिमान्यता का अधिकार होगा।

यह पाया गया कि संबंधित खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण उनकी प्राप्ति की दिनांक के अनुसार नहीं था। 1,610 अनुदानित पट्टों में से 382 आवेदनों का एक विस्तृत विश्लेषण निम्न स्थिति को प्रकट करता था।

- 315 प्रकरणों में आवेदनों को उनकी प्राप्ति की दिनांक यथा 'पहले आओ पहले पाओ' के अनुसार अंतिम रूप नहीं दिया गया था। जो आवेदन बाद की तिथियों में प्राप्त हुए थे उनको पहले अंतिम रूप दिया गया। इनमें से 114 प्रकरणों में मानचित्रकार के द्वारा प्राथमिकता खंडित की गई जो आवेदित क्षेत्र की स्थिति एवं सत्यता को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी था। अन्य स्तरों पर हुई देरी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि विभाग में पत्रावली पर नजर रखने की कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।
- चार प्रकरणों[5] में यह पाया गया कि खनन संक्रियाओं में अनुभव एवं वित्तीय संसाधन जिनके आधार पर धारा 11(3) के अन्तर्गत पट्टों का अनुदान किया गया था या तो अभिलेख पर नहीं पाये गये या प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से मिलान नहीं करते थे। दो प्रकरणों में 35 वर्ष एवं 15 वर्ष के अनुभव का दावा किया गया था। एक प्रकरण में आवेदक की आयु केवल 29 वर्ष थी तथा दूसरे प्रकरण में अनुभव का प्रस्तुत प्रमाण-पत्र केवल दो वर्ष के लिये था। अन्य दो प्रकरणों में वार्षिक आय एवं वित्तीय स्थिति के साक्ष्य किसी दस्तावेज से समर्थित नहीं थे।

[4] खनि अभियंता, ब्यावर (खनन पट्टा संख्या 16/2013); खनि अभियंता, भीलवाड़ा (खनन पट्टा संख्या 89/2012, 99/2012, 11/2013 एवं 38/2013); खनि अभियंता, सोजतसिटी (खनन पट्टा संख्या 519/2012, 521/2012, 524/2012, 9/2013, 10/2013, 13/2013 एवं 14/2013); खनि अभियंता, उदयपुर (खनन पट्टा संख्या 117/2014); खनि अभियंता, बीकानेर (खनन पट्टा संख्या 28/2013, 31/2013 एवं 33/2013) तथा खनि अभियंता, आमेट (खनन पट्टा संख्या 15/2013)।

[5] खनि अभियंता, भीलवाड़ा कार्यालय के खनन पट्टा संख्या 305/2005, 358/2005, 402/2005 एवं 482/2005।

सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा जांच परिणामों के परीक्षण के लिये गठित जांच समिति से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जावेगा। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा के दौरान कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये प्रकरणों का परीक्षण किया जावेगा।

प्रकरण अध्ययन 2

कार्यालय: खनि अभियंता, राजसमन्द-I

खनिज: क्वार्टज एवं फैल्सपार

आवेदक 'अ' (संख्या 38/2011): मई 2011 में आवेदन किया

आवेदक 'ब' (संख्या 74/2011): सितम्बर 2011 में आवेदन किया

खनन पट्टा आवंटन: आवेदक 'अ' की उपेक्षा करते हुए आवेदक 'ब' को खनन पट्टा 6 दिसम्बर 2012 को अनुदान किया गया।

तत्पश्चात, आवेदक 'अ' का आवेदन अस्वीकृत (मई 2013) किया गया।

7.4.11 चेतना पत्रों के उत्तर की निगरानी नहीं करना एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करना

7.4.11.1 कमियों की पूर्ति के लिए असीमित समय अनुमत्य किया जाना

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 26(3) ने प्रावधान किया कि अपूर्ण आवेदन के प्रकरण में आवेदक को एक चेतना पत्र दिया जाना चाहिये, जिसका उत्तर 30 दिन के भीतर दिया जावे, जिसमें चूक पर आवेदन निरस्त योग्य होगा। यह पाया गया कि 277 प्रकरणों में आवेदकों ने चेतना पत्रों का उत्तर विनिर्दिष्ट समय में नहीं दिया। चेतना पत्रों के उत्तर देने में विलम्ब की सीमा 1 तथा 1,967 दिन के मध्य थी। इसके उपरांत भी बिना कोई कारणों को निर्दिष्ट किये पट्टे अनुदानित किये गये।

7.4.11.2 उपयुक्त दस्तावेजों के बिना आवेदनों का परिशोधन

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 ने प्रावधान किया कि बकाया नहीं होने के कथन का एक शपथ पत्र पर्याप्त होगा बशर्ते सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता का बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र आवेदन की तिथि से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जावे तथा यदि पार्टी 90 दिन के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो आवेदन अमान्य हो जावेगा। नियम आगे प्रावधान करता है कि राज्य में खनिजवार क्षेत्रों जो कि आवेदक या उसके साथ संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति द्वारा धारित हैं, के विवरण को दर्शाने वाला एक शपथ पत्र भी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

यह देखा गया कि खनि अभियंता, उदयपुर ने पट्टों के हस्तान्तरण/अनुदान के लिए एक ही परिवार से संबद्ध नौ आवेदनों[6] को स्वीकार तथा परिशोधित किया यद्यपि इन आवेदनों के साथ अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि विभाग का बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र तथा आवेदक

[6] रूपल एसोसिएट्स (158/10), मिनल एसोसिएट्स (159/10), सुशीला श्याम माईन्स एण्ड मिनरल्स (160/10), मानक श्याम मिनरल्स (161/10), लक्ष्मी मिनरल्स (459/11), मित्र माईन्स एण्ड मिनरल्स (24/11), कामधेनु माईन्स एण्ड मिनरल्स (184/10), तन्मय माईन्स एण्ड मिनरल्स (20/94) एवं श्री शिशु मित्र सिंघवी (3/06)।

या किसी व्यक्ति द्वारा आवेदक के साथ संयुक्त रूप से पहले से धारित क्षेत्रों का विवरण दर्शाने वाला एक शपथ पत्र जो खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 के तहत वांछनीय थे, संलग्न नहीं थे।

आगे यह देखा गया कि खनि अभियन्ता, राजसमन्द-II में 38 आवेदन तथा खनि अभियंता, भीलवाड़ा में एक आवेदन के साथ पहचान प्रमाण/पैन कार्ड/पते के प्रमाण संलग्न नहीं थे। कार्यालय ने आवेदकों को 30 दिन के भीतर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए चेतना पत्र जारी किये। 15 आवेदकों ने पहचान प्रमाण/पैन कार्ड एवं पते के प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की। तथापि 13 आवेदकों ने पहचान प्रमाण/पैन कार्ड एवं पते के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये तथा 11 आवेदकों ने पहचान प्रमाण/पैन कार्ड की अप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की। तथापि इन आवेदकों को अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता की पूर्ति किये बिना ही पट्टे अनुदानित किये गये।

सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि अतिरिक्त निदेशक (खान) मुख्यालय को लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये मुद्दों का परीक्षण करने, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा के दौरान मामले के परीक्षण का आश्वासन दिया।

7.4.12 दस्तावेजों की अनुपयुक्त जांच

खनि अभियन्ता, राजसमन्द-II में 51 आवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आवेदनों की संवीक्षा उपयुक्त रूप से नहीं की गई थी। विभाग द्वारा आवेदनों को परिशोधित किया गया भले ही ये उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये जो ना तो आवेदक थे ना ही जिनके पास मुख्तारनामा था। पाई गई कुछ कमियां आगामी अनुच्छेदों में उल्लेखित की गई हैं।

- 32 आवेदनों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि आवेदन पत्रों तथा शपथ पत्रों पर किये गये हस्ताक्षर प्रस्तुत दस्तावेजों जैसे पैन कार्डों, ड्राइविंग लाइसेंसों इत्यादि से नहीं मिलते थे। 29 प्रकरणों में आवेदकों से भिन्न दो व्यक्तियों ने (एक व्यक्ति ने 14 प्रकरणों में तथा दूसरे व्यक्ति ने 15 प्रकरणों में) आवेदित क्षेत्र के संयुक्त सीमांकन में बिना किसी मुख्तारनामा के भाग लिया।
- यह पाया गया कि दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए 38 चेतना पत्र जारी किये गये। इनमें से 31 चेतना पत्रों को आवेदकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया तथा 34 चेतना पत्रों के उत्तर बिना किसी मुख्तारनामे के आवेदक से भिन्न व्यक्तियों ने दिये।

इस प्रकार उपरोक्त प्रकरणों में आवेदनों को अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर तथा उपयुक्त संवीक्षा के बिना परिशोधित किया गया। यहां तक की आवेदकों की ओर से संयुक्त सीमांकन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के पास कोई विधिक प्राधिकार नहीं था। *विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया नियमों एवं विनियमों के अनुसार संचालित की जावे।*

प्रकरण अध्ययन 3

खनन पट्टा संख्या 77/2012 एवं 78/2012 के अभिलेखों ने प्रकट किया कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी मंशा-पत्र/स्वीकृति पत्र आवेदकों द्वारा दिये गये पते पर सुपुर्द नहीं किये जा सके। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के कार्यालय ने आवेदकों को सुपुर्दगी की व्यवस्था करने हेतु खनि अभियंता, राजसमन्द-II को पत्र अग्रेषित किये। यह पाया गया कि दस्तावेजों को आवेदक से भिन्न एक व्यक्ति को दिया गया।

आगे, यह देखा गया कि खनन पट्टा संख्या 77/2012 के आवेदक ने अन्य व्यक्ति को मुख्तारनामा दिया था। मुख्तारनामा दो अलग मुद्रांक पत्रों (राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत 16 सितम्बर 2013 को एवं पश्चिम बंगाल मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत 9 अक्टूबर 2013 को) पर दिया गया। तथापि दोनों ही दस्तावेजों पर आवेदक के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते। इसके अतिरिक्त सीमांकन सत्यापन 30 अगस्त 2013 को किया गया जिसमें उसी व्यक्ति ने 'मुख्तारनामा' के निष्पादन के पूर्व आवेदक के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि मामले की गहन समीक्षा करने तथा अनियमितताओं के प्रकरण में खानों को बन्द करने एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जांच समिति को निर्देशित किया गया था। तथापि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग समापन सभा के दौरान सहमत थे कि कई बार स्टाफ की कमी के कारण दस्तावेजों की उपयुक्त संवीक्षा नहीं की गई। उन्होंने लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये प्रकरणों के परीक्षण के लिये आश्वस्त किया।

7.4.13 आदिवासी क्षेत्रों में कुछ चयनितों को अप्रधान खनिज पट्टों का अनियमित आवंटन

राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में गैर-आदिवासी व्यक्तियों को अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के अनुदान को प्रतिबंधित (25 सितम्बर 1999) किया। दिनांक 3 जुलाई 2009 की अधिसूचना द्वारा पुनः लागू किये जाने तक प्रतिबंध को वापस लिया (5 फरवरी 2008) गया। यह पाया गया कि 22 अप्रैल 2009 एवं 1 मई 2009 के मध्य 16 खनन पट्टा आवेदन गैर-आदिवासी व्यक्तियों से प्राप्त किये गये। तथापि मंशा-पत्र जारी नहीं किया गया। राज्य सरकार ने निर्देशित किया (17 मार्च 2011) कि नीतिगत निर्णय लिये जाने तक आदिवासी क्षेत्रों में अप्रधान खनिजों के नवीन खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किये जावेंगे। यह भी निर्देशित किया गया कि जो खनन पट्टे पहले से जारी किये जा चुके थे उन्हें खंडित नहीं भी किया जा सकता था तथा जिन प्रकरणों में मंशा-पत्र जारी किये जा चुके थे उनका परिशोधन इस शर्त के साथ किया जा सकता था कि खनन पट्टों की स्वीकृति से पहले निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के द्वारा सरकार का अनुमोदन चाहा जावेगा।

यह पाया गया कि खनि अभियंता, बांसवाड़ा ने सभी प्रकरण परिशोधित किये, उपरोक्त सभी 16 आवेदकों (14 कम्पनी के एक समूह को) को मार्च 2012 में मंशा-पत्र जारी किये गये एवं तत्पश्चात नवम्बर 2012 में खनन पट्टे अनुदानित किये गये। सरकार के निर्देशानुसार इन 16 आवेदनों को आगे परिशोधित नहीं किया जाना था क्योंकि 3 जुलाई 2009 तक मंशा-पत्र जारी नहीं किये गये थे। इस प्रकार, इन प्रकरणों में खनन पट्टों का अनुदान गलत था तथा इनको प्रभाव शून्य घोषित करने की आवश्यकता थी।

सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि मामले को जांच समिति को प्रेषित किया गया था एवं इसके प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। तथापि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा के दौरान कहा कि उपरोक्त प्रकरणों में मंशा-पत्र जुलाई 2009 से पूर्व जारी किये जा चुके थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा सहायक खनि अभियंता कार्यालय को जारी आन्तरिक अनुदेशों को मंशा-पत्र माना गया जो गलत था। मंशा-पत्र केवल मार्च 2012 में जारी किये गये।

7.4.14 खनन पट्टा का हस्तान्तरण

7.4.14.1 खनन पट्टों की अनियमित बहाली एवं हस्तान्तरण

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 का नियम 43(1) प्रावधान करता है कि अधीक्षण खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), खनि अभियंता (सतर्कता), खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के यहां अपील करने का अधिकार होगा। नियम 43(2) आगे प्रावधान करता है कि उप नियम (1) के अन्तर्गत अपील में पारित किसी आदेश से अथवा इन नियमों के अन्तर्गत निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा पारित किसी अन्य आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को सरकार के यहां अपील करने का अधिकार होगा।

पांच खनि अभियंताओं[7] के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि अप्रैल 1992 एवं सितम्बर 2011 के मध्य 31 पट्टे उनको जारी चेतना पत्रों की पालना नहीं करने या सरकार की बकाया का भुगतान नहीं करने के कारण खंडित किये गये थे। यह पाया गया कि भूतपूर्व पट्टेधारियों ने तीन माह की विनिर्दिष्ट अवधि में खंडित करने के आदेशों के विरूद्ध अपील दायर नहीं की। सम्बन्धित खनि अभियंताओं ने तथापि इन पट्टा क्षेत्रों के आगामी परिशोधन तथा नीलामी हेतु पट्टा क्षेत्र का चित्रांकन नहीं किया।

इन खंडित खनन पट्टों के भूतपूर्व पट्टेधारियों ने 26 जून 2006 तथा 9 मार्च 2015 के मध्य इन पट्टों की बहाली के लिए अपीलीय प्राधिकारी को विलम्ब से अपील की। यह देखा गया कि अपीलार्थियों ने तीन माह की अवधि से परे के विलम्ब को उनके स्वास्थ्य की खराब स्थिति (26 प्रकरणों[8]) तथा उनको चेतना पत्र की अप्राप्ति (पांच प्रकरणों) के कारण क्षमा करने की प्रार्थना की जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/ खनि अभियंता ने तथापि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में प्रावधानित किये गये अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध सरकार को अपील दायर करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया।

यह भी देखा गया कि 14 प्रकरणों में मूल पट्टाधारी ने खनन पट्टे की बहाली के बाद एक माह की अवधि में इसे अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर दिया। ऐसे प्रकरणों के अभिलेखों की संवीक्षा ने यह भी प्रकट किया कि अपील दायर करने, खनन पट्टे की बहाली, पट्टे की अवधि में वृद्धि तथा पट्टे के हस्तान्तरण इत्यादि से संबंधित सभी औपचारिकताओं का अनुकरण

[7] ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर, सोजतसिटी एवं उदयपुर।

[8] छः प्रकरणों में यह पाया गया कि बीमारी का प्रमाण-पत्र एक ही चिकित्सक द्वारा दिया गया था (4,704 से 7,550 दिन के मध्य की अवधि के लिये) यद्यपि खनन पट्टे विभिन्न भूतपूर्व पट्टेधारियों के थे। प्रमाण-पत्र में चिकित्सक की पंजीकरण संख्या एवं पता नहीं दिये गये थे।

हस्तान्तरिती द्वारा किया गया। पट्टों की उपरोक्त बहाली राजस्थान सरकार की अधिसूचना (28 जनवरी 2011) के सन्दर्भ में देखी जानी चाहिए जिसके द्वारा सरकारी भूमि केवल नीलामी अथवा लॉटरी के माध्यम से खनन के लिये अनुदानित की जा सकती थी। अनियमित रूप से बहाल पट्टों के हस्तान्तरण से हस्तान्तरिती नीलामी अथवा लॉटरी की प्रक्रिया में होकर जाने से बच गये जो की राजस्थान सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत वांछित था।

सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि अधीक्षण खनि अभियंता (मुख्यालय) को मामले का परीक्षण करने तथा अपनी टिप्पणी देने के लिए निर्देशित किया गया था। आगे यह अवगत कराया गया कि अतिरिक्त निदेशक (खान) से भी स्पष्टीकरण चाहा गया था।

समापन सभा के दौरान निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने कहा कि खानों को अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बहाल किया गया था।

तथापि तथ्य ये रहते हैं कि इन प्रकरणों में तीन माह की अवधि से बहुत परे के विलम्ब को 23 वर्षों की सीमा तक क्षमा किया गया। इन पट्टों की बहाली तथा एक माह में उनके हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप नीलामी/लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार किया गया। *जहां कहीं भी नियमों से विचलन पाया जावे, सरकार प्रकरणों के पुनः परीक्षण एवं पट्टों की बहाली को खण्डित करने पर विचार कर सकती है।*

प्रकरण अध्ययन 4

कार्यालयः खनि अभियंता, उदयपुर

खनन पट्टा संख्याः खनि अभियंता, उदयपुर का 326/1991

खंडित करने की दिनांकः 16 जून 1993

मुख्तारनामाः 4 दिसम्बर 2013

अपील दायर करने की दिनांकः 26 अक्टूबर 2012

अपील दायर करने में विलम्बः 19 वर्ष और 1 माह

निर्णय की दिनांकः 20 दिसम्बर 2013

पट्टा बहाली की दिनांकः 24 दिसम्बर 2013

नवीनीकरण की दिनांकः 24 दिसम्बर 2013

हस्तान्तरण की दिनांकः 26 दिसम्बर 2013

क्षमा के आधारः अपीलार्थी की बीमारी

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान चिकित्सक की पंजीकरण संख्या तथा पते का उल्लेख बीमारी के प्रमाण-पत्र पर नहीं पाये गये।

7.4.14.2 आदिवासी क्षेत्र में गैर-आदिवासी व्यक्ति को खनन पट्टा का अनियमित हस्तान्तरण

विभाग ने उस क्षेत्र से संबद्ध अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को चुनाई पत्थर का नया खनन पट्टा एवं अल्पावधि अनुमति पत्र अनुदान करने के सिवाय आदिवासी क्षेत्रों में प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के नये खनन पट्टों के अनुदान को प्रतिबन्धित किया (दिसम्बर 2000)। तथापि सरकार ने एक आदेश जारी (20 अक्टूबर 2011) किया जिसके द्वारा वर्ष 2000 से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों के हस्तान्तरण को अनुमत्य किया गया।

खनि अभियंता, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनुसूचित जनजाति से संबद्ध एक व्यक्ति को जून 2007 में आवंटित एक खनन पट्टा (संख्या 59/2006) सामान्य श्रेणी के एक व्यक्ति को हस्तान्तरित (5 मार्च 2014) किया गया। पत्रावली की संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि मूल आवेदक ने खनन पट्टा के लिये आवेदन करते समय हस्तान्तरिती का पता भरा एवं सारा पत्राचार केवल उसी पते पर किया गया। मूल पट्टाधारी के पते का प्रमाण अभिलेख पर नहीं पाया गया। मौका निरीक्षण एवं सीमांकन की प्रक्रिया भी हस्तान्तरिती के द्वारा सम्पादित करवाई गई थी।

सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि उप विधिक सलाहकार को मामले पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था।

7.4.15 पट्टों को निरस्त नहीं करना

भारत सरकार ने दिनांक 10 फरवरी 2015 की अधिसूचना के द्वारा 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिजों के रूप में अधिसूचित किया। यह पाया गया कि उस दिनांक तक निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने प्रधान खनिजों के 192 खनन पट्टे स्वीकृत किये थे जिनका संविदा निष्पादन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रधान खनिज के अन्तर्गत 411 मंशा-पत्र वास्ते खनिज क्वार्टज एवं फैल्सपार भी स्वीकृति के लिए लम्बित थे।

इसके अलावा खनिज रियायत नियम, 1960 का नियम 31 प्रावधान करता है कि पट्टा संविदा का निष्पादन छः माह के भीतर किया जाना चाहिए। अन्यथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। तथापि उपरोक्त प्रकरणों में स्वीकृति अथवा मंशा-पत्रों की जारी की दिनांक से छः माह से अधिक बीतने तथा संविदाओं का निष्पादन नहीं होने के बावजूद स्वीकृतियों/मंशा-पत्रों को निरस्त नहीं किया गया।

दिनांक 10 फरवरी 2015 को लम्बित स्वीकृतियों तथा मंशा-पत्रों को निरस्त किया जाना चाहिये था तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अनुसार परिशोधित किया जाना था।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने समापन सभा के दौरान कहा कि 12 जनवरी 2015 से पूर्व प्रधान खनिजों के लिए जारी मंशा-पत्रों को संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अवधि जिसमें इन 192 स्वीकृतियों की संविदा हस्ताक्षरित की जानी थी वह दोनों यथा खनिज रियायत नियम, 1960 (स्वीकृति प्राप्ति के बाद छः माह) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 (स्वीकृति प्राप्ति के बाद तीन माह) के

अन्तर्गत कालातीत हो चुकी थी। 411 मंशा-पत्रों जिनके लिये स्वीकृतियां जारी नहीं हुई थी, को भी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत परिशोधित किये जाने की आवश्यकता थी जिसमें की सरकारी भूमि पर पट्टों की नीलामी का प्रावधान किया गया था।

प्रकरण अध्ययन 5

खनि अभियंता, अजमेर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक आवेदक को सरकारी भूमि में खनिज क्वार्टज एवं फैल्सपार का खनन पट्टा (301/2008) 4.0048 हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्वीकृत (8 सितम्बर 2014) किया गया।

नियमानुसार पट्टा संविदा का निष्पादन 7 मार्च 2015 से पूर्व किया जाना वांछनीय था। तथापि आवेदक के द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में पट्टा संविदा का निष्पादन नहीं कराया गया। विभाग ने स्वीकृति को निरस्त नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने आवेदक को पर्यावरण अनुमति की मांग करते हुए एक चेतना पत्र जारी (जून 2015) किया। चेतना पत्र के जारी होने से पट्टा संविदा निष्पादन की अवधि अप्रत्यक्ष रूप से बढाई गई। आवेदक ने 19 अगस्त 2015 को पट्टा संविदा का निष्पादन करवाया।

7.4.16 खनन योजना की अनुपयुक्त जांच

खनि अभियंता, ब्यावर की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक खनन पट्टा (संख्या 219/2013) वास्ते क्वार्टज एवं फैल्सपार 4.0005 हैक्टेयर सरकारी भूमि में अनुदानित (मई 2014) किया गया था। खनन पट्टे का पंजीकरण जुलाई 2014 में हुआ। पट्टाधारक ने क्षेत्र में ग्रेनाइट (अप्रधान खनिज) के उपलब्ध होने की सूचना (मई 2015) दी तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(16)[9] के अन्तर्गत खनिज को इसके विद्यमान पट्टे में जोडने की प्रार्थना की। खनन पट्टे में इसे सम्मिलित (अगस्त 2015) कर लिया गया। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने क्वार्टज एवं फैल्सपार के पट्टे की खनन योजना को अनुमोदित (मार्च 2014) करते समय ग्रेनाइट भण्डारों की उपलब्धता की उपेक्षा की क्योंकि खनन योजना में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि ग्रेनाइट की चट्टान उपलब्ध थी। बाद की खनन योजना (अगस्त 2015) में ग्रेनाइट भण्डारों की मात्रा 15.36 लाख टन दर्शायी गयी थी जबकि क्वार्टज व फैल्सपार के भण्डार केवल 12,297 टन दर्शाये गये थे। अतः17 माह की अवधि के भीतर दो खनन योजनायें अनुमोदित की गयी जिनमें दूसरी वाली में भारी मात्रा में ग्रेनाइट दर्शाया गया था। क्वार्टज व फैल्सपार के विद्यमान पट्टे में ग्रेनाइट को शामिल करने से अप्रधान खनिज के पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया को टाला गया जिसमें पट्टे या तो लॉटरी के माध्यम से या नीलामी से स्वीकृत किये जाने हैं।

[9] राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 का नियम 18(16) प्रावधान करता है कि यदि पट्टे में निर्दिष्ट नहीं किया गया कोई अप्रधान खनिज पट्टा क्षेत्र में खोजा जाता है तो पट्टाधारी ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त और निपटान नहीं करेगा जब तक कि ऐसा खनिज पट्टे में शामिल नहीं कर लिया गया हो या ऐसे खनिज के लिये पृथक पट्टा प्राप्त नहीं कर लिया गया हो।

सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि मामला जांच समिति को प्रेषित किया गया था। यह भी अवगत कराया गया कि अतिरिक्त निदेशक (भू-विज्ञान) को मामले पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था।

7.4.17 जल ग्रहण क्षेत्र में खनन पट्टे का अनियमित रूप से जारी किया जाना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(26) के अनुसार पट्टाधारी किसी जलाशय से 45 मीटर की दूरी के अन्दर किसी बिन्दू पर कोई कार्य नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा अथवा कार्य किये जाने के लिए अनुमत्य नहीं होगा तथा 45 मीटर की दूरी किनारे के बाहरी छोर से मापी जावेगी।

खनि अभियंता, राजसमन्द-I के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक खनन पट्टे[10] के संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन (19 सितम्बर 2011) में पट्टा क्षेत्र में एक एनीकट[11] की उपस्थिति का कथन किया गया था। यह भी पाया गया कि अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, राजसमंद ने ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित एनीकट के बारे में खनि अभियंता को सूचित (11 अक्टूबर 2011) किया था। तथापि खनि अभियंता ने खनन पट्टे के आवेदन को अतिरिक्त निदेशक (खान) को अग्रेषित कर दिया जिन्होंने पट्टा स्वीकृत (9 फरवरी 2012) कर दिया।

7.4.18 क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता सिद्ध होने पर भी आवंटित नहीं किया जाना

खनि अभियंता, नागौर की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जनवरी 2016) कि अप्रैल 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य 671.52 मिलियन टन चूना पत्थर के सिद्ध भण्डारों के पांच ब्लॉकों[12] को खनन पट्टों के आवंटन हेतु अधिसूचित किया गया था। तथापि खनि अभियंता, नागौर ने आवंटन के लिये आवेदन आमंत्रित नहीं किये। खनि अभियंता, नागौर के भाग पर इस अकर्मण्यता को इन तथ्यों के प्रकाश में देखना पड़ेगा कि चूना पत्थर की खानों के आवंटन की मांग थी क्योंकि राज्य में 12 जनवरी 2015 को 86 आवेदन लम्बित थे जो संशोधित अधिनियम के कारण अयोग्य हो गये।

इसी प्रकार खनि अभियंता, बीकानेर में 946.98 हैक्टेयर सरकारी भूमि में खनिज बजरी उपलब्ध थी। तथापि क्षेत्र का चित्रांकन नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि खनन पट्टा आवंटन हेतु कार्यालय में आवेदनों को प्राप्त किया गया था, जो इंगित करता था कि खनिज की पर्याप्त मांग थी। विभाग चित्रांकन करने एवं पट्टे की नीलामी में असफल रहा तथा क्षेत्र में अवैध एवं अनाधिकृत खनन का अवसर छोड़ा गया।

---

[10] खनन पट्टा 45/2010 (तहसील झांझर, जिला राजसमन्द)।

[11] एनीकट से तात्पर्य एक छोटे तालाब से है जिसे वर्षा का पानी एकत्रित किये जाने के लिये उपयोग किया जाता है।

[12] एलएस-6, एलएस-5, 3सी, 4डी का बचा हुआ क्षेत्र एवं खनन पट्टा 3/2007 का बचा हुआ क्षेत्र।

7.4.19 खदान अनुज्ञप्तिधारियों को भूमि की पट्टी का अनियमित आवंटन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 22(3) के अनुसार क्षेत्र के चित्रांकित किये जाने, भूखण्डों के उपयुक्त संख्यांकित किये जाने तथा दो दैनिक समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रण हेतु एक अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के पश्चात ही सरकारी भूमि पर खदान नीलामी/लॉटरी से अनुदानित की जावेगी। नियम 23ए के उपनियम 3 के अन्तर्गत गठित समिति चित्रांकित भूखण्डों में से, भूखण्डों के 50 प्रतिशत को आरक्षित करेगी जिनको केवल निविदा से आवंटित किया जावेगा तथा शेष 50 प्रतिशत निर्धारित श्रेणियों को प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेखित प्रतिशत के अनुसार लॉटरी के द्वारा आवंटित किये जावेंगे।

इसके अतिरिक्त नियम 25 का छठा परन्तुक प्रावधान करता है कि वैज्ञानिक और सुरक्षित खनन के लिए खदान के आकार में वृद्धि हेतु विद्यमान बाउन्ड्रियों या अनुज्ञप्तियों के चारों ओर भूमि की 30 मीटर चौडी पट्टी, समीपस्थ खदान अनुज्ञप्तिधारियों को आवंटन के लिए आरक्षित रखी जावेगी। भारत सरकार ने दिनांक 9 सितम्बर 2013 की अधिसूचना से खदान अनुज्ञप्तियों की स्वीकृतियां जारी करने से पूर्व खदान अनुज्ञप्तिधारियों के लिये पर्यावरण अनुमति को अनिवार्य बनाया।

खनि अभियंता, बिजौलिया की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि खनि अभियंता द्वारा विनिर्दिष्टानुसार भूमि की अतिरिक्त पट्टी की उपलब्धता के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से व्यापक रूप से सूचना प्रसारित नहीं करवाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप केवल 147 खदान अनुज्ञप्तिधारियों ने 15 फरवरी 2011 से 30 अक्टूबर 2013 के दौरान भूमि की पट्टी के आवंटन के लिए आवेदन किया। पत्रावलियों की संवीक्षा पर यह पाया गया कि:

- 65 आवेदनों के प्रकरणों में भूमि की अतिरिक्त पट्टी आवंटन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी और दो प्रकरणों में केवल सीमांकन किया गया। 63 प्रकरणों (कुल 80 मंशा-पत्रों में से) में पहले से विद्यमान अनुज्ञप्तियों में क्षेत्रों को शामिल करने के लिए 9 सितम्बर 2013 को या उससे पूर्व मंशा-पत्र जारी किये जाने का कथन किया गया।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 9 सितम्बर 2013 के विपरीत 53 प्रकरणों में 17 सितम्बर 2013 एवं 18 अक्टूबर 2013 के मध्य अनुज्ञप्तिधारियों को अतिरिक्त पट्टी के लिए स्वीकृतियां जारी की गई जो प्रावधानों के विपरीत थी।

समापन सभा के दौरान निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि इस संबंध में एक जांच प्रक्रियाधीन थी।

7.4.20 लॉटरी के माध्यम से आवंटन की प्रणाली में कमियां

खनन नीति, 2011 के अनुसरण में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में नियम 7(1) जोड़ा (27 जनवरी 2011) गया जो कथन करता था कि सरकारी भूमि में सर्वप्रथम क्षेत्र के चित्रांकित किये जाने, भूखण्डों के उपयुक्त संख्यांकित किये जाने तथा आवेदन आमंत्रण के लिए अधिसूचना जारी होने के पश्चात खनन पट्टा अनुदान किया जावेगा। चित्रांकित किये गये भूखण्डों में से नियम 23ए के उप नियम 3 के अन्तर्गत गठित समिति भूखण्डों के 50 प्रतिशत को आरक्षित करेगी जो केवल नीलामी/निविदा से आवंटित किये जावेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित प्रतिशत के अनुसार परिभाषित श्रेणियों के

व्यक्तियों को लॉटरी द्वारा आवंटित किये जावेंगे। खान राज्य मन्त्री के सभापतित्व में विभागीय अधिकारियों की बैठक (18 अगस्त 2011) में विभिन्न श्रेणियों के लिये आरक्षित भूखण्डों के आवंटन के लिए रोस्टर का निर्धारण किया गया था।

यह देखा गया किः

(अ) राज्य मंत्री ने दिनांक 18 अगस्त 2011 की बैठक में खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों को 15 सितम्बर 2011 तक अपने क्षेत्रों में कम से कम एक ब्लॉक को चित्रांकित एवं अधिसूचित करने हेतु निर्देशित किया। विभाग ने 2012-15 के दौरान 1,329 भूखण्डों को चिन्हित एवं चित्रांकित किया। तथापि विभाग ने 1,329 चित्रांकित भूखण्डों में से केवल 106 भूखण्डों को अधिसूचित किया। 106 भूखण्डों की अधिसूचना के उपरांत भी कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया जा सका। अधिसूचित क्षेत्रों के आवंटन नहीं होने के कारण अभिलेख में अंकित नहीं थे।

(ब) निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा लॉटरी आवंटन के लिए प्रपत्रों को प्रस्तुत करने का प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कतिपय आवेदनों को बिना अभिलिखित कारणों के अपूर्ण समझा गया। उदाहरणस्वरूप खनि अभियंता, सोजतसिटी में प्राप्त चुनाई पत्थर/ग्रेनाइट के 221 आवेदनों तथा खनि अभियंता, नागौर में प्राप्त 48 आवेदनों को पत्रावली पर कोई कारण अभिलिखित किये बिना अस्वीकृत किया गया।

(स) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 7 में संशोधन करके श्रेणीवार प्रतिशत को परिवर्तित (अप्रैल 2013) किया गया। तथापि विभाग ने रोस्टर में परिवर्तन नहीं किया। इसके अलावा खनि अभियंता, नागौर में लॉटरी के द्वारा आवंटित किये जाने वाले चुनाई पत्थर के 16 भूखण्डों में से केवल तीन भूखण्डों को 'अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विशेष पिछड़े वर्ग' की श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया जबकि रोस्टर इस श्रेणी में चार भूखण्डों के आरक्षण का प्रावधान करता था। इसी प्रकार खनि अभियंता, ब्यावर में लॉटरी से आवंटन के लिए उपलब्ध खनिज ग्रेनाइट के पांच भूखण्डों में से तीन भूखण्ड अनुसूचित जातियों को आवंटित किये जाने थे तथा दो भूखण्ड अनुसूचित जनजातियों को आवंटित किये जाने थे। तथापि अनुसूचित जाति को केवल एक भूखण्ड आवंटित किया गया, अनुसूचित जनजातियों को तीन भूखण्ड आवंटित किये गये तथा एक भूखण्ड विशेष पिछड़े वर्ग को आवंटित किया गया।

(द) लॉटरी के माध्यम से पट्टों के आवंटन हेतु कतिपय श्रेणियों के बारे में स्पष्टता नहीं थी। उदाहरणार्थ,

- 'सरकारी सेवक जो कर्तव्य पर रहते हुए स्थायी रूप से निःशक्त हो गये हैं या उनके आश्रित जो सेवा में रहते हुए मारे जा चुके हैं' की श्रेणी में किसको 'सरकारी सेवक' समझा जाना था, के संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। इस प्रकार क्या केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों/राज्य सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों पर या भारत सरकार के कर्मचारियों/भारत सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों पर भी विचार किया जाना था।
- 'राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की सोसाइटियां' की श्रेणी को भी स्पष्ट नहीं किया गया था। 'राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की सोसाइटियां' की श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित पांच भूखण्डों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात गठित

सोसाइटियों को दो भूखण्डों का आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त तीन भूखण्ड ऐसी सोसाइटी को आवंटित किये गये जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति एजेन्सी के माध्यम से रोजगार प्रदान करना था।

- 'अन्य खानों के श्रमिक' या 'खानों में नियोजित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों/विशेष पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित शारीरिक श्रमिक' की श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व खनन अनुभव का विवरण देने के लिए कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया था। यह देखा गया कि इस श्रेणी के आवेदकों ने कुछ खानों के पूर्व कर्मचारी होने के दावे के शपथ पत्र या दस्तावेज संलग्न किये थे, जिनकी प्रामाणिकता को विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदकों को वास्तव में पूर्व खनन अनुभव था, सत्यापित नहीं किया गया।

(य) तीन खनि अभियंता कार्यालयों[13] ने समान आवेदकों से समान भूखण्ड के लिये एक से अधिक आवेदन स्वीकार किये। उदाहरणार्थ खनि अभियंता, अजमेर में 14 आवेदकों ने सात प्रकरणों में एकल भूखण्ड के लिए दो या अधिक आवेदन दिये थे। परिणामस्वरूप कुछ आवेदकों ने लॉटरी के माध्यम से अपने आवंटन अवसरों को बढाने के लिए एक से अधिक बार आवेदन किये। एक आवेदक जिसने दो आवेदन प्रस्तुत किये थे उसका चयन भी हो गया तथा खनन पट्टा आवंटित किया गया।

सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि मामला जांच समिति को इन निर्देशों के साथ कि जहां कहीं भी वांछनीय हो विधिक राय ली जावे, सौंप दिया गया था।

7.4.21 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभाग ने आवेदनों के परिशोधन के प्रत्येक स्तर के लिये कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये थे या समयावधि निर्दिष्ट नहीं की थी। जिससे प्रत्येक स्तर पर आवेदनों के परिशोधन में हुए विलम्ब पर निगरानी नहीं की जा सकी। *खनन पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता बढाने हेतु विभाग प्रत्येक स्तर पर आवेदनों के परिशोधन में मनमानी को रोकने के लिये स्वचालन तथा बेहतर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की स्थापना की ओर कदम उठा सकता है।*

विभाग ने खनन पट्टों के अनुदान हेतु दस्तावेजों को उनकी तथ्यात्मक परिशुद्धता की जांच के बिना स्वीकार किया। उन्होंने बिना उपयुक्त संवीक्षा आवेदनों को परिशोधित किया। कुछ मामलों में आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये समर्थक दस्तावेजों से मिलान नहीं करते थे। *विभाग को पट्टों के अनुदान के लिये प्रकरणों के परिशोधन से पहले अनिवार्य दस्तावेजों की प्राप्ति तथा उनकी तथ्यात्मक परिशुद्धता सुनिश्चित करनी ही चाहिये।*

विभाग ने पट्टों के अनुदान की प्रक्रिया में बिना किसी विधिक प्राधिकार के आवेदकों से भिन्न व्यक्तियों की भागीदारी को भी अनुमत्य किया जो अनियमित था। *आवंटन प्रक्रिया नियमों और विनियमों के अनुरूप संचालित किये जाने की आवश्यकता है तथा पारदर्शी और विश्वसनीय होनी चाहिये।*

---

[13] खनि अभियंताः अजमेर, नागौर एवं सोजतसिटी।

खण्डित पट्टों की बहाली के तुरंत बाद खनन पट्टों के स्वामित्व में परिवर्तन हुये थे। 31 प्रकरणों में तीन माह की विनिर्दिष्ट अवधि से बहुत परे के विलम्ब को क्षमा किया गया एवं पट्टों को बहाल किया गया। ऐसे बहाल चौदह पट्टों का एक माह के भीतर हस्तान्तरण किया गया। इस प्रकार नीलामी/लॉटरी की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार किया गया। *सरकार इन प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर सकती है तथा जहां कहीं भी नियमों से विचलन पाया जावे पट्टों को खण्डित करे।*

विभाग द्वारा लॉटरी आवंटन के लिये प्रपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कतिपय आवेदनों को बिना अभिलिखित कारणों के अपूर्ण समझा गया। इसके अतिरिक्त लॉटरी के माध्यम से पट्टों के आवंटन के लिये कतिपय श्रेणियों के बारे में स्पष्टता नहीं थी। *विभाग को लॉटरी आवंटन के लिये प्रपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसे लॉटरी के माध्यम से पट्टों के आवंटन के लिये कतिपय श्रेणियों की पात्रता के बारे में स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।*

7.5 खनिज का अनाधिकृत उत्खनन/निर्गमन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(9)(सी) के अनुसार पट्टाधारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति सम्बन्धित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता द्वारा विशिष्ट खनिज एवं क्षेत्र के लिये जारी रवन्ना[14] के बिना खान तथा खदान से खनिजों को नहीं हटायेगा या निर्गमित या उपयोग में नहीं लायेगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 18(1)(बी) के साथ संलग्न अनुसूची-I की मद संख्या 3 के अनुसार उत्खनित किये गये चूना पत्थर[15] की मात्रा की गणना संपरिवर्तन गुणक 1.4 मै.टन प्रति घन मीटर को लागू करते हुए की जानी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों का नियम 48(5) प्रावधान करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना अथवा पट्टे के निबन्धनों एवं शर्तों के उल्लंघन में कोई खनिज निकालता है या निर्गमित करता है तो अधिशुल्क के साथ खनिज के मूल्य की वसूली की जावेगी। खनिज के मूल्य की संगणना प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के 10 गुणा के बराबर की जावेगी।

7.5.1 पट्टा क्षेत्रों से उत्खनित खनिज की त्रुटिपूर्ण संगणना से पट्टेधारियों को अदेय लाभ

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनि अभियंता, बीकानेर के क्षेत्राधिकार के खनन पट्टा 56/2000 एवं 178/2009 के पट्टेधारियों द्वारा ग्राम भेड़, तहसील खींवसर, जिला नागौर से अनाधिकृत रूप से उत्खनित खनिज चूना पत्थर के निर्गमन हेतु रवन्नाओं के दुरूपयोग की जांच के लिये एक विभागीय समिति का गठन (28 जनवरी 2014) किया गया था।

समिति ने अपने निरीक्षण (19 मार्च 2014) के आधार पर प्रतिवेदित किया कि इन पट्टेधारियों द्वारा रवन्नाओं का दुरूपयोग नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी विवरणियों में 4.70 लाख मै.टन खनिज चूना पत्थर का निर्गमन दिखाया था जो कि खानों से उत्खनित[16] की जा सकने वाली खनिज की मात्रा के लगभग बराबर था।

[14] रवन्ना से तात्पर्य खानों से खनिज को हटाने या निर्गमित करने के लिये प्रेषण चालान से है।
[15] चूना पत्थर से तात्पर्य चूना बनाने के लिये उपयुक्त चूना पत्थर से है।
[16] समिति द्वारा उत्खनित किये गये खनिज की मात्रा की गणना गढ़्ढ़े की माप के आधार पर की गई थी।

समिति के प्रतिवेदन की संवीक्षा में यह पाया गया कि समिति ने उत्खनित खनिज की मात्रा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों में प्रावधानित संपरिवर्तन गुणक 1.4 प्रति घन मीटर के बजाय 2.5 प्रति घन मीटर लागू करते हुए निकाली थी।

क्र.सं.	खनन पट्टा संख्या	समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उत्खनित खनिज की मात्रा (मै.टन)	नियमों के अनुसार उत्खनित खनिज की मात्रा (मै.टन)	अधिशुल्क निर्धारण आदेशों के अनुसार 2013-14 तक उत्खनित खनिज की मात्रा (मै.टन)	रवन्नाओं का दुरूपयोग कर निर्गमित खनिज की मात्रा (मै.टन) (5-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	56/2000	1,71,293x2.5=4,28,232	1,71,293 x1.4=2,39,810	3,88,884	1,49,074
2	178/2009	44,372x2.5=1,10,930	44,372x1.4=62,121	81,150	19,029
योग		**5,39,162**	**3,01,931**	**4,70,034**	**1,68,103**

समिति ने इस प्रकार पट्टा क्षेत्रों से उत्खनित खनिज की मात्रा को बढ़ाया था और इन पट्टेधारियों द्वारा रवन्नाओं के उपयोग को गलत संपरिवर्तन गुणक लागू करके उचित ठहराया। इसलिये पट्टा क्षेत्रों के बाहर से अनाधिकृत उत्खनित 1.68 लाख मै.टन खनिज निहित कीमत राशि ₹ 10.93 करोड़[17] के निर्गमन के लिये रवन्नाओं के दुरूपयोग को समिति द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2016) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि यदि खनिज ठोस रूप में पाया गया तो बल्क घनत्व गुणक 2.5 लागू था और यदि खनिज उत्खनन के पश्चात पाया गया तो संपरिवर्तन गुणक 1.4 लागू था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नियम में अधिशुल्क संग्रहण के लिये संपरिवर्तन गुणक 1.4 स्पष्टतः प्रावधानित है एवं बल्क घनत्व गुणक 2.5 लागू करने का नियमों में प्रावधान नहीं था।

7.5.2 अनाधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत की मांग कायम नहीं करना

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सतर्कता शाखा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (फरवरी 2016) कि विभाग के अधिकारियों द्वारा दो खदानों[18] के तीन निरीक्षण[19] किये गये। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग को प्रस्तुत की गयी निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार, खदान संख्या 196(बी) के धारक ने इन दो स्वीकृत खदानों के समीप रिक्त पट्टी[20] से 25,920 मै.टन खनिज बलुआ पत्थर (ब्लॉक) एवं चुनाई पत्थर का अनाधिकृत उत्खनन किया था। तथापि विभाग ने ना तो खनिज की वसूली योग्य कीमत की गणना की और ना ही राशि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ की।

17 ₹ 10.93 करोड़ (खनिज 1,68,103 मै.टन x अधिशुल्क की दर ₹ 65 प्रति मै.टन x10)।

18 खनि अभियंता, जोधपुर के क्षेत्राधिकार की खदान संख्या 227(ए) तथा 196(बी)।

19 निरीक्षण की दिनांकः 7 नवम्बर 2013 (वरिष्ठ खनि कार्यदेशक), 9 अक्टूबर 2014 (वरिष्ठ खनि कार्यदेशक तथा सहायक खनि अभियंता) और 26 नवम्बर 2014 (खनि अभियंता (सतर्कता) तथा अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता))।

20 रिक्त क्षेत्र/पट्टी से तात्पर्य दो या अधिक स्वीकृत पट्टों/खदानों से सटे क्षेत्र से है।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात (फरवरी 2016) खनि अभियंता, जोधपुर ने अवगत कराया (मई 2016) कि खनिज की वसूली योग्य कीमत राशि ₹ 1.14 करोड़ की गणना कर ली (अप्रैल 2016) गयी थी तथा मांग के अनुमोदन हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर को प्रस्ताव भेजे (मई 2016) गये थे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2016) किया गया; जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2016)।

7.6 अधिशुल्क की कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग किये गये किसी खनिज पर उस खनिज के सम्बन्ध में अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दर पर अधिशुल्क भुगतान करेगा। अधिनियम/नियमों में अधिशुल्क निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तथापि राज्य सरकार ने मासिक आधार पर अधिशुल्क की गणना करने, मांग कायम करने एवं उसकी वसूली की कार्यवाही करने के आदेश जारी किये (अप्रैल 2000)। इसकी निरन्तरता में यह भी आदेशित किया (मार्च 2008) कि अनंतिम आधार[21] पर भुगतान योग्य अधिशुल्क एवं अन्य भुगतान योग्य शुल्क प्रत्येक माह की सात तारीख तक वसूल किये जावें। इसके अतिरिक्त अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में खनिज रॉक फॉस्फेट के लिये नमी की मात्रा के कारण किसी कटौती की अनुमति का प्रावधान नहीं था।

खनि अभियंता, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया (जनवरी 2016) कि एक खनन पट्टा (खनन पट्टा संख्या 1/88) निकट ग्राम झामर कोटड़ा तहसील गिर्वा में खनिज रॉक फॉस्फेट के लिए मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (कम्पनी) के पक्ष में 1 अप्रैल 1988 से प्रभावशील था। कम्पनी द्वारा खनिज रॉक फॉस्फेट की मात्रा में से नमी की मात्रा को घटाने के पश्चात अधिशुल्क का भुगतान किया जा रहा था, यद्यपि ऐसी किसी कटौती का अधिनियम/नियमों में प्रावधान नहीं था। वर्ष 2005-06 को छोड़कर अवधि 2003-04 से 2012-13 के लिये नमी की मात्रा पर भुगतान योग्य अधिशुल्क राशि ₹ 8.67 करोड़[22] की गणना की गयी। 2003-04 से 2014-15 की अवधि के लिये अधिशुल्क निर्धारण को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

अधिशुल्क निर्धारण को अंतिम रूप नहीं देने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क ₹ 8.67 करोड़ की कम वसूली हुई। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के साथ राशि की वसूली की सम्भावना धूमिल होगी।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात खनि अभियन्ता ने पट्टाधारी को कम भुगतान की गई राशि जमा कराने हेतु पत्र जारी किया (जनवरी 2016) और आगे अवगत कराया (जनवरी 2016) कि 2003 से 2015 तक की अवधि के अधिशुल्क निर्धारण कर लिये जावेंगे।

[21] अनंतिम अधिशुल्क की गणना गत माह के खनिज निर्गमन के आधार पर करनी है।

[22] हम वर्ष 2005-06 के लिये नमी की मात्रा पर देय अधिशुल्क की गणना नहीं कर सके क्योंकि कंपनी ने निर्गमित खनिज की मात्रा से नमी की मात्रा घटायी थी लेकिन विवरणियों में पृथक रूप से नमी की मात्रा का उल्लेख नहीं किया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2016) किया गया; जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2016)।

7.7 सह-युक्त खनिजों पर देय अधिशुल्क के भुगतान का अभाव

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग किये गये किसी खनिज पर उस खनिज के सम्बन्ध में अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दर पर अधिशुल्क भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 69(iii) के अनुसार 'सह-युक्त खनिजों' में लैड, जिंक, तांबा, सोना, कैडमियम और चांदी आदि सम्मिलित हैं।

अधीक्षण खनि अभियन्ता, अजमेर के पट्टा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 2014 एवं जनवरी 2016) कि एक पट्टा (खनन पट्टा संख्या 16/92) 480.45 हैक्टेयर क्षेत्र में 20 वर्ष (28 फरवरी 1998 से 27 फरवरी 2018) की अवधि के लिये लैड, जिंक एवं सह-युक्त खनिजों हेतु एक कम्पनी (मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड) के पक्ष में स्वीकृत एवं निष्पादित हुआ।

अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियों, मांग पंजिका एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया (अक्टूबर 2014) कि कम्पनी ने ना तो सह-युक्त खनिजों के उत्पादन को प्रकट किया और ना ही उन पर अधिशुल्क का भुगतान किया था। यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात (अक्टूबर 2014) कम्पनी ने खनि अभियन्ता, अजमेर को सूचित किया (जुलाई 2015) कि खनिज चांदी और कैडमियम पर देय अधिशुल्क का भुगतान किया जा रहा था। तथापि कम्पनी ने निर्गमित खनिजों की मात्रा, उन पर भुगतान की गयी अधिशुल्क राशि और कार्यालय जिसको अधिशुल्क का भुगतान किया जा रहा था, प्रकट नहीं किया।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया (जनवरी 2016) कि अनुमोदित खनन योजना (मई 2013) में पट्टा क्षेत्र में खनन योग्य खनिजों का प्रतिशतः लैड 1.82 प्रतिशत; जिंक 11.76 प्रतिशत; तांबा 0.068 प्रतिशत; चांदी 6.37 (पीपीएम) (सह-युक्त खनिज) और लोहा 7.64 प्रतिशत था। खनन योजना के मानकों एवं पट्टा क्षेत्र से सितम्बर 2012 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान उत्पादित अयस्क के अनुसार अनुमानित उत्खनित खनिजों यथा तांबा, चांदी एवं लोहा की मात्रा गणना करने पर 40,474.79 मै.टन थी जिस पर अधिशुल्क ₹1.38 करोड़[23] भुगतान योग्य था। अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा ना तो चेतना पत्र जारी किया गया ना ही इन सह-युक्त खनिजों तथा लोहा पर देय अधिशुल्क राशि ₹ 1.38 करोड़ की मांग की गयी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2016) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि राशि जमा कराने के लिये कम्पनी को चेतना पत्र जारी किया गया था और वसूली सूचित की जावेगी।

[23] खनिजों पर देय अधिशुल्क की गणना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मासिक दरों (फरवरी 2015) तथा 28 फरवरी 2015 को ₹ से डॉलर की विनिमय दर के आधार पर की गई थी।

7.8 स्थिर भाटक की त्रुटिपूर्ण संगणना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9ए(1) के अनुसार खनन पट्टाधारी पट्टे के विलेख में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के लिये ऐसी दर पर जैसी कि अधिनियम की तीसरी अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट की जावे, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को स्थिर भाटक का भुगतान करेगा। तृतीय अनुसूची को समय-समय पर केन्द्र सरकार की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया। दिनांक 14 अक्टूबर 2004, 13 अगस्त 2009 एवं 1 सितम्बर 2014 को जारी इन अधिसूचनाओं के अनुसार मूल्यवान धातुओं के लिये अनुदानित पट्टे के प्रकरण में स्थिर भाटक की दर कम मूल्यवान खनिजों के लिये निर्दिष्ट दर की चार गुणा थी, जो कि एक वर्ष के लिये क्रमशः ₹ 1,600; ₹ 4,000; ₹ 8,000 प्रति हैक्टेयर थी।

अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर के पट्टा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जनवरी 2016) कि एक पट्टा (खनन पट्टा संख्या 16/92) 480.45 हैक्टेयर क्षेत्र में 20 वर्ष (28 फरवरी 1998 से 27 फरवरी 2018) की अवधि के लिये लैड, जिंक एवं सह-युक्त खनिजों हेतु मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत एवं निष्पादित हुआ।

पट्टे से सम्बन्धित मांग पंजिका एवं अन्य अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि तृतीय अनुसूची में 14 अक्टूबर 2004 और तत्पश्चात किये गये संशोधनों के अनुसार स्थिर भाटक को पुनरीक्षित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप स्थिर भाटक राशि ₹ 21.53 लाख की नीचे दिये गये विवरणानुसार कम मांग कायमी हुई:

क्र.सं.	अवधि	नियमानुसार मूल्यवान धातुओं हेतु स्थिर भाटक की दरें प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष (₹)	स्थिर भाटक की दरें प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष जो वसूल की गई (₹)	पट्टा क्षेत्र का आकार (हैक्टेयर में)	वसूल किया गया स्थिर भाटक (₹ लाख में)	नियमानुसार वसूली योग्य स्थिर भाटक (₹ लाख में)	स्थिर भाटक की कम मांग/वसूली (₹ लाख में)
1	14/10/2004 से 12/8/2009 (1,764 दिन)	1,600	1,200	480.45	27.84	37.14	9.30
2	13/8/2009 से 27/2/2010 (199 दिन)	4,000	3,000	480.45	7.86	10.48	2.62
3	28/2/2010 से 27/2/2012 (2 वर्ष)	4,000	3,000	480.45	28.83	38.44	9.61
	योग				**64.53**	**86.06**	**21.53**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2016) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि अधिशुल्क निर्धारण के पश्चात मांग पत्र जारी किया गया था।

7.9 पर्यावरण प्रबन्धन कोष की अवसूली/कम वसूली

नियम 37 टी (5) राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में अधिसूचना दिनांक 19 जून 2012 से शामिल किया गया, के प्रावधानानुसार कोटा एवं झालावाड़ जिले का मार्बल, ग्रेनाइट और चूना पत्थर (आयामी पत्थर) का प्रत्येक

पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी राशि ₹ 10 प्रति टन एवं अन्य खनिजों के पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी/अल्पावधि अनुमति पत्रधारी ₹ पांच प्रति टन निर्गमित किये गये खनिज के लिये पर्यावरण प्रबन्धन कोष में जमा करवायेंगे। पर्यावरण प्रबन्धन कोष, पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा कार्य में उपयोग किये जाने के लिये वांछित है। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी (फरवरी 2013) किया गया जिसमें आरोपणीय पर्यावरण प्रबन्धन कोष की गणना का तरीका[24] निर्धारित था। यद्यपि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा 9 अप्रैल 2015 को इन प्रावधानों को इन निर्देशों के साथ अवैध, अधिकार क्षेत्र बिना तथा अधिकारातीत घोषित किया कि संशोधित नियमों को आगे लागू नहीं किया जावेगा। तथापि यदि एक ठेकेदार/पट्टाधारी ने उपभोक्ता या खनन सामग्री ले जाने वाले से पर्यावरण प्रबन्धन कोष राशि संग्रहित की थी तो वह उस राशि को रखने का हकदार नहीं था एवं उसे उस राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाना था।

पर्यावरण प्रबन्धन कोष की मांग कायम नहीं करने/कम मांग कायम करने के कुछ उदाहरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेखित हैः

7.9.1 खान एवं भू-विज्ञान विभाग की हैण्डबुक के अनुसार वसूली पर निगरानी के लिये स्थिर भाटक, अधिशुल्क, शास्ति एवं अन्य देयताओं की सभी मांगों को एक मांग एवं संग्रहण पंजिका में दर्ज करना वांछित है।

कार्यालय खनि अभियंता, भीलवाड़ा में ईंट-मिट्टी अनुज्ञापत्रधारियों से सम्बन्धित मांग एवं संग्रहण पंजिका की संवीक्षा में यह पाया गया (मार्च 2016) कि 19 जून 2012 से 31 मार्च 2015 की अवधि के लिये 38 ईंट-मिट्टी अनुज्ञापत्रधारियों के विरूद्ध पर्यावरण प्रबन्धन कोष राशि की मांग कायम नहीं की गयी। वसूली योग्य पर्यावरण प्रबन्धन कोष ₹ 23.46 लाख की गणना की गई जिसके विरूद्ध केवल ₹ 3.34 लाख वसूल किये गये। इस प्रकार पर्यावरण प्रबन्धन कोष ₹ 20.12 लाख कम वसूला गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2016) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि छः प्रकरणों में ₹ 3.13 लाख वसूल कर लिये गये थे एवं शेष 32 प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही थी।

7.9.2 खनि अभियंता, बांसवाड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जनवरी 2016) कि एक अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका[25] वार्षिक ठेका राशि ₹ 18.09 करोड़ पर 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए मैसर्स प्रकाश एसोसिएट्स के पक्ष में स्वीकृत (16 मार्च 2012) एवं निष्पादित (30 मार्च 2012) हुआ। ठेका जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा, गढ़ी एवं जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर में पड़ने वाले पट्टों से उत्खनित खनिज मार्बल पर देय अधिक अधिशुल्क[26] संग्रहण के लिये था। निदेशालय द्वारा जारी अनुदेशों (फरवरी 2013) के अनुसार खनि अभियंता ने अप्रैल 2013 से

[24] आरोपणीय पर्यावरण प्रबन्धन कोष राशिः (अधिक अधिशुल्क की वार्षिक ठेका राशि/खनिज की अधिशुल्क दर) x प्रति मै.टन पर्यावरण प्रबन्धन कोष की दर।

[25] अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके का अर्थ है, निर्दिष्ट खनिज एवं क्षेत्र के लिए एक ठेका जो ठेके के अधीन खनन पटटों के धारकों से सरकार की ओर से वार्षिक स्थिर भाटक से अधिक अधिशुल्क और ठेके में निर्दिष्ट अन्य प्रभारों के संग्रहण करने हेतु दिया गया है। ठेकेदार ठेके की शर्तों के अनुसार सरकार को वार्षिक नियत राशि का भुगतान करेगा।

[26] अधिक अधिशुल्क से तात्पर्य वार्षिक स्थिर भाटक से अधिक अधिशुल्क से है।

वार्षिक ठेका राशि में वार्षिक पर्यावरण प्रबन्धन कोष की राशि ₹ 93 लाख जोड़ दिये। खनिज मार्बल ब्लॉक एवं मार्बल खण्डा के लिये अधिशुल्क की दर क्रमशः ₹ 195 एवं ₹ 65 प्रति मै.टन थी।

अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका पत्रावलियों एवं मांग पंजिकाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ठेकेदार ने जनवरी 2013 तक निर्गमित 7.75 लाख मै.टन खनिज मार्बल (ब्लॉक एवं खण्डा) पर अधिक अधिशुल्क का संग्रहण किया। मार्बल ब्लॉक एवं मार्बल खण्डा का भाग क्रमशः 91.83 एवं 8.17 प्रतिशत था।

खनि अभियंता ने पर्यावरण प्रबन्धन कोष राशि की गणना करते समय मार्बल खण्डा के लिये ₹ 65 प्रति मै.टन एवं मार्बल ब्लॉक के लिये ₹ 195 प्रति मै.टन लगाने के बजाय सम्पूर्ण ठेका राशि पर अधिशुल्क दर ₹ 195 प्रति मै.टन लगायी। इसके परिणामस्वरूप निर्गमित खनिज की 1,51,585 मै.टन मात्रा की कम गणना हुई और जिसके कारण पर्यावरण प्रबन्धन कोष की राशि ₹ 15.16 लाख का नीचे दिये गये विवरणानुसार कम आरोपण हुआ:

क्र.सं.	खनिज का प्रकार	निर्गमित खनिज का प्रतिशत	निर्गमित खनिज की मात्रा	जोड़े जाने योग्य पर्यावरण प्रबन्धन कोष की वार्षिक राशि (₹ लाख में)	विभाग द्वारा संगणित खनिज की मात्रा	विभाग द्वारा जोड़ी गई पर्यावरण प्रबन्धन कोष राशि (₹ लाख में)	पर्यावरण प्रबन्धन कोष का कम आरोपण (₹ लाख में) (7-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ब्लॉक	91.83	8,51,900 मै.टन[27]	85.19	9,27,692 मै.टन	92.77	15.16
2	खण्डा	8.17	2,27,377 मै.टन[28]	22.74			
योग			**10,79,277 मै.टन**	**107.93**	**9,27,692 मै.टन[29]**	**92.77**	**15.16**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2016) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि ठेका खनिज मार्बल के लिये दिया गया था इसलिए पर्यावरण प्रबन्धन कोष की गणना मार्बल ब्लॉक की अधिशुल्क दर के अनुसार की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केवल मार्बल ब्लॉक की अधिशुल्क दर पर विचार किया जबकि मार्बल खण्डा की दर को अनदेखा किया गया।

7.10 ठेका राशि का त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षण

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के नियम 32(3) के प्रावधानानुसार अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार[30] द्वारा सरकार को प्रतिवर्ष भुगतान की जाने वाली राशि नीलामी

[27] मार्बल ब्लॉक की मात्रा 8,51,900 मै.टन = ₹ 18,09,00,000 (ठेका राशि) x 91.83 प्रतिशत = ₹ 16,61,20,470/ ₹ 195 (अधिशुल्क दर)।

[28] मार्बल खण्डा की मात्रा 2,27,377 मै.टन = ₹ 18,09,00,000 (ठेका राशि) x 8.17 प्रतिशत = ₹1,47,79,530/ ₹ 65 (अधिशुल्क दर)।

[29] खनिज मार्बल की मात्रा 9,27,692 मै.टन= ठेका राशि ₹ 18,09,00,000/ अधिशुल्क दर ₹ 195 (मार्बल ब्लॉक की अधिशुल्क दर)।

[30] अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार एक ठेकेदार है जिसको एक मुश्त राशि के भुगतान पर एक निश्चित अवधि के लिये अधिशुल्क संग्रहण के लिये प्राधिकृत किया गया है।

अथवा ई- नीलामी द्वारा निर्धारित की जावेगी। परन्तु अनुसूची-I में दी गई अधिशुल्क की दर या अनुमतिपत्र शुल्क/अन्य प्रभारों में वृद्धि या कमी की दशा में अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार यथास्थिति अधिशुल्क में वृद्धि या कमी के अनुपात में ठेका राशि, प्रतिभूति और गारन्टी राशि की अधिक या कम रकम का भुगतान करने के लिये दायी होगा। पुनरीक्षित ठेका राशि की गणना इन्हीं नियमों में दिये गये सूत्र[31] के अनुसार की जावेगी।

दिनांक 5 अगस्त 2014 की अधिसूचना के अनुसार चुनाई पत्थर तथा मार्बल की अधिशुल्क दर क्रमशः ₹ 17 प्रति मै.टन से ₹ 23 प्रति मै.टन तथा ₹ 195 प्रति मै.टन से ₹ 260 प्रति मै.टन बढायी गयी। तथापि 26 अगस्त 2014 को मार्बल की बढी हुई अधिशुल्क दर को घटा कर ₹ 240 प्रति मै.टन किया गया।

खनि अभियंता, उदयपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर, मार्बल एवं सर्पेन्टाइन[32] पर देय अधिक अधिशुल्क संग्रहण के दो ठेकों की पत्रावलियों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया (फरवरी 2016) कि खनिजों की अधिशुल्क दरों में वृद्धि पर उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप दोनों ठेकों की वार्षिक ठेका राशि में नीचे दिये गये विवरणानुसार पुनरीक्षण नहीं किया गया:

(₹ लाख में)

ठेकेदारों के नाम	खनिज का नाम एवं अधिशुल्क की पुनरीक्षित दर	अधिक अधिशुल्क की वार्षिक राशि	विभाग द्वारा पुनरीक्षित वार्षिक अधिक अधिशुल्क राशि	नियमों के अनुसार पुनरीक्षित की जाने योग्य राशि	वार्षिक अधिक अधिशुल्क का कम पुनरीक्षण (5-4)	कम मांग की अवधि	राशि की कम वसूली
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मैसर्स चामुण्डा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स	चुनाई पत्थर/ ₹ 23 प्रति मै.टन	352.36	476.73	487.06	10.33	5.8.2014 से 31.3.2015 (239 दिन)	6.76
श्री नौरतन सिंह राजपुरोहित	मार्बल एवं सर्पेन्टाइन/ ₹ 260 प्रति मै.टन	263.87	351.82	408.25	56.43	5.8.2014 से 25.8.2014 (21 दिन)	3.25
	मार्बल एवं सर्पेन्टाइन / ₹ 240 प्रति मै.टन		324.76	363.83	39.07	26.8.2014 से 31.3.2015 (218 दिन)	23.33
योग		**616.23**	**1,153.31**	**1,259.14**	**105.83**		**33.34**

इसके परिणामस्वरूप 5 अगस्त 2014 से 31 मार्च 2015 की अवधि में अधिक अधिशुल्क ₹ 33.34 लाख की कम मांग कायम हुई।

यह ध्यान में लाये जाने के पश्चात खनि अभियन्ता, उदयपुर ने अवगत कराया (फरवरी 2016) कि राशि वसूल कर ली जावेगी एवं लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जावेगा।

[31] पुनरीक्षित ठेका राशि = {(विद्यमान ठेका राशि + कुल विद्यमान स्थिर भाटक) x नई अधिशुल्क दर/विद्यमान अधिशुल्क दर- कुल विद्यमान स्थिर भाटक)}।

[32] सर्पेन्टाइन : एक प्रकार का मार्बल।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2016) किया गया; जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2016)।

7.11 ईंट-मिट्टी की कीमत की कम मांग कायम किया जाना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65ए के अंतर्गत 10 जून 1994 को जारी अधिसूचना के अनुसार भट्टा मालिक ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ईंट-मिट्टी के लिए अनुमति प्राप्त करेगा। अनुमति कम से कम एक वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष के लिए होगी। ईंट-मिट्टी पर अधिशुल्क की वसूली उपयोग की गई मिट्टी की वार्षिक मै.टन मात्रा के आधार पर दिये गये सूत्र से की जावेगी (150 दिन x 3.5 मै.टन x घोडियों की संख्या)। इसके अतिरिक्त राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 का नियम 48(5) प्रावधान करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज उठाता है तो वह ऐसे उत्खनित खनिज पर अधिशुल्क के साथ खनिज की कीमत अदा करने का उत्तरदायी होगा।

खनि अभियन्ता, भरतपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (दिसम्बर 2015) कि मैसर्स अमन ईंट उद्योग, बिडगांव द्वारा एक ईंट भट्टा तहसील नगर, जिला भरतपुर में संचालित था। भट्टे के मालिक ने प्रतिवर्ष 14,175 मै.टन ईंट-मिट्टी उत्खनन के लिए पांच वर्ष की अवधि 23 दिसम्बर 2008 से 22 दिसम्बर 2013 के लिये अनुज्ञापत्र प्राप्त किया था। भट्टा मालिक ने एक नवीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन (17 दिसम्बर 2013) किया। तथापि खनि अभियंता, भरतपुर ने भट्टे का कब्जा (22 दिसम्बर 2013) ले लिया। नवीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन को, आवेदन की वांछित पूर्ति नहीं करने के कारण मई 2014 में अस्वीकार कर दिया गया। इसी दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने भट्टे का निरीक्षण (15 अप्रैल 2014) किया एवं पाया कि भट्टा संचालित था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने खनि अभियन्ता, भरतपुर को कार्यवाही करने हेतु सूचना (13 जून 2014) दी। खनि अभियन्ता, भरतपुर ने भी भट्टे का निरीक्षण (27 जून 2014) किया एवं इसे संचालित पाया। खनि अभियन्ता ने निरीक्षण के समय मौके पर पायी गई ईंटों की वास्तविक मात्रा के आधार पर ईंट-मिट्टी की कीमत के रूप में ₹ 1.26 लाख की वसूली की।

खनि अभियन्ता द्वारा वसूल की गयी राशि त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि भट्टा दो निरीक्षणों (15 अप्रैल 2014 एवं 27 जून 2014) के दौरान संचालित पाया गया जिसका अभिप्राय था कि भट्टा 23 दिसम्बर 2013 से 27 जून 2014 तक 187 दिन की अवधि के लिये संचालन में था। अतः भट्टे की संचालन अवधि के दौरान अनाधिकृत रूप से उत्खनित 7,262 मै.टन[33] खनिज ईंट-मिट्टी की कीमत राशि ₹ 13.07 लाख की वसूली की जानी थी। इस प्रकार ₹ 11.81 लाख की कम मांग कायम की गयी।

[33] 187 दिन के दौरान उपयोग की गई ईंट-मिट्टी की आनुपातिक मात्रा (7,262 मै.टन) की गणना 14,175 मै.टन के लिये जारी वार्षिक अनुज्ञापत्र के आधार पर की गई थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2016) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2016) कि राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही थी।

(एस. आलोक)

महालेखाकार

जयपुर **(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान**

दिनांक 20 जनवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

दिनांक 24 जनवरी 2017

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://www.agraj.cag.gov.in